रजिस्ट्री सं. डी.-(डी एन.)-128 REGISTERED NO. D (D N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 25, 1987/श्रावण 3, 1909
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 25, 1987/SRAVANA 3, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

विधि साहित्य प्रकाशन

नई दिल्ली 16 अप्रैल, 1987

सा का नि 557—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विधि मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1969 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन में समूह "ग" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात —

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग विधि साहित्य प्रकाशन समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 लागू होना ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3 पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4 भर्ती की पद्धति आयु सीमा अर्हताएं आदि उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति आयु सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7 व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिस का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. सहायक (अपवर्जित)	*2(1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	1400-40-1600 50-2300-द०रो०-60-2600 रु.	अचयन	नहीं	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जायगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।	प्रोन्नति : विधि साहित्य प्रकाशन के ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक-सह-भण्डारी या उच्च श्रेणी लिपिक-सह-रोकडिया में से, जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर विधि साहित्य प्रकाशन के ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक सह-भण्डारी या उच्च श्रेणी

12
लिपिक-सह-रोकड़िया और निम्न श्रेणी लिपिक (हिन्दी-सह-अंग्रेजी) जिसने उस श्रेणी में 13 वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है।
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :
ऐसे उच्च श्रेणी लिपिकों में से, जिन्होंने 5 वर्ष नियमित सेवा की है या केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के ऐसे उच्च श्रेणी लिपिकों में से, जिन्होंने उच्च श्रेणी लिपिक/और निम्न श्रेणी लिपिक की श्रेणियों में 13 वर्ष सम्मिलित सेवा की है।
टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए (1) उप सचिव (वित्त)—अध्यक्ष (2) अवर सचिव (विधि साहित्य प्रकाशन)—सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. आशुलिपिक (हिन्दी सह-अंग्रेजी)	*15 (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुविभागीय	1400-40-1600 50-2300-दरो-60-2600 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	आवश्यक (1) मैट्रिकुलेशन और साथ ही हिन्दी का ठोस ज्ञान। (2) प्रति मिनट 80 शब्द की न्यूनतम गति से हिन्दी में श्रुत-लेखन लिखने के योग्य हो। (3) हिन्दी टाइपिंग में प्रति मिनट 25 शब्द की और अंग्रेजी टाइपिंग में प्रति मिनट 40 शब्द की गति हो। वांछनीय : मुख्य विषयों में से एक के रूप में हिन्दी के साथ विश्वविद्यालय डिग्री।	लागू नहीं होता	2 वर्ष (केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की दशा में)

11	12
स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	केन्द्रीय सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में उपयुक्त व्यक्तियों में से स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा। टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि,, जिसके अन्तर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति/पुष्टि से संबंध में विचार करने के लिए) (1) उप सचिव (वित्त)—अध्यक्ष (2) अवर सचिव (विधि साहित्य प्रकाशन)—सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
3. कारबार कार्यपालक	*1 (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अनुसचिवीय	1600-50-2300-द.रो.-50-2660 रु.	चयन	नहीं	लागू नहीं होता

8.	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।	प्रोन्नति : — विधि साहित्य प्रकाशन के ऐसे कार्यरत विक्रय सहायकों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में न्यूनतम तीन वर्ष सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : ऐसे अधिकारियों में से, जो सदृश या समतुल्य पद धारण करते हैं या ऐसे व्यक्तियों में से जो 1400-40-1800-द.रो.-50-2300 रु. के वेतनमान वाले पद धारण करते है और जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है और जिनके पास अधिमानत सरकारी प्रकाशनों के विक्रय से संबंधित अनुभव है। टिप्पणी : —प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) (1) उप सचिव (वित्त)—अध्यक्ष (2) अवर सचिव (विधि साहित्य प्रकाशन)—सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
4 विक्रय सहायक	*3 (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित-अनुसचिवीय	1400-40-1800-द.रो.-50-2300 रु.	अवयन	नहीं	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा।	प्रोन्नति : विधि साहित्य प्रकाशन के ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक-सह-रोकड़िया या उच्च श्रेणी लिपिक-सह-भण्डारी में से, जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर विधि साहित्य प्रकाशन के ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक-सह-भण्डारी या उच्च श्रेणी लिपिक-सह रोजड़िया और निम्न श्रेणी लिपिक (हिन्दी-सह-अंग्रेजी), जिसने उस श्रेणी में 13 वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार में कार्य करने वाले ऐसे व्यक्तियों में से :— (क) जो सदृश पद या 1200-30-1560-द.रो.-40-2040 रु. वेतन-मान वाले या समतुल्य धारण करते हैं और जिन्होंने 5 वर्ष सेवा की है या जो 950-20-1150-द.रो.-25-1500 रु. वेतनमान वाले या समतुल्य पद धारण करते हैं और जिन्होंने 13 वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास प्रकाशनों के विक्रय से संबंधित कम से कम दो वर्ष का अनुभव है। टिप्पणी : —प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कादर वाले पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) (1) उप सचिव (वित्त)—अध्यक्ष (2) अवर सचिव (विधि साहित्य प्रकाशन)—सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
5 प्रूफ शोधक (हिन्दी)	*8 (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अनुसचिवीय	1320-30-1560-द.रो.-40-2040 रु.	अवयन	नहीं	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।	प्रोन्नति : विधि साहित्य प्रकाशन के ऐसे कॉपी होल्डरों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 8 वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार में कार्य करने वाले ऐसे व्यक्तियों में से : (क) जो सदृश पद या 950-20-1150-द.रो.-25-1500 रु. वेतनमान वाले या समसुल्य पद धारण करते हैं और जिन्होंने 8 वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास हिन्दी का अच्छा ज्ञान है और जो हिन्दी प्रूफ शोधन से सुपरिचित हैं। टिप्पणी : --प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) (1) उप सचिव (विस) --अध्यक्ष (2) अवर सचिव (विधि साहित्य प्रकाशन)--सदस्य	लागू नहीं होगा

1	2	3	4	5	6	7
6. उच्च श्रेणी लिपिक-सह-रोकड़िया	*1(1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित-अनुसचिवीय	1200-30-1560-द.रो.-40-2040 रु.	अवयन	नहीं	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।	प्रोन्नति : विधि साहित्य प्रकाशन में ऐसा स्थायी निम्न श्रेणी लिपिक (हिन्दी-सह-अंग्रेजी), जिसने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है और जिसके पास निम्नलिखित विषयों में कम से कम 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव है। (क) रोकड़ और लेखा कार्य। (ख) रोकड़ संभालना।

11	12
	(ग) स्थापना बिलों और यात्रा-भत्ता बिलों को तैयार करना।
	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :
	(क) विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग में ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक (केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा से अपवर्जित), जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास निम्नलिखित विषयों में 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव है :—
	(i) रोकड़ और लेखा कार्य।
	(ii) रोकड़ संभावना।
	(iii) स्थापना बिलों और यात्रा भत्ता बिलों को तैयार करना।
	या
	(ख) विधि और न्याय मंत्रालय में ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक (केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा), जिन्होंने उस श्रेणी मे 8 वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास निम्नलिखित विषयो मे 5 वर्ष को व्यावहारिक अनुभव है :—
	(i) रोकड़ और लेखा कार्य।
	(ii) रोकड़ सभावना।
	(iii) स्थापना बिलों और यात्रा भत्ता बिलों को तैयार करना।
	टिप्पण :— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी या अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नही होगी।

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध मे विचार करने के लिए) (1) उप सचिव (वित्त)—अध्यक्ष (2) अवर सचिव (विधि साहित्य प्रकाशन)—सदस्य	लागू नही होना

1	2	3	4	5	6	7
7. उच्च श्रेणी लिपिक-सह-भण्डारी	*1(1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अनुसचिवीय	1200-30-1560-द.रो.-40-2040 रु.	अचयन	नही	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होना	लागू नहीं होता	कुछ नहीं

11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	प्रोन्नति : विधि साहित्य प्रकाशन के ऐसे स्थायी निम्न श्रेणी लिपिकों (हिन्दी-सह-अंग्रेजी) में से, जिन्होंने उस श्रेणी में न्यूनतम 8 वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण: ऐसे स्थायी निम्न श्रेणी लिपिकों में से, जिन्होंने (1) विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग में निम्न श्रेणी लिपिकों के अपवर्जित पदों पर, या कॉडर में, (2) विधि मंत्रालय के कॉडर में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर न्यूनतम आठ वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास अधिमानतः भण्डार-करण का अनुभव तथा हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान है। टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) (1) उप सचिव (वित्त)—अध्यक्ष (2) अवर सचिव (विधि साहित्य प्रकाशन)—सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
8. कापी होल्डर (हिन्दी)	*8 (1967) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अनुसचिवीय	950-20-1150-ई.बी.-25-1500 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

8	9	10
आवश्यक : (1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता। (2) हिन्दी का अच्छा ज्ञान हो और हिन्दी में प्रति मिनट 25 शब्द की न्यूनतम गति पर टाइप कर सकने के योग्य हो। वांछनीय : किसी मुद्रणालय या समाचार पत्र कार्यालय में हिन्दी कापी होल्डिंग/प्रूफ शोधन कार्य का अनुभव	लागू नहीं होता	2 वर्ष, सिवाए वहां के जहां स्थानान्तरण द्वारा भरा जाता है।

11	12
स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	स्थानान्तरण : भारत सरकार मुद्रणालयों में या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों में समरूप या समतुल्य श्रेणियों में कार्य करने वाले उपयुक्त व्यक्ति।

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) (1) उप सचिव (वित्त)—अध्यक्ष (2) अवर सचिव (विधि साहित्य प्रकाशन)—सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
9. निम्न श्रेणी लिपिक (हिन्दी-सह-अंग्रेजी)	*14(1987) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अननुसूचित	950-20-1150 लागू नहीं होता द.रो.-25-1500-6	नहीं		18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है — टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से) उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

8	9	10
आवश्यक : 1. मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता । 2. अंग्रेजी में और देवनागरी लिपि में हिन्दी में क्रमशः प्रति मिनट 30 शब्द की गति से टाईप कर सकने के योग्य हो, परन्तु यह कि: (क) ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास टाईप करने की उक्त अर्हता नहीं है, इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त किया जा सकेगा कि वह तब तक वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त करने के लिए या स्थायीकरण के लिए या उस श्रेणी में पुष्टिकरण के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक वह टाईपिंग में अंग्रेजी में प्रति मिनट 30 शब्द की गति और देवनागरी लिपि में हिन्दी में प्रतिमिनट 25 शब्द की गति प्राप्त नहीं कर लेता है ; (ख) ऐसे शारीरिक रूप से असुविधा ग्रस्त व्यक्ति को, लिपिकीय पद धारण करने के लिए अन्यथा अर्हित है, किन्तु जिसके पास टाईपिंग में उक्त अर्हता नहीं है, इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त किया जा सकेगा कि असुविधा ग्रस्त व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय से संलग्न चिकित्सा बोर्ड या जहां ऐसा बोर्ड नहीं है, वहां सिविल सर्जन यह प्रमाणित कर देता है कि उक्त असुविधाग्रस्त व्यक्ति टाईप कर सकने के योग्य नहीं है। वांछनीय : जी डी लिपिक, जिसके पास सेना संबंधी कार्य का अनुभव है।	शैक्षिक अर्हता —हां आयु —नहीं	प्रोन्नति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष

11	12
10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा।	प्रोन्नति: (क) 10 प्रतिशत रिक्तियां विधि साहित्य प्रकाशन के नियमित स्थापन में के समूह "घ" कर्मचारियों में से निम्नलिखित रीति से भरी जाएंगी :— (i) 5 प्रतिशत रिक्तियां विधि साहित्य प्रकाशन के नियमित स्थापन, में के ऐसे समूह "घ" कर्मचारियों में से, अयोग्य व्यक्तियों को अस्वीकार करने के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी, जिन्होंने प्रोन्नति की तारीख को समूह "घ" पद पर पांच वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है और जिनके पास स्तम्भ 8 में विहित शैक्षिक अर्हताएं आदि हैं और

12
(ii) 5 प्रतिशत रिक्तियां, विधि साहित्य प्रकाशन के नियमित स्थापन में के ऐसे समूह "घ" कर्मचारियों में से विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरी जाएगी : (क) जिनके पास स्तम्भ 7 में विहित शैक्षिक अर्हताएं आदि है (ख) जो परीक्षा की तारीख को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की दशा में 45 वर्ष की आयु से और अन्य व्यक्तियों की दशा में 40 वर्ष की आयु से अधिक नहीं हैं, और (ग) जिन्होंने परीक्षा की तारीख को उस रूप में पांच वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है। (घ) 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा। टिप्पण ऐसी दशा में, जहां ऊपर पैरा (क) के उपबंध के अधीन भर्ती के लिए किसी वर्ष में पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, वहां ऐसी रिक्तियां, जो ऐसी भर्ती द्वारा भरे जाने से रह गई है, पश्चात्वर्ती वर्ष को अग्रणीत नहीं की जाएंगी। स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में समरूप या समतुल्य श्रेणियों में कार्यरत व्यक्ति — टिप्पण भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/पुनर्नियोजन .— ऐसे सशस्त्र बल कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिन्हें एक वर्ष की अवधि के भीतर आरक्षण में स्थानान्तरित किया जाना है और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को, उस तारीख तक, जिसको उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है प्रतिनियुक्ति संबंधी निबंधन दिए जाएंगे, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बनाए रखा जा सकता है।

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) (1) उप सचिव (वित्त)—अध्यक्ष (2) अवर सचिव (विधि साहित्य प्रकाशन) —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
10. ज्येष्ठ पत्तलेखी प्रचालक (आपरेटर)	*1 (1987) *कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	950-20-1150 द. रो. -25-1500रु	अप्रवरण	नहीं	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष

11	12
प्रोन्नति	प्रोन्नति : विधि साहित्य प्रकाशन में के ऐसे कनिष्ठ पतालेखी प्रचालकों (आपरेटरों) में से, जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है ।

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) (1) उप सचिव (वित्त) —अध्यक्ष (2) अवर सचिव —सदस्य (विधि साहित्य प्रकाशन)	लागू नहीं होगा

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 31-5-1969 के पृष्ठ 1398 से 1401 (अंग्रेजी) पर अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1240, तारीख 1-2-1969 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका निम्नलिखित द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किया गया :—

(1) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i), तारीख 19-7-1969 के पृष्ठ 2246 से 2249 (अंग्रेजी) पर सा० का. नि. 1720, तारीख 30-6-1969

(2) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i), तारीख 13-11-1971 के पृष्ठ 4744 से 4747 (अंग्रेजी) पर सा. का. नि. 1692, तारीख 19-9-1971

(3) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i), तारीख 5-5-1973 के पृष्ठ 924 (अंग्रेजी) पर सा. का. नि. 439, तारीख 22-3-1973

(4) भारत के राजस्त्र, भाग 2, खंड 3(i), तारीख 3-5-1975 के पृष्ठ 1238 (अंग्रेजी) पर सा. का. नि. 549, तारीख 5-4-1975

(5) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i), तारीख 10-1-76 के पृष्ठ 56-57 (अंग्रेजी) पर सा. का. नि. 35, तारीख 28-11-1975

(6) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i), तारीख 24-9-1977 के पृष्ठ 2753 से 2754 (अंग्रेजी) पर सा. का. नि. 1234, तारीख 19-4-1977

(7) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i), तारीख 3-3-79 के पृष्ठ 566 (अंग्रेजी) पर सा. का. नि. 326, तारीख 28-11-1978

(8) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i), तारीख 24-3-1979 के पृष्ठ 814 से 818 (अंग्रेजी) पर सा. का. नि. 430, तारीख 27-2-1979

(9) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i), तारीख 24-3-1979 के पृष्ठ 817 से 818 (अंग्रेजी) पर सा. का. नि. 431, तारीख 5-3-1979

(10) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i), तारीख 8-10-1983 के पृष्ठ 2170 से 2171 (अंग्रेजी) पर सा. का. नि. 726, तारीख 13-9-1983

(11) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i), तारीख 10-5-1986 के पृष्ठ 853 से 855 (अंग्रेजी) पर सा. का. नि. 331, तारीख 25-4-1986

[सं. ए. 12018/5/82-बी. एस. पी. (प्रशा.]
बी. बी. सक्सेना, उप सचिव

MINISTRY OF LAW JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 16th April, 1987

G.S.R. 557.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Law, Legislative Department, Vidhi Sahitya Prakashan, Group 'C' posts Recruitment Rules, 1969, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the Vidhi Sahitya Prakashan, Legislauve Department, Ministry of Law and Justice, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Vidhi Sahitya Prakashan (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule.

5. Disqualification.—No persons,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible or appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Age for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Assistant (Excluded)	*2 (1987) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600.	Non-selection	No.	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and euducational qualifications prescribed for direct recruts will apply in the case of promotees	Period of probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.
8	9	10	11	12
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by transfer on deputation	Promotion : From amongst Upper Division Clerk-cum-Storekeeper or Upper Division Clerk-cum-Cashier in Vidhi Sahitya Prakashan with 5 years' regular service in the grade failing which with 13 years' combined regular service in the grades of Upper Division Clerk-cum-Storekeeper or Upper Division Clerk-cum-Cashier and Lower Division Clerk (Hindi-cum-English) in Vidhi Sahitya Prakashan. Transfer on deputation : From amongst Upper Division Clerk with 5 years' regular service or from Upper Division Clerk with 13 years' combined service in the grades of Upper Division Clerk/and Lower Division Clerk in Central Government Offices. Note : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or some other organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
13	14
Departmental Promotion Committee for considering promotion/confirmation-- (1) Deputy Secretary (Finance) —Chairman (2) Under Secretary (Vidhi Sahitya Prakashan) —Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
2. Stenographer (Hindi-cum-English)	*15(1987) Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted)-Ministerial	Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600.	Not applicable	No	Between 18 and 25 years (Relaxable for government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit, will in each case shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

8	9	10	11	12
Essential : (1) Matriculation with a sound knowledge of Hindi (2) be able to take down dictation in Hindi at a minimum speed of 80 words per minute. (3) have a typing speed of 25 words per minute in Hindi and 40 words per minute in English. Desirable : A University Degree with Hindi as one of the main subjects.	Not applicable	2 years in case of direct recruits only.	By transfer/on deputation, failing which by direct recruitment through staff Selection Commission.	By transfer/transfer on deputation from amongst the suitable persons already in service under the Central Government. Note : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years.

13	14
Departmental Promotion Committee for considering confirmation : (1) Deputy Secretary (Finance) —Chairman (2) Under Secretary (Vidhi Sahitya Prakashan) —Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
3. Business Executive	*1(1987) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service-Group 'C' Non-Gazetted Ministerial.	1600-50-2300-EB-60-2660	Non-Selection	No	Not applicable

8	9	10	11	12
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion, failing which by transfer on deputation	Promotion: From amongst serving Sales Assistants in Vidhi Sahitya Prakashan who have put in minimum three years of service in the grade. Transfer on deputation: From officers holding analogous or equivalent posts for persons holding the post in the pay scale of Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300 with 3 years service in that grade preferably having experience relating to the sale of Government publications. Note : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or some other organisation/Department shall ordinarily not exceed 3 years.

13	14
Departmental Promotion Committee for considering promotion/ confirmation: (1) Deputy Secretary (Finance)—Chairman (2) Under Secretary (Vidhi Sahitya Prakashan)—Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
4. Sales Assistant	*3(1987) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300	Non-Selection	No.	Not applicable.

8	9	10	11	12
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion, failing which by transfer on deputation	Promotion: From amongst Upper Division Clerk-cum-Cashier or Upper Division Clerk-cum Store keeper in Vidhi Sahitya Prakashan with 5 years regular service in the grade failing which with 13 years combined regular service in the grades of Upper Division Clerk-cum-Store keeper or Upper Division Clerk-cum-Cashier and Lower Division Clerk (Hindi-cum-English) in Vidhi Sahitya Prakashan.

8	9	10	11	12
				Transfer on deputation : From amongst persons working in the Central Government:— (a) holding analogous post or posts in the pay scale of Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040 or equivalent with 5 years' service or in the Scale of Rs. 950-20-1150-EB-25-1500 or equivalent with 13 years' service; and (b) having at least two years experience relating to the sale of publications. Note : The period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation / department shall ordinarily not exceed 3 years.

13	14
Departmental Promotion Committee for consisting promotion/ confirmation: (1) Deputy Secretary (Finance)—Chairman. (2) Under Secretary, (Vidhi Sahitya Prakashan)—Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
5. Proof Reader (Hindi)	*8(1987) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 1320-30-1560-EB-40-2040.	Non selection	No	Not applicable.

8	9	10	11	12
Not applicable	Not applicable	Not applicable.	By promotion, failing which by transfer on deputation	Promotion: Promotion : from amongst Copy Holders (Hindi) in the Vidhi Sahitya Prakashan with at least 8 years' regular service in the grade. Transfer on deputation: From amongst persons working in the Central Government: (a) Holding analogous post or posts in pay scale of Rs. 950-20-1150-EB-25-1500 or equivalent with 8 years service ; and

8	9	10	11	12
Not applicable	Not applicable	Not Applicable	By promotion, failing which by transfer on deputation.	Promotion: From amongst Copy Holders (Hindi) in the Vidhi Sahitya Prakashan with at least 8 years' regular service in the grade. Transfer on deputation: From amongst persons working in the Central Government : (a) Holding analogous posts or posts in pay scale of Rs. 950-20-1150-EB-25-1500 or equivalent with 8 years service; and (b) Having good knowledge of Hindi and well conversent with Hindi Proof reading. Note : Period of deputation including period of deputation in another ex-cardre post held immediately preceding the appointement in the same or some other organisation/Department shall oridinarily not exceed 3 years.

13	14
Departmental Promotion Committee for considering promotion/confirmation : (1) Deputy Secretary (Finance) — Chairman (2) Under Secretary (Vidhi Sahitya Prakashan) — Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
6. Upper Division Clerk-cum-Cashier.	* 1(1987) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted Ministerial.	Rs, 1200-30-1560-EB-40-2040.	Non-Selection	No	Not applicable

8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion, failing which by transfer on deputation.

12	13	14
Promotion: Permanent Lower Division Clerk in Vidhi Sahitya Prakashan (Hindi-cum-English) with 8 years' regular service in the grade and having at least 5 years' practical experience in the following matters :— (a) Cash and accounts work. (b) Handling of cash. (c) Preparation of establishment Bills and travelling allowance bills. Transfer on deputation : (a) Lower Division Clerks (excluded from Central Secretariat Clerical service) in the Legislative Department and Department of Legal Affairs with 8 years regular service in the grade and having 5 years practical experience in the following matters :— (i) Cash and Accounts work. (ii) Handling of cash.	Departmental Promotion Committee for considering promotion/confirmation :— (1) Deputy Secretary (Finance) — Chairman (2) Under Secretary— Vidhi Sahitya Prakashan — Member	Not applicable.

12	13	14
(iii) Preparation of establishment bills travelling allowance bills. (b) Lower Division Clerks (Central Secretariat Clerical Service in Ministry of Law and Justice with 8 years' regular service in the grade and having 5 years' Practical experience in the following matters :— (i) Cash and accounts work. (ii) Handling of cash (iii) Preparation of establishment bills, travelling allowance bills. Note : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or some other organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years.		

1	2	3	4	5	6	7
Upper Division Clerk-cum-Store keeper	*1 (1987) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' (non-Gazetted)-Ministrial.	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040.	Non-selection.	No.	Not applicable

8	9	10	11	12
Not applicable	Not applicable	Nil	By promotion, failing which by transfer on deputation.	Promotion : From amongst permanent Lower Division Clerks (Hindi-cum-English) of Vidhi Sahitya Prakashan with minimum eight years' regular service in the grade. Transfer on deputation : From amongst permanent Lower Division Clerks with minimum eight years ' regular service rendered in— (i) the excluded posts of Lower Division Clerks in the Legislative Department and the Department of legal Affairs of the Ministry of Law and Justice, OR (ii) the post of Lower Division Clerk of the Central Secretariat Clerical Service in the cadre of the Law Ministry, preferably having experience of Store-keeping and having adequate knowledge of Hindi. Note : Period of deputation including period of Deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or some other organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years.

13	14
Departmental Promotion Committee for considering promotion/confirmation : (1) Deputy Secretary (Finance) —Chairman (2) Under Secretary (Vidhi Sahitya Prakashan) —Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
8. Copy Holder (Hindi)	*8(1987) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500.	Not applicable	No.	Between 18 and 25 years (Relaxable for government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

8	9	10	11	12
Essential : (1) Matriculation or equivalent qualification. (2) Must have a good knowledge of Hindi and be able to type at a minimum speed of 25 words per minute in Hindi. Desirable : Experience of Hindi copy-holding/Proof reading work in a printing press or a Newspaper office.	Not applicable	2 years except where filled up by transfer.	By transfer, failing which by direct recruitment.	Transfer : Suitable persons working in similar or equivalent grades in Government of India Presses or in Central or State Government Offices.

13	14
Departmental Promotion Committee for considering promotion/ confirmation. (1) Deputy Secretary (Finance) —Chairman (2) Under Secretary (Vidhi Sahitya Prakashan) —Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
9. Lower Division Clerk (Hindi-cum-English)	*14 (1987) Subject to variation dependent on work-Load.	General Central Serrice Group 'C'- Ministerial Non-Gazetted.	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500.	Not applicable	No	Between 18 and 25 years (Relaxable for government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshasdweep).

8	9	10	11	12
Essential : (i) Matriculation or equivalent qualification. (ii) Must be able to type in English and in Hindi in Devanagari script at 30 words per minute respectively, provided that : (a) a person not possessing the said qualification in typewriting may be appointed subject to the condition that he will not be eligible for drawing increment in the pay scale or for quasi-permanancy or for confirmation in the grade till he acquires a speed in typewriting of 30 words per minute in English and 25 words per minute in Hindi in devnagari cript. (b) a physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in typewriting may be appointed subject to the condition that the Medical Board attached to the special employment Exchange for hanhandicapped or where there is no such Board the Civil Surgeon certifies that the said handicapped person is not in a fit condition to be able to type. Desirable : Clerk GD having Military experience.	Educational qualification—Yes Age—No	Promotee 2 years. Direct recruit —2 years	10% by promotion. 90% Direct Recruitment failing which by transfer.	Promotion : 10% of the vacancies to be filled by appointment from amongst group 'D' employees borne on the regular establishment of Vidhi Sahitya Prakashan in the following manner :— (i) 5% to be filled by promotion on the basis of seniority subject to the rejection of unfit from amongst those Group 'D' employees borne on the regular establishment of Vidhi Sahitya Prakashan who have completed five years' continuous service in Group 'D' post on the date of promotion and possess the educational qualifications etc. prescribed in column 8 ; and (ii) 5% through departmental examination from amongst Group 'D' employees borne on the regular establishment of Vidhi Shitya Prakashan and who— (a) possess the educational qualifications, etc. prescribed in col. 8. (b) are not more than 45 years of age, in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and 40 years of age in case of others, on the date of the examination; and (c) have completed five years of continuous service as such on the date of examination. (B) 90% by direct recruitment, failing which, by transfer. Note : In case where sufficient number of candidates are not available in any year for recruitment under the provision of paragraph (A) above the vacancies which remain to be filled by such recruitment shall not be carried over to the subsequent year. Transfer : Persons serving in similar or equivalent grades in the Central Government Offices :— Note : For Ex-servicemen : Transfer on deputation/re-employment :— The Armed Forces—Personnel due to retire or who are to

8	9	10	11	12
				The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces thereafter they may be continued on re-employment.

13	14
Departmental Promotion Committee for considering promotion/confirmation. (1) Deputy Secretary (Finance) —Chairman (2) Under Secretary (Vidhi Sahitya Prakashan) —Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
10. Senior Addressograph Operator.	*1(1987) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C', Non-gazetted Non-Ministerial.	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500.	Non-Selection	No	Not applicable.

8	9	10	11	12
Not applicable	Not applicable	2 years.	Promotion.	Promotion : From amongst Junior Addressorgraph Operators in the Vidhi Sahitya Prakashan with 5 years' regular service in that grade.

13	14
Departmental Promotion Committee for considering promotion/confirmation of : (1) Deputy Secretary (Finance) —Chairman (2) Under Secretary, (Vidhi Sahitya Prakashan) —Member	Not applicable.

Note : The Principal Rules were published vide Notification No. G.S.R. 1240 dated 1-2-1969 at pages 1398 to 1401 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated 31-5-1969 and subsequently amended by:

(i) GSR 1720 dated 30-6-1969 at pages 2246 to 2249 of Gazette of India Part II Section 3(i), dated 19-7-1969.
(ii) GSR 1692 dated 18-9-1971 at pages 4744 to 4747 of Gazette of India Part II Section 3(i), dated 13-11-1971.
(iii) GSR 439 dated 22-3-1973 at page 924 of Gazette of India Part II Section 3(i), dated 3-5-1973.
(iv) GSR 549 dated 5-4-1975 at page 1238 of Gazette of India Part II Section 3(i) dated 3-5-1975.
(v) GSR 35 dated 28-11-1975 at pages 56-57 of Gazette of India Part II Section 3(i), dated 10-1-1976.
(vi) GSR 1234 dated 19-4-1977 at pages 2753 to 2754 of Gazette of India Part II Section 3(i), dated 24-9-1977.
(vii) GSR 326 dated 28-11-1978 at page 566 of Gazette of India Part II Section 3(i), dated 3-3-1979.
(viii) GSR 430 dated 27-2-1979 at pages 814 to 818 of Gazette of India Part II Section 3(i), dated 24-3-1979.
(ix) GSR 431 dated 5-3-1979 at pages 817 to 818 of Gazette of India Part II Section 3(i) dated 24-3-1979.
(x) GSR 726 dated 13-9-1983 at pages 2170 to 2171 of Gazette of India Part II Section 3(i), dated 8-10-1983.
(xi) GSR 331 dated 25-4-86 at pages 853 to 855 of Gazette of India Part II Section 3(i), dated 10-5-1986.

[No. A. 12018/5/82-VSP (Adm.)]

V. B. SAXENA, Dy. Secy.

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 2 जून, 1987

सा. का. नि. 558 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कानूनी विधि अधिकारी (विधि मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, विधि आयोग) भर्ती नियम, 1968 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के अधीन विधि आयोग में कुछ समूह "क" और समूह "ख" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि आयोग समूह 'क' और समूह "ख" पद, भर्ती नियम, 1987 है ।

(2) ये राजपत्र के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट है ।

4 निरर्हता :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखाबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को आवेदन, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. अधीक्षक (विधिक)	3* (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय, सेवा, समूह "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय।	2375-75-3200-द.रो.-100-3500 रु.	लागू नहीं होगा	35 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण :—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में है) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी ।

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 3 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(7)	(8)
नहीं	आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर डिग्री या समतुल्य । (2) विधि में दो वर्ष का अध्यापन या अनुसंधान का अनुभव ।

8

या

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य,

(2) राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी के रूप में 4 वर्ष का अनुभव ।

या

राज्य के विधि विभाग में 4 वर्ष तक पद धारण किए हो या केन्द्रीय सरकार का ऐसा सेवक हो जिसके पास 4 वर्ष का विधि कार्य विभाग का अनुभव है।

या

अर्हित विधि व्यवसायी हो, अर्थात् ऐसा अधिवक्ता या प्लीडर हो जिसने इस रूप में 4 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो या बंबई अथवा कलकत्ता उच्च न्यायालय का अटर्नी हो जिसने उस रूप में 3 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया है या जिसने ऐसे अटर्नी या अधिवक्ता के रूप में कुल 3 वर्ष की अवधि तक विधि व्यवसाय किया हो।

टिप्पण : 1—किसी राज्य न्यायिक सेवा में या किसी राज्य के विधि विभाग में या केन्द्रीय सरकार के अधीन या किसी संस्था, विश्वविद्यालय आदि के अधीन पद धारण करने की अवधि की गणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने कोई पूर्वोक्त पद धारण किया है या वह अवधि जिसके दौरान वह विधि व्यवसायी रहा है ।

टिप्पण. 2—कोई अर्हित विधि व्यवसायी भी रहने की अवधि की गणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने राज्य न्यायिक सेवा में पद धारण किए हैं या किसी राज्य के विधिक विभाग, किसी संस्था, विश्वविद्यालय आदि में वरिष्ठ पद धारण किया है, या वह विधि में अनुभव रखने वाला केन्द्रीय सरकारी सेवक रहा है ।

टिप्पण 3—अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण 4—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई है	भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(9)	10	(11)
लागू नहीं होता ।	केवल सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	सीधे भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता	समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1. सदस्य सचिव, विधि आयोग—अध्यक्ष :— 2. विधि कार्य विभाग में अपर सचिव/संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार, जो तत्समय साधारण प्रशासनिक भारसाधक यदि कोई है—सदस्य 3. एक अन्य संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार—सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक विधि अधिकारी	5* (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	3000-100-3500-125 4500 रु.	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पणी : आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

(7)	(8)
हां, केवल सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए।	आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर डिग्री या समतुल्य। (2) विधि में 5 वर्ष का अध्यापन और/या अनुसंधान का अनुभव। या (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य। (2) विधि में 7 वर्ष का अध्यापन और/या अनुसंधान का अनुभव। या राज्य के विधिक विभाग में 7 वर्ष तक पद धारण किए हो या केन्द्रीय सरकार के विधि विभाग में पद धारण किए हुए है जिसे विधि कार्य में 7 वर्ष का अनुभव हो। या अर्हित विधि व्यवसायी हो। टिप्पण 1. अधिवक्ता या प्लीडर हो जिसने उस रूप में 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो या बंबई या कलकत्ता का अटर्नी हो जिसने उस रूप में 5 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो या जिसने अटर्नी और अधिवक्ता के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया है। टिप्पण 2. किसी राज्य न्यायिक सेवा में या किसी राज्य के विधि विभाग में या केंद्रीय सरकार के अधीन या किसी संस्था, विश्वविद्यालय आदि के अधीन पद धारण करने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने कोई पूर्वोक्त पद धारण किया है या वह अवधि जिसके दौरान वह विधि व्यवसायी रहा है। टिप्पण 3. कोई अर्हित विधि व्यवसाय रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने राज्य न्यायिक सेवा में पद धारण किए हैं या किसी राज्य के विधिक विभाग किसी संस्था, विश्वविद्यालय आदि में वरिष्ठ पद धारण किया है, या वह विधि कार्य में अनुभव रखने वाला केंद्रीय सरकारी सेवक रहा है। टिप्पण 4. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 5. अनुभव संबंधी अपेक्षा (अपेक्षाएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तथ शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(9)	(10)	(11)
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हां	प्रोन्नति अधिकारियों के संबंध में 2 वर्ष और सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष।	(1) प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ।—20 प्रतिशत (2) प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । —40 प्रतिशत (3) सीधी भर्ती द्वारा । टिप्पणी : ऐसे अधिकारियों के बारे में जो इन पदों के 1200-1600 के वेतनमान में सहायक विधि अधिकारी के रूप में उन्नयन किए जाने के पूर्व नियमित आधार पर 1100-1600 रु. के वेतनमान में कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद धारण करते हैं, यह समझा जाएगा कि वे इन नियमों के प्रख्यापन की तारीख को 1200-1600 रुपए के उन्नयित वेतनमान में नियुक्त किए गए हैं ।

(12)	(13)	(14)
प्रोन्नति : अधीक्षक (विधि) जिसने उस श्रेणी में 7 वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों/सरकारी अनुसंधान संस्थाओं/विश्वविद्यालयों के अधीक ऐसे अधिकारी :— (क) (1) जो नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण करते हैं; या (2) जिन्होंने 2200-4000 रु. के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 5 नियमित सेवा की हैं, या (3) जिन्होंने 2000-3500 रु. के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 8 वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। (फीडर प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे उसी प्रकार प्रतिनियुक्त किए गए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य,संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. सदस्य सचिव, विधि आयोग—सदस्य 3. अपर सचिव, विधि कार्य विभाग—सदस्य समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :— 1. सदस्य सचिव, विधि आयोग—अध्यक्ष 2. अपर सचिव, विधि कार्य विभाग—सदस्य 3. संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार (प्रशा.) विधि कार्य विभाग—सदस्य टिप्पणी : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियों, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किंतु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी ।	प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3 उप-विधि अधिकारी	3* (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	3700-125-4700-150-5000 रु	चयन	45 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी.—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी ।

(7)	(8)
हां, केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए।	आवश्यक — (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर डिग्री या समतुल्य। (2) विधि में 8 वर्ष का अध्यापन और/या अनुसंधान का अनुभव। या (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य। (2) विधि में 10 वर्ष का अध्यापन और/या अनुसंधान का अनुभव। राज्य न्यायिक सेवा का 10 वर्ष तक सदस्य रहा है। या राज्य के विधि विभाग में 10 वर्ष तक पद धारण किया है या केंद्रीय सरकार का ऐसा सेवक है जिसे विधिक कार्य का 10 वर्ष का अनुभव है। या अर्हित विधि व्यवसायी है। टिप्पणी 1— अधिवक्ता या प्लीडर हो जिसने उस रूप में 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो, या बम्बई या कलकत्ता का अटर्नी हो जिसने उस रूप में 8 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो या जिसने अटर्नी और अधिवक्ता के रूप में कुल मिलाकर 8 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया है। टिप्पणी 2— किसी राज्य न्यायिक सेवा में या किसी राज्य के विधि विभाग में या केंद्रीय सरकार के अधीन या किसी संस्था, विश्वविद्यालय आदि के अधीन पद धारण करने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने कोई पूर्वोक्त पद धारण किया है या वह अवधि जिसके दौरान वह विधि व्यवसायी रहा है। टिप्पणी 3— कोई अर्हित विधि व्यवसाय रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने राज्य न्यायिक सेवा में पद धारण किए है या किसी राज्य के विधिक विभाग किसी संस्था, विश्व विद्यालय आदि में वरिष्ठ पद धारण किया है, या वह विधि-कार्य अनुभव रखने वाला केंद्रीय सरकारी सेवक रहा है। टिप्पणी 4— अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पणी 5— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है (है) चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(9)	(10)	(11)
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हां	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	(1) प्रोन्नति द्वारा—50 प्रतिशत (2) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है/स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा—50 प्रतिशत।

(12)	(13)	(14)
प्रोन्नति :— ऐसा सहायक विधि अधिकारी जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है। टिप्पणी :—कनिष्ठ विधि अधिकारी के उन्नयन के पूर्व कनिष्ठ विधि अधिकारी (पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान 1100–1600) की श्रेणी में	समूह "क" प्रोन्नति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1 अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2 अपर सचिव/संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ स्थानांतरण पर नियुक्ति के लिए किसी अधिकारी का चयन करते समय और सीधी

(12)	(13)	(14)
की गई नियमित सेवा को भी सहायक विधि अधिकारी के रूप मे 5 वर्ष की नियमित सेवा के लिए गणना में लिया जाएगा। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है/स्थानान्तरण) . केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों/सरकारी अनुसंधान संस्थाओं/विश्वविद्यालयो के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते है, या (2) जिन्होने 3000-4500 रु. के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। टिप्पणी : — स्थानान्तरण पर अधिकारियों के संगठन मे आमेलित नहीं किया जाएगा। (फीडर प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्त किए गए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग मे इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	जो तत्समय विधायी विभाग में साधारण प्रशासन का भारसाधक भी है, यदि कोई है —सदस्य 3 सदस्य सचिव, विधि आयोग—सदस्य 4 एक अन्य संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार—सदस्य समूह "क" प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1. सदस्य सचिव, विधि आयोग—अध्यक्ष 2 अपर सचिव/संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार के विधि कार्य विभाग मे तत्समय साधारण प्रशासन का भारसाधक हैं, यदि कोई है —सदस्य 3. एक अन्य संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार—सदस्य टिप्पणी : —पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजे जाएंगे, किंतु, यदि उनका अनुमोदन नही करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. अपर विधि अधिकारी	3* (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित	4500-150-5700 रु.	चयन	50 वर्ष से अधिक नही (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत मे अध्यार्थियों से (उन से भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

(7)	(8)
हां, केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए।	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि मे मास्टर डिग्री या समतुल्य। (ii) विधि में 10 वर्ष का अध्यापन और/या अनुसंधान का अनुभव हो। या (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि मे डिग्री या समतुल्य .

8

(ii) विधि में 12 वर्ष का अध्यापन और /या अनुसंधान का अनुभव हो।

या

राज्य न्यायिक सेवा का 12 वर्ष तक सदस्य रहा है

या

राज्य के विधि विभाग में 12 वर्ष तक पद धारण किया है या ऐसा केन्द्रीय सरकार का सेवक जिसके पास विधिकार्य में 12 वर्ष का अनुभव है।

या

अर्हित विधि व्यवसायी हो :

टिप्पण : (1) अधिवक्ता या प्लीडर हो जिसने उस रूप में 12 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो; या बम्बई कलकत्ता का अटर्नी हो जिसने उस रूप में 8 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो य जिसने अटर्नी और अधिवक्ता के रूप में कुल मिलकार 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया, है ।

(2) किसी राज्य न्यायक सेवा मे या किसी राज्य के विधि विभाग में या केन्द्रीय सरकार अधीन या किसी संस्था, विश्वविद्यालय आदि के अधीन पद धारण करने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने कोई पूर्वोक्त पद धारण किया है या वह अवधि जिसके दौरान वह विधि व्यवसायी रहा है।

(3) कोई अर्हित विधि व्यवसाय रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने राज्य न्यायिक सेवा में पद धारण किए हैं या किसी राज्य के विधिक विभाग किसी संस्था, विश्वविद्यालय आदि में वरिष्ठ पद धारण किया है, या वह विधि-कार्य में अनुभव रखने वाला केन्द्रीय सरकारी सेवक रहा है।

(4) अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

(5) अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है(हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उस समुदायों के अभ्यार्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(9)	(10)	(11)
आयु : हां शैक्षिक अर्हता : नहीं	केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	(1) प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) 33-1/3% (2) प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा 66⅔%

(12)	(13)	(14)
प्रोन्नति : ऐसा उप विधि अधिकारी जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण: (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों/सरकारी अनुसंधान संस्थाओं/विश्वविद्यालयों के अधीन ऐसे अधिकारी— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हैं या	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सदस्य-सचिव, विधि आयोग —सदस्य 3. अपर सचिव, विधि कार्य विभाग समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1. सदस्य सचिव, विधि आयोग —अध्यक्ष 2. अपर सचिव, विधि कार्य विभाग —सदस्य 3. संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार प्रशासन	(प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण) (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/स्थानान्तरण पर नियुक्ति के लिए चयन करते समय और सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

12	13
(2) जिन्होंने 3700-5000 रु. के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और	का भारसाधक, विधिक कार्य विभाग —सदस्य
(ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है ।	टिप्पण : पूर्ति से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी ।
(फीडर प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे उसी प्रकार प्रतिनियुक्ति किए गए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	
टिप्पण : संविदा पर अधिकारी संगठन में स्थायी आमेलन का पात्र नहीं होगा ।	

[सं. ए-12018(4)/86-प्र-III (वि.का.)]

एस.एन. धीर, अवर सचिव

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 2nd June, 1987

G.S.R. 558.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Junior Law Officers (Ministry of Law, Department of Legal Affairs, Law Commission) Recruitment Rules, 1968, except as ruspects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of certain group 'A' and Group 'B' posts in the Law Commission, under the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, namely :—

1. Short title and commencements.—(1) These rules may be called the Law Commission (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay :—The number of said posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age limit, other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification : No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	7
1. Superintendent (Legal)	3(1987) Subject to	General Central Service Group 'B'	Rs. 2375-75-3200 EB-100-3500	Not Applicable	Not exceeding 35 years. Relaxable for Government	No

1	2	3	4	5	6	7
	variation dependent on workload.	Gazetted Non-Ministerial			servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	Period of probation, if any.
8	9	10
Essential: (i) Master's degree in Law of a recognised University or equivalent. (ii) Should have two years teaching and/or research experience in Law. OR (i) Degree in Law of a recognised University or equivalent. (ii) Should have 4 years experience as an officer of the State Judicial Services. OR Should have held a post in the Legal department of the State for 4 years or a Central Government servant who has had experience in legal affairs for 4 years. OR Should be a qualified Legal Practitioner i.e. an advocate or a pleader who has practised as such for 4 years or an attorney of the High Court of Bombay or Calcutta who has practised as such for 3 years, or has practised as such attorney and an advocate for a total period of 3 years. Note:—1. In computing the period during which a person has held an office in the State Judicial Service or in the Legal Department or a State or under the Central Government or under an institution, university, etc, there shall be included any period during which he has held any of the other aforesaid offices or any period during which he has been a Legal Practitioner. 2. In computing the period during which a person has been a qualified Legal practitioner, there shall be included any period during which he has held any offices in the State Judicial Service or has held a superior post in the Legal Department of a State, an Institution, University, etc. has been a Central Government servant having experience in Legal Affairs. 3. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	2 years for direct recruits only.

8	9	10
4. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available as fill up the vacancies reserved for them.		

Method of recruitment. Whether by direct or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its compositions	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13	14
By direct recruitment.	Not applicable.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation): 1. Member-Secretary, Law Commission—Chairman. 2. Additional Secretary/Joint Secretary and Legal Adviser for the time being incharge of General Administration, if any, in the Department of Legal Affairs—Member. 3. Another Joint Secretary and Legal Adviser—Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

1	2	3	4	5	6	7	8
2. Assistant Law Officer.	*5 (1987)	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs. 3000-100-3500-125-4500	Selection	Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government servants upto 5 year sin accordance with the instructions or order issued by Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Yes, for direct recruits only	Essential: (i) Master's degree in Law of a recognised University or equivalent. (ii) Should have had 5 years' teaching and/or research experience in Law. OR (i) Degree in Law of a recognised University or equivalent. (ii) 7 years' teaching and/or research experience in Law. OR Should have held a post in the legal Department of a State for 7 years or a Central Governentt who has had experience in Legal Affairs for 7 years. OR Should be a qualified legal practitioner. Note: 1. An advocate or a pleader who has practised as such for 7 years or an attorney of High Court of Bombay or Calcutta who has practised as

*Subject to variation dependent on workload.

8

such for 5 years or has practised as such as attorney and an Advocated for a total period of 5 years.

Note 2: In computing the period during which a person has held any office in the State Judicial Service or in the legal Department of a State or under the Central Government or under an Institution, University, etc., there shall be included any period during which he has held any of the other aforesaid offices or any period during which he has been a legal practitioner.

Note 3: In computing the period during which a person has been a qualified legal practitioner, there shall be included any period during which he has held any office in the State Judicial Service or has held a superior post in the legal Department of a State, and Institution, University etc. or has been a Central Government servant having experience in legal Affairs.

Note 4: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 5: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Puglic Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities posessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Age: No EQ: Yes.	2 years for promotec Officers and one year for direct recruitments.	(i) By promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract) —20% (ii) By transfer on deputation (including short term contract)/transfer failing which by direct recruitment—40%	Promotion: Superintendent (Legal) with 7 years' regular service in the grade. Transfer on deputation (Including short-term contract)/ Transfer:- Officers under the Central/ State Governments/Union territories/Government Re-	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for consideraing promotion):— 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman 2. Member-Secretary, Law Commission—Member	Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

(11)	(12)	(13)
(iii) By direct recruitment—40% Note: The officers holding the post of Junior Law Officer in the scale of 1100-1600 on a regular basis prior to the upgradation of these posts as Assistant Law Officer in the scale of Rs. 1200-1600 shall be deemed to have been appointed in the upgraded scale of pay of Rs. 1200-1600 on the date of promulgation of these rules.	search Institutions/Universities:— (a)(i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs 2200-4000 or equivalent: OR (iii) with 8 years' regular service in posts the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. (The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similary deputationsts shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years .	3. Additional Secretary, Department of Legal Affairs—Member. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation): - 1. Member-Secretary, Law Commission—Chairman. 2. Additional Secretary, Departmental of Legal Affairs — Member. 3. Joint Secretary & Legal Adviser (Admn.) Department of Legal Affairs — Member. Note: The Proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the U.P.S.C. shall be held.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. Deputy Law Officer.	3* (1987) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs.3700-125-4700-150-5000.	Selection	Not exceeding 45 years. (Relaxable for Government servants upto 50 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep	Yes, for direct recruits only.	Essential : (i) Master's degree in law of a recognised University or equivalent. (ii) Should have 8 years' teaching and/or research experience in Law. OR (i) Degree of Law of a recognised University or equivalent; (ii) 10 years' teaching and/or research experience in Law. OR (i) Should have been a member of a State Judicial Service for 10 years. Should have held a post in the legal department of a State for 10 years or a Central Government servant who has had experienc in legal affairs for 10 years. OR Should be a qualified Legal practitioner.

1	2	3	4	5	6	7	8
							Note : 1. An Advocate or pleader who has practised as such for 10 years or an attorney of the High Court of Bombay or Calcutta who has practised as such for 8 years or has practised as such as an attorney and Advocate for a total period of 8 years. Note : 2 In computing the period during which a person has held any office in the State Judicial Service or in the legal department of a State or under the Central Government or under an Institution, University, etc., there shall be included any period during which he has been a legal practitioner. Note 3 : In computing the period during which a person has been a qualified legal practitioner, there shall be included any period during which he has held any office in the State Judicial Service or has held a superior post in the legal Department of a State, an Institution, University, etc., or has been a Central Government servant having experience in legal affairs. Note 4 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 5 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Age : No Ed.Q. : Yes	1 year for direct recruits.	(i) By promotion—50% (ii) By transfer on deputation (including short-term contract)/transfer	Promotion : Assistant Law Officer with 5 years regular service in the grade. "Note : Regular service rendered in the grade of Junior	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) 1. Chairman/Member, Union Public Service	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while selecting an officer for appointment on transfer on

9	10	11	12	13	14
		failing which by direct recruitment.— —50%	Law Officer (Pre-revised scale of Rs.1100-1600) prior to the up-gradation of the posts of Junior Law Officers will also be computed for reckoning 5 years regular service as Assistant Law Officer. Tranfer on deputation (including short-term contract)/transfer : Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Government Research Institutions/Universities :— (a)(i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs.3000-4500 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. Note : The Officers on transfer will not be absorbed in the organisations. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediatly preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed 4 years).	Commission— —Chairman. 2. Member/Secretary Law Law Commission—— —Member. 3. Additional Secretary/Joint Secretary and Legal Adviser for the time being in-charge of General Administration, if any, in the Department of Legal Affairs —Member. 4. Another Joint Secretary and Legal Adviser —Member. Group 'A' Departmental Promotion Committee : (for considering confirmation) 1. Member-Secretary, Law Commission— —Chairman. 2. Additional Secretary/Joint Secretary and Legal Adviser for the time being in-charge of General Administration, if any in the Department of Legal Affairs— Member. 3. Another Joint Secretary and Legal Adviser— —Member. NOTE : The Proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	deputation (including short-term contract) transfer and making direct recruitment.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4. Additional Law Officer.	3* (1987) *Subject to variation on dependent on work-load.	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs.4500-150-5700	Selection	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age	Yes, for direct recruits only.	Essential : (i) Master's degree in Law of a recognised University or equivalent. (ii) Should have 10 years teaching and/or research experience in Law. OR (i) Degree of Law of a recognised University or equivalent. (ii) 12 years' teaching and/or

1	2	3	4	5	6	7	8
						limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	research experience in Law. OR Should have been a member of a State Judicial Service for 12 years. OR Should have held a post in the legal department of a State for 12 years or a Central Government servant who has had experience in legal affairs for 12 years. OR Should be a qualified Legal Practitioner. Note 1 : An Advocate or pleader who has practised as such for 12 years or an attorney of the High Court of Bombay or Calcutta who has practised as such for 8 years or has practised as such as an attorney and Advocate for a total period of 10 years. Note 2 : In computing the period during which a person has held any office in the State Judicial Service or in the legal department of a State or under the Central Government or under an Institution, University, etc., there shall be included any period during which he has been a legal practitioner. Note 3 : In computing the period during which a person has been a qualified legal practitioner, there shall be included any period during which he has held any office in the State Judicial Service or has held a superior post in the legal department of a State, an Institution, University, etc., or has been a Central Government servant having experience in legal affairs. Note 4 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 5 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Age : No EQ : Yes	1 year for direct recruits only.	(i) By promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract) —33⅓% (ii) By transfer on deputation (including short-term contract)/ Transfer failing which by direct recruitment. —66⅔%	Promotion : Deputy Law Officer with 5 years' regular service in the grade. Transfer on deputation (including short-term contract)/transfer : Officers under the Central/ State Government/Union Territories/Government Research Institutions/Universities— (a)(i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 3700—5000 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7. (Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall not exceed 5 years. Note : The officer on contract will not be eligible for permanent absorption in the organisation.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman 2. Member, Secrerary Law Commission—Member 3. Additional Secretary, Department of Legal Affairs —Member Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation : 1. Member—Secretary, Law Commission —Chairman 2. Additional Secretary, Department of Legal Affairs —Member 3. Joint Secretary and Legal Adviser Incharge Administration, Department of Legal Affairs —Member Note : The Proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commssion shall be held.	Consultation with with Union Public Service Commission necessary while selecting an officer for appointment on transfer deputation (including short-term contract)/ Transfer and making directr recruitment.

[No. A-12018(4)/86-Admn. III(LA)]
S. N. DHIR, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 29 जून, 1987

शुद्धि-पत्र

सा.का.नि. 559.—इस मंत्रालय की दिनांक 21-1-1987 की समसंख्यक अधिसूचना में, कलाकार, डिजाइनर और एन्ग्रेवर के पद के संबंध में, अनुसूची के कालम 12 के मद (ख) में अंको को "8" पढ़ा जाए न कि "7" पढ़ा जाए ।

[संख्या एफ 4(2)/86-करेंसी (बी एनपी)]
राजीव कलसी, विशेष अधिकारी
(करेंसी और सिक्का निर्माण)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 29th June, 1987

CORRIGENDUM

G.S.R. 559.—In this Ministry's Notification of even number dated 21-1-1987 regarding the post of Artist, Designer and Engraver, in item (b) of Column 12 of the Schedule, the figure should be read as "8" and not "7".

[No. F. 4(2)/86-CY(BNP)]
RAJIV KALSI, Spl. Officer (Currency & Coinage)

नई दिल्ली, 30 जून, 1987

सा का. नि 560 संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा प्रतिभूति मुद्रणालय (समूह 'ग' पद) भर्ती नियमावली, 1985 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1 (1) इन नियमों को प्रतिभूति मुद्रणालय (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1987 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. प्रतिभूति मुद्रणालय (समूह 'ग' पद) भर्ती नियमावली, 1985 की अनुसूची में क्रम संख्या 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात :—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8
14. लेखाकार	5* *कार्यभार पर निर्भरता के अनुरूप परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित) (सचिवीय)	550-20-650-25-800 रुपए	प्रवरण	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

9	10	11	12	13
2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा/स्थानान्तरण द्वारा	पदोन्नति : मुख्य लिपिक और खजाची जिनकी 425-600 रुपए के पदक्रम में या उसके समकक्ष 6 वर्ष की नियमित सेवा हो और उप स्टोर कीपर जिसको 425-700 रुपए के पदक्रम में 5 वर्ष की नियमित सेवा हो। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारी जो संवर्ग पदधारी हों या जिनको 425-700 रुपए के पदक्रम में 5 वर्ष की नियमित सेवा हो या 425-600 रुपए या उसके समकक्ष के पदक्रम में 6 वर्ष की नियमित सेवा हो और जिन्हें स्टोर तथा लेखा व बजट कार्य का अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे : (1) महाप्रबन्धक—अध्यक्ष (2) कार्यप्रबन्धक—सदस्य (3) वित्त मंत्रालय, वित्तीय कार्य विभाग का अवर सचिव या उससे ऊपर के स्तर का एक अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
15 स्टोर कीपर	1* *कार्यभार पर निर्भरता के अनुरूप परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	550-20-650-25-800 रुपए	प्रवरण-भिन्न	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

9	10	11	12	13
2 वर्ष]	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : ऐसा उप स्टोर कीपर जिसने पदक्रम में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो जिसके न होने पर उप-स्टोर कीपर तथा सहायक स्टोर कीपर के पदक्रम में कुल मिलाकर 6 वर्ष की नियमित सेवा हो जिसमें कम से कम उप-स्टोर कीपर के पदक्रम में तीन वर्ष की सेवा होनी चाहिए।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :— 1. महाप्रबन्धक—अध्यक्ष 2. कार्यप्रबन्धक—सदस्य 3 वित्त मंत्रालय वित्तीय कार्य विभाग का अवर सचिव या उससे ऊपर के स्तर का एक अधिकारी— सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
16. उप स्टोर-कीपर	1* *कार्यभार पर निर्भरता के अनुरूप परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	425-15-500-ई.बी-15-560-20-700 रुपये	प्रवरण भिन्न	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

9	10	11	12	13
2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : ऐसा सहायक स्टोर कीपर जिसने पदक्रम में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :— 1 महाप्रबन्धक—अध्यक्ष 2. कार्य प्रबन्धक—सदस्य 3. वित्त मंत्रालय, वित्तीय कार्य विभाग का अवर सचिव या उससे ऊपर के स्तर का एक अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
17. सहायक स्टोर कीपर	1* *कार्यभार पर निर्भरता के अनुरूप परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित) (अननुसचिवीय)	380-12 440-द.रो. -15-560-द.रो.-20 640 रुपए	प्रवरण	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

9	10	11	12	13
2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : स्नातक उच्च श्रेणी लिपिक जिसने पदक्रम में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो या निम्न श्रेणी लिपिक और उच्च श्रेणी लिपिक के पदक्रम में मिलाकर बस वर्ष सेवा की हो।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :— 1. महाप्रबन्धक—अध्यक्ष 2. कार्य प्रबन्धक—सदस्य 3. वित्त मंत्रालय, वित्तीय कार्य विभाग का अवर सचिव या उससे ऊपर के पद का एक अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6	7
18. कैंटीन एवं सफाई पर्यवेक्षक	1* *कार्यभार पर निर्भरता के अनुरूप परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित) (अननुसचिवीय)	380-12-440-द.रो.-15-560-द.रो.-20-640 रुपए	प्रवरण	28 वर्ष। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिलनीय)। टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख (अंडमान, निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के प्रत्याशियों को छोड़कर) प्रत्याशियों से भारत में प्रार्थना पत्र प्राप्त किए जाने की अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती किए जाने के मामले में आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों को नाम भेजने के लिए कहा जाएगा।	लागू नहीं होता

	8	9	10	11	12	13
	अनिवार्य :- सफाई निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या स्वास्थ्य और सफाई का में डिप्लोमा सहित किसी प्रख्यात संगठन में एक वर्ष का अनुभव या उच्चतम माध्यमिक परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होटल प्रबन्ध की खान-पान सेवा क. डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र के साथ किसी औद्योगिक संगठन में कम से कम एक वर्ष का अनुभव। टिप्पणी :—अनुभव संबंधी अपेक्षा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के संबंधित उम्मीदवारों के मामले में ढील दी जा सकती है, यदि चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो कि आवश्यक अनुभव रखने वाले ऐसे प्रत्याशी उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है।	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति : ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने पदक्रम में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो या समूह 'घ' सेवा के ऐसे कैंटीन सहायक (कूपन क्लर्क) (200-250 रुपए) काउण्टर सेल्समैन (210-270 रुपए) जिन्होंने पदक्रम में 7 वर्ष नियमित सेवा की हो।	समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :- 1. महाप्रबन्धक—अध्यक्ष 2. कार्य प्रबन्धक—सदस्य 3. वित्त मंत्रालय, वित्तीय कार्य विभाग का अवर सचिव या उससे ऊपर के पद का एक अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
10 फार्मेसिस्ट	1 *कार्यभार पर निर्भरता के अनुरूप परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	330-10-380-द.रो. -12-500-द रो.-15 560 रुपए	लागू नहीं होता	25 वर्ष। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक छिथिलनीय) टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख) अंदमान, निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के प्रत्याशियों को छोड़कर) प्रत्याशियों से भारत में प्रार्थना पत्र प्राप्त किए जाने की अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भरती किए जाने के मामले में आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों को नाम भेजने के लिए कहा जाएगा।	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
अनिवार्य : (क) फार्मेसी अधिनियम, 1948 (1948 का 8वां की धारा 31 या धारा 32 के खंड (ग) के अंतर्गत पंजीकरण या ऐसी योग्यता जो उम्मीदवार को पंजीकरण का अधिकारी बनाती हो या (ख) फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 31 के खंड (घ) के अंतर्गत पंजीकरण। वांछनीय : किसी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट औषधालय में व्यावहारिक अनुभव।	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे : 1. महाप्रबन्धक— अध्यक्ष 2. कार्य प्रबन्धक—सदस्य 3 वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग का अवर सचिव या उससे ऊपर के पद का एक अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होना

पाद टिप्पणी :— मूल नियमावली अधिसूचना संख्या एफ 12/21/82—करेंसी दिनांक 14-5-1985-सा. का. नि.— संख्या 32, दिनांक 9-9-1986 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी।

[सं. एफ. 12 (21)/82 करेंसी]

ए. एन. सक्सेना, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 30th June, 1987

G.S.R. 560.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, thePresident hereby makes the following rules to amend the Security Printing Press (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Security Printing Press (Group 'C' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Security Printing Press (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1985, after serial number 13 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	4	8
14 ACCOUNTANT	*5 *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted) (Ministerial)	Rs. 550-20-650 25-800.	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12	13
2 years	Promotion, failing which, by transfer on deputation/ transfer.	Promotion : Head Clerk and Cashier with 6 years' regular service in the grade of Rs. 425—600 or equivalent and Deputy Store Keeper with 5 years' regular service in the grade of Rs. 425—700. Transfer on Deputation/ Transfer : Central Government servants holding analogous posts or having 5 years' regular service in the grade of Rs. 425—700 or 6 years' regular service in the grade of Rs. 425—600 or equivalent and having experience of Cash and Accounts and Budget work. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years.)	Group 'C' Departmental Promotion Committee Comprising :— (1) General Manager—Chairman (2) Works Manager—Member (3) An Officer of the Ministry of Finance Department of Economic Affairs, of or above the rank of an Under Secretary —Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
15. Store Keeper	1* Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted Non-Ministerial).	Rs. 550-20-650-25-800.	Non-Selection.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12	13
2 years.	By promotion.	Promotion : Deputy Store-Keeper with a regular service in five years in the grade, failing which combined regular service of six years in the grades of Deputy Store Keeper and Assistant Store Keeper of which atleast three years should be in the grade of Deputy Store Keeper.	Group 'C' Departmental Promotion Committee, comprising :— (1) General Manager —Chairman (2) Works Manager—Member (3) An officer of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, of or above the rank of Under Secretary —Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7	8
16. Deputy Store Keeper	1* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted) (Non-Ministerial).	Rs. 425-15-500-E5-15-560-20-700.	Non-Selection.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12	13
2 Years.	By promotion	Promotion : Assistant Store Keeper with a regular service of three years in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee, comprising :— (1) General Manager —Chairman (2) Works Manager—Member (3) An Officer of the Ministry of Finance Department of Economic Affairs, of or above the rank of an Under Secretary. —Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
17. Assistant Store Keeper	1* *Subject to variation in dependent on work-load.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted) (Non-Ministerial)	Rs. 380-12-440-EB-15-560-EB-20-640.	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12	13
2 years.	By promotion.	Promotion : Graduate Upper Division Clerks with a regular service of 3 years in the grade or a combined service of 10 years in L D C. and U D C grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee, comprising :— (1) General Manager —Chairman (2) Works Mahager—Member (3) An Officer of the Ministry of Finance Department of Economic Affairs, of or above the rank of an Under Secretary. -Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
18 Canteen and Sanitary Supervisor	1* *Subject to variation dependet on work load.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted) (Non-Ministerial)	Rs 380-12-440-EB-15-560-EB-20-640.	Selection	28 years Relaxable in the case of Government servants upto 35 years in accordance with the instructions issued by the Central Government Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India other than there in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. In the case of Recruitment through Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	Not applicable

8	9	10
Essential : Diploma in Sanitary Inspectors course or Diploma in Health and Sanitation with at least one year's experience in any organisation of repute or Higher Secondary with Diploma or certificate in Catering Services of Hotel Management from any recognised institutes with atleast 1 year's experience in any industrial organisation. Note : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of the candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe if the competent authority is satisfied that at any stage of selection sufficient number of such candidates, with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	2 years.	By promotion failing which, by direct recruitment.

11	12	13
Promotion : UDCs with three years regular service in the grade or Canteen Assistants (Coupen Clerk) (Rs. 200—250), Counter Salesman (Rs. 210—270) from Group 'D service with 7 years regular service in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee comprising :— (1) General Manager—Chairman. (2) Works Manager—Member. (3) An officer of the Ministry of Finance Department of Economic Affairs, of or above the rank of an Under Secretary.—Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5
19. Pharmacist	1* *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted) (Non-Ministerial)	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Not applicable

6	7	8
25 years (Relaxation for Government servants upto 35 years in accordance with orders issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep. In the case of Recruitment through Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto the employment exchanges are asked to submit the names.	Not applicable.	Essential : (A) Registration under clause (c) of section 31 of the section 32 of the Pharmacy Act 1948 (8 of 1948) or qualification entitling a candidate for such registration, or (B) Registration under clause (d) of section 31 of the Pharmacy Act, 1948 Desirable : Practical experience in a Government Hospital or a private dispensary.

9	10	11	12	13
2 years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee, comprising :— (1) General Manager—Chairman (2) Works Manager—Member (3) An officer of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, of or above the rank of an Under Secretary.—Member.	Not applicable

Footnote:—Principal Rules published vide Notification No. F.12/2182-CY, dt 14-5-1985—G.S.R. No 32, dt. 9-8-1986.

[No. F.12(21)/82-Cy.]

RAJIV KALSI, Special Officer (Currency & Coinage)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1987

सा.का.नि. 561 :—यतः मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) की धारा 29, 30, 31, 32 और 33-क से 32-घ तक के उपबन्ध मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड पर, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था है और जिसका उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों का वित्त पोषण करना है, लागू हों ।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त धारा 29, 30, 31 और 32-क से 32-घ तक के उपबन्ध मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड पर लागू होंगे ।

[एफ. संख्या 5(9)/86-आई०एफ०II]
पी० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

(Banking Division)

New Delhi, the 7th July, 1987

G.S.R. 561.—Whereas the Government of the State of Madhya Pradesh have requested that the provisions of sections 29, 30, 31, 32 and 32A to 32D of the State Financial Corporations Act, 1951 (63 of 1951) may be made applicable to the Madhya Pradesh Audyogik Vikas Nigam Limited, an institution established by the State Government, which has for its object the financing of industrial concerns;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 46 of the said Act, the Central Government hereby directs that the provisions of the said sections 29, 30, 31 and 32A to 32D shall apply to the said Madhya Pradesh Audyogik Vikas Nigam Limited.

[F. No. 5(9)/86-IF.II]
P. K. MALHOTRA, Under Secy.

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1987

सा०का०नि० 562 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की सरकारी अधिसूचना सं. सा०का०नि० सं० 1076 तारीख 10 दिसम्बर, 1986 में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड [सहायक (तकनीकी)] भर्ती नियम, 1986 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड [सहायक (तकनीकी)] भर्ती (संशोधन) नियम, 1987 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड [सहाय (तकनीकी)] भर्ती नियम, 1986 की अनुसूची में, स्तम्भ 14 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नही है ।"

[सं० 2 फा० सं० ए० 12018/5/85-प्रशा० 1 (बी)]
एस० वी० वर्दराजन, अवर सचिव

(Department of Revenue)

New Delhi, the 14th July, 1987

G.S.R. 562.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Board of Excise and Customs [Assistant (Technical)] Recruitment Rules, 1986 published with the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. A-12018/3/85-Ad. IB, G.S.R. No. 1076, dated the 10th December, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Board of Excise and Customs [Assistant (Technical)] Recruitment (Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Board of Excise and Customs [Assistant (Technical)] Recruitment Rules, 1986, for the entry under column 14, the following entry shall be substituted, namely :—

"Consultation with the Union Public Service Commission not necessary."

[No. 2 F. No. 12018/5/85-Adm. I(B)]
S. V. VARADARAJAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1987

सं. 279/87-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 563 :—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 70 की उपधारा (2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, ऐसे माल को अर्थात् आधानों में रखे गये द्रव हीलियम गैस को उस माल के रूप में इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करती है जिन पर उस धारा के उपबंध लागू होंगे जब वे भाण्डागार में जमा किए जाते हैं और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना स० 122-सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1963 मे निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, मद सं० (1) में, "टैंकों में रखे गए डीजल तेल और भट्ठी तेल" शब्दों के पश्चात् "और आधानों में रखे गये द्रव हीलियम गैस" शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 279/87-सीमाशुल्क-फा० सं. 305/9/86-एफ०टी०टी०]
आर० के० कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 16th July, 1987

No. 279|87-CUSTOMS

G.S.R. 563.—In pursuance of sub-section (2) of section 70 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby specifies the goods, namely, liquid helium gas kept in containers, as goods to which the provisions of that section shall apply when they are deposited in a warehouse;; and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 122-Customs, dated the 11th May, 1963, namely:—

In the said notification, in item (1), after words "diesel oil and furnace oil kept in tanks", the words "and liquid helium gas kept in containers" shall be inserted.

[No. 279|87-Customs-F. No. 305|9|86-FTT.]
R. K. KAPOOR, Under Secy.

वस्त्र मंत्रालय

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1987

सा.का.नि. 564—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के अन्तर्गत राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय में वर्ग "ग" पद के भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1 संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:—(क) ये नियम विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय अक्षर लेखन कलाकार (वर्ग "ग" पद) भर्ती नियम, 1987 कहे जा सकेंगे।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में दिए गए अनुसार होंगे।

3 भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि:—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 तक में दिए गए अनुसार होंगी।

4 निरर्हताएँ:—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया हो, अथवा

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू वैयक्तिक विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार विद्यमान है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

5 शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में शिथिलता तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या प्रवरण पद या अप्रवरण पद	आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
अक्षर लेखन कलाकार	1* (1987) *कार्यभार पर निर्भर विभिन्नता के अधीन।	वर्ग "ग" सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग "ग" अराजपत्रित, अलिपिक वर्गीय	1200-30-1560-ई.बी.-40-2040ख.	प्रवरण	18 से 25 वर्ष के बीच। (सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक की छूट। टिप्पणी :—आयु सीमा निर्धारित करने वाली निर्णायक तिथि भारत में (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर) उम्मीदवारों से प्रार्थनापत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी। रोजगार कार्यालय द्वारा जिन पदों पर नियुक्ति की जाती है, आयुसीमा निर्धारित करने वाली निर्णायक तिथि रोजगार कार्यालय में नाम भेजने के लिए अन्तिम तिथि होगी।

क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1982 के अन्तर्गत ग्राह्य सेवा के अर्हित वर्षों का लाभ मिलेगा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
7	8	9	10
नहीं	अनिवार्य : (क) मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समकक्ष । (ख) मान्यता प्राप्त संग्रहालय में पेण्टर/पालिशर के रूप में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव । वांछनीय : मान्यता प्राप्त संग्रहालय अथवा उसी प्रकार के संस्थान में ग्राफिक/अक्षर लेखनकार्य में एक वर्ष के अनुभव के साथ ललित कला अथवा वाणिज्यिक कला में डिप्लोमा ।	नहीं	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति,—सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या स्थानांतरण द्वारा और विविध पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती किये जाने की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना है
11	12	13	14
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	पुष्टिकरण के लिए वर्ग 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1 अपर विकास आयुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त (प्रशासन से संबंधित)—अध्यक्ष 2 अपर विकास आयुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त (विषय से संबंधित)—सदस्य 3 उप-निदेशक (प्रचार)—सदस्य ।	लागू नहीं होता

[स. 1/10/85-एन एच एच एम/प्रशा-3]
एस. के. महापात्र, संयुक्त विकास आयुक्त
(हस्तशिल्प)

MINISTRY OF TEXTILES

[Office of the Development Commissioner (Handicrafts)]

New Delhi, the 6th July, 1987

G.S.R. 564.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' post in the National Handicrafts and Handlooms Museum under the Development Commissioner (Handicrafts), namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) Lettering Artist (Group 'C' post) Recruitment Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2.Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has ntered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6 Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay scale	Whether selection post or Non-selection post
1	2	3	4	5
Lettering Artist	*1 (1987) *Subject to variation dependent on workload	Group 'C' General Central Service Group 'C' Non-gazetted, Non-ministerial.	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040.	Selection

Age Limit	Whether benefit of added year of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.
6	7
Between 18 and 25 years. (Relaxable upto 35 years in case of Government servants. Note:—The crucial date or determining the agelimit mentioned in column 6 will be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Union Territries of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep' In respectof posts ,the appointment to which is made through Employment Exchanges, the crucial date upto which the Employment Exchanges are requested to forward the names.	No

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
8	9
Essential:—(a) Matriculation or equivalent from a recognised Board/University. (b) At least 3 years experience of working as a Painter/ Polisher in a recognised Museum. Desirable:—Diploma in Fine or Commercial Art with one year's experience in Graphic/Lettering works in a recognised Museum or a smilar Institution.	No

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made1.
10	11	12
2 years.	By direct recuritment.	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its compostion ?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmations 1. Addiional Development Commissioner/Joint Development Commissioner (dealing with Administration.) —Chairman. 2. Additional Development Commissioner/Joint Development Commissioner dealing with the subject—Member. 3. Deputy Director (Publicity) —Member.	Not applicable.

[File No. 1 /10/85-NHHM/Admn. III.]

S .K. MOHAPATRA, Joint Development Commissioner for Handicraft

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, 7 मई, 1987

सा.का.नि. 565.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग) के अधीन, लोहा और इस्पात विकास आयुक्त के कार्यालय में ज्येष्ठ निजी सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ज्येष्ठ निजी सहायक भर्ती नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 स्तम्भ में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) 1972 के नियम 3 अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	6(क)
ज्येष्ठ निजी सहायक	1* (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा राजपत्रित अननुविभाग समूह 'ख'।	2000-60-2300-द.रो.-75-3200 रु.	लागू होगा	लागू नहीं होगा	लागू

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की वृणा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा
10	11
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी — (1) जो संवृत्त पद धारण करते हैं, या (2) जिन्होंने 1640-60-2600-द रो.-75-2900 रुपए के वेतनमान या समतुल्य में आशुलिपिक के पद पर तीन वर्ष सेवा की है, या (3) जिन्होंने 1400-40-1600-50-2300-द.रो.-60-2600 के वेतनमान या समतुल्य में आशुलिपिक के पद पर 8 वर्ष सेवा की है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायगा
12	13
लागू नहीं होता	पद पर नियुक्ति के लिए चयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[सं. 46(6)/77-स्थापना]

एच. एल. घोष, अवर सचिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

New Delhi, the 7th May, 1987

G.S.R. 565.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Personal Assistant in the office of the Development Commissioner for Iron and Steel under the Ministry of Steel and Mines (Department of Steel), namely :—

1. Short title ad commencement.—(1) These rules may be called the Senior Personal Assistant Recruitment Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-Selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Personal Assistant.	1* (1987) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Gazetted Ministerial Group 'B'	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200.	Not applicable.	Not applicable.

Whether benefit of added years of service Admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension)	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6a)	(7)	(8)	(9)	(10)
No.	Not applicable.	Not applicable	Not applicable.	By transfer on deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/Transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Transfer on deputation: Officers under the Central Government holding: (i) analogous posts; or (ii) posts of Stenographer in the scale of Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900 or equivalent with 3 years' service in the grade: or (iii) posts of Stenographer in the scale of Rs 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600 or equivalent with 8 years' service in the grade (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years)	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary while making selection for appointment to the post

[No. 46 (6) 77 - Estt]

M. L. GHOSH, Under Secy.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 14, जुलाई, 1987

सा. का. नि. 566.—सेन्ट्रल बायलर्स बोर्ड (सदस्यों का नामांकन) नियमावली, 1967 के साथ पठित बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 27 क की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र, भाग-2 खंड-3 उपखंड (1) दिनांक 21 जून, 1986 में प्रकाशित भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. जी. एस. आर. 470 दिनांक 4 जून, 1986 में एतद्वारा, निम्नलिखित और संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में, शीर्षक:—

"1. धारा 27 क की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा नामित सदस्यों" के अन्तर्गत

(1) क्रम संख्या (2) पर विद्यमान प्रविष्टि, के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी, अर्थात:—

"(2) डा. डी आर. चावला औद्योगिक सलाहकार, तकनीकी विकास महानिदेशक, नई दिल्ली।	तकनीकी विकास महानिदेशक के	प्रतिनिधि"

(2) क्रम संख्या (13) पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी, अर्थात:—

"(13) प्रो. एस. बनैर्जी, निदेशक राष्ट्रीय धातुकर्मीय प्रयोगशाला, जमशेदपुर, (बिहार)।		अन्य अद्योगों के प्रतिनिधि"

[सं. 1(1)/86-बायलर]

पी. सिन्हा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण. मुख्य अधिसूचना सं. जी. एस. आर. 470 भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड 3 उपखंड (1) में दिनांक 21 जून, 1986 को प्रकाशित की गई थी, जिसे बाद में भारत के राजपत्र भाग-2 खंड 3 उपखंड (1) में दिनांक 22 नवम्बर, 1986 को प्रकाशित अधिसूचना स. जी. एस. आर. 1014 और भारत के राजपत्र, भाग-2 खंड 3 उपखंड (1) में दिनांक 6 जून, 1987 को प्रकाशित अधिसूचना सं. जी. एस आर. 431 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 14th July, 1987

G.S.R. 566.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of section 27A of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923), read with the Central Boilers Board (Nomination of Members) Rules, 1967, the Central Government hereby makes theh followig further amendments to the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. G.S.R. 470, dated the 4th June, 1986, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 21st June, 1986, namely :—

In the said notification, under the heading :—

"I. Members nominated by the Central Government under clause (a) of sub-section (2) of section 27A"

(i) for the existing entry at serial number (2), the following shall be substituted, namely :—

"(2) Dr. D. R. Chawla, Industrial Adviser, Directorate General of Technical Development, New Delhi.	...	Representative of the Directorate General of Technical Development ";

(ii) for the existing entry at serial number (13), the following shall be substituted, namely :—

"(13) Prof. S. Banerjee, Director, National Metallurgical Laboratory, Jamshedpur (Bihar).	..	Representative of the other interests."

[No. 1(1)/86-Boilers]

P. SINHA, Jt Secy.

Footnote : Principal notification was published vide No. G.S.R. 470 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated 21st June, 1986 and subsequently amended vide notification No. G.S.R 1014 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated 22nd November, 1986, and notification No. G.S.R 431 in the Gazette of India, Part II, Section 3 Sub-section (i) dated 6th June, 1987.

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1987

सा का नि 567—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वनस्पति रक्षण, सगरोध और संचयन निदेशालय निदेशक, केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला भर्ती नियम, 1982 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात —

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति रक्षण, सगरोध और संचयन निदेशालय, निदेशक, केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला भर्ती संशोधन नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 वनस्पति रक्षण, सगरोध और संचयन निदेशालय, निदेशक, केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला, भर्ती नियम, 1987 में विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्गों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	6क
निदेशक (सी. आई एल)	1* (1987) *कार्यभार के आधार पर समूह "क" राजपत्रित परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा	4500—150 5700 रुपये	लागू नहीं होता	हां, सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	50 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए विनिर्दिष्ट तारीख को अन्यथियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु और शैक्षिक अर्हताएं में छूट लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
7	8	9
आवश्यक (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान या सत्र कृमिविज्ञान या वनस्पति रोग विज्ञान या रसायन विज्ञान (जैव) में डाक्ट्रेट डिग्री या समतुल्य या रसायन इंजीनियरी में मास्टर डिग्री (1) (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग 2 (लाइसेंसिएट अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता 1 तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित शैक्षिक अर्हताओं के धारकों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (3) में अनुबद्ध शर्तें पूरी करनी चाहिए। (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भेषजगुण विज्ञान में स्नातकोत्तर अर्हता या समतुल्य (2) वनस्पति रक्षण कार्य, जिसके अंतर्गत अनुसंधान का पर्याप्त अनुभव भी है, या कीटनाशी विकास और विश्लेषण/कीटनाशी अपशिष्ट विश्लेषण में पर्यवेक्षकीय हैसियत में 12 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।	लागू नहीं होता	एक वर्ष

7

या

चिकित्सा कार्मिकों की दशा मे कीटनाशी और स्वास्थ्य कार्य में बचाव, परीक्षण और मूल्यांकन के क्षेत्र मे अनुसंधान और विकास कार्य का 12 वर्ष का अनुभव या रसायन के पैक करने और लेबल लगाने में पर्यवेक्षकीय हैसियत मे 12 वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी : 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण : 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा मे तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या मे उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

वांछनीय :(1) कीटनाशी के रजिस्ट्रीकरण या कीटनाशी विधान का लागू करने या दोनो मे अनुभव।

(2) कीटनाशी प्रयोगशाला चलाने और अनुसंधान का अनुभव।

(3) कीटनाशी के गुण और सुरक्षा से संबंधित, योजना, संगठन और समन्वयन परियोजनाओं का अनुभव।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
10	11
सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके अंतर्गत संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/लोक उपक्रमों/अर्ध सरकारी, स्वायत्त या कानूनी संगठनों/कृषि विश्वविद्यालयों/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (1) जो सदृश पद धारण करते है, या (2) जिन्होंने 4100–5300 रु. के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 2 वर्ष सेवा की है, या (3) जिन्होंने 3700–5000 रु. के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 5 वर्ष सेवा की है, और (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 7 के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। (प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) (1) कृषि और सहकारिता विभाग के पी. पी. प्रभाग के कार्यभार को देखने वाले संयुक्त सचिव . . . . . अध्यक्ष (2) कृषि और सहकारिता विभाग के प्रशासन/स्थापना प्रभाग के कार्यभार देखने वाले संयुक्त सचिव . . . . . .सदस्य (3) भारत सरकार के वनस्पति रक्षण सलाहकार . सदस्य (4) कृषि और सहकारिता विभाग के पी. पी. प्रभाग के कार्यभार को देखने वाले निदेशक/उप सचिव . . . . . . सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएगी किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता म फिर से होगी।	प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

[सं. 13-7/77 – पी पी – 2]

के. सी., देहुरा, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

New Delhi, the 8th July, 1987

G. S. R. 567 :—In exercise of the powers conferred by the provison to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Director, Central Insecticides Laboratory, Recruitment Rules, 1982, namely :

(i) These rules may be called the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Director, Central Insecticides Laboratory, Recruitment (Amendment) Rules, 1987.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Director, Central Insecticides Laboratory, Recruitment Rules, 1987 for the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-Selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	6(a)
Director (CIL)	1* (1987) *Subject to variation dependant on work-load.	General Central Service Group 'A' Gazetted	Rs. 4500-150-5700	Not applicable	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Govt. servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).	Yes for direct recruits.

Educational and other qualifications for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of vacancies to be filled by variou methods
7	8	9	10
ESSENTIAL (1) Doctorate degree in Entomology or Nematology or Plant Pathology or Chemistry (Organic) or Masters degree in Chemical Engineering from a recognised University or equivalent. OR (2)(a) A recognised medical qualifications included in the 1st of the 2nd Schedule or Part II of the Third Schedule (other than the Licentiate Qualifications), to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should fulfil the conditions stipulated in Sub-Section (3) of Section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956.	Not applicable	One year	By direct recruitment failing which by transfer on deputation (including short-term contract).

7
(b) Post Graduate qualification in Pharmacology from a recognised University or equivalent. (ii) 12 years' practical experience in a supervisory capacity of Plant Protection work including adequate experience of research or in the development and analysis of pesticides/pesticides residues analysis. OR In case of Medical Personnel 12 years' experience of research and development work in the area of safety, testing and evaluation of pesticides and health effects. OR 12 years' experience in a supervisory capacity in packaging and labelling of chemicals. Note : 1 Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. Note : 2. The qualifications regarding experience is are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to SC and SC, if at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. DESIRABLE : (i) Experience in registration of pesticides or enforcement of pesticides legislation or both. (ii) Experience of running an insecticides laboratory and research experience. (iii) Experience of planning, organisation and coordination projects relating to quality and safety of pesticides.

In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
Transfer on deputation (including short-term contract) : Officers under the Central/State Government/ Public Undertakings/Semi-Governments, Autonomous or Statutory Organisations/ Agricultural Universities/Recognised Research Institutions or Councils :— (a)(i) holding analogous posts; or (ii) with 2 years' service in posts in the scale of R. 4100-5300/- or equivalent; or (iii) with 5 years' service in posts in the scale of Rs. 3700-5000 or equivalent ; and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruit under Col. 7. (Period of deputation/contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall not exceed 5 years).	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : 1. Joint Secretary looking after PP Division of Department of Agriculture and Cooperation —Chairman 2. Joint Secretary looking after Admn./ Estt. Division of Deptt. of Agril. & Coopn. —Member 3. Plant Protection Adviser to the Government of India —Member 4. Director/Dy. Secretary looking after PP Division of Deptt. of Agriculture and Cooperation —Member	Selection on each occassion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

[No. 13-7/77-PP-II]
K. C. DEHURY, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1987

सा.का.नि. 568.—नारियल विकास बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (1979 का 5) की धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति मंजूरी से, नारियल विकास बोर्ड भर्ती विनियम, 1984 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम नारियल विकास बोर्ड भर्ती (संशोधन) विनियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नारियल विकास बोर्ड भर्ती विनियम, 1984 की अनुसूची में, ज्येष्ठ निजी सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 16क के सामने—

(क) स्तम्भ 4 में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी—

"1640-60-2600-द.रो.-75-2900 रु."

(ख) स्तम्भ 10 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
"प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा",

(ग) स्तम्भ 11 में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"प्रोन्नति

ऐसे आशुलिपिक (श्रेणी-1) जिन्होंने 1400-40-1800-द.रो.-50-2300 रु. के वेतनमान में उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/अर्द्ध सरकारी और स्वायत्त शासी संगठनों के ऐसे अधिकारी—

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हैं, या

(ii) जिन्होंने 1400-2300 रु. के वेतनमान या समतुल्य में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने 1200-2040 रु. के वेतनमान या समतुल्य में 10 वर्ष की नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास आशुलिपि (अंग्रेजी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

[सं. 14-38/86-फसल प्रशासन 1]

टी. सी. सूद, डेस्क अधिकारी

टिप्पण : मूल विनियम भारत सरकार के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 10-1-1984 के पृष्ठ 1-29 पर भारत सरकार, कृषि मंत्रालय सं. सा.का.नि. 13(अ) तारीख 10-1-1984 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् इनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया —

(1) सा.का.नि. 625 तारीख 8-6-1984 पृष्ठ 1502—150

(2) सा.का.नि. 1042 तारीख 6-9-1984 पृष्ठ 2576 पर।

(3) सा.का.नि. 10 तारीख 8-1-1984 पृष्ठ 26—34 पर।

(4) सा.का.नि. 727 तारीख 3-8-1985 पृष्ठ 1879—1882 पर।

(5) सा.का.नि. 1019 तारीख 7-11-1986 पृष्ठ 3435 3437 पर।

(6) सा.का.नि. 175 तारीख 2-3-87 पृष्ठ 1-2 पर।

New Delhi, the 9th July, 1987

G.S.R. 568.—In exercise of the powers conferred by sub-sectio n(1), read with clause (b) of sub-section (2) of section 20 of the Coconut Development Board Act, 1979 (5 of 1979), the Coconut Development Board with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Coconut Development Board Recruitment Regulations, 1984, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Coconut Development Board Recruitment (Amendment) Regulations, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Coconut Development Board Recruitment Regulations, 1984, against serial number 16A relating to the post of Senior Personal Assistant,—

(A) for the entry in column 4, the following entry shall be substituted namely :—

Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900".;

(B) for the entry in column 10, the following entry shall be substituted, namely :—

"By promotion, failing which, by transfer on deputation" ;

(C) for the entry in column 11, the following entry shall be substituted, namely :—

"Promotion :

Stenographers (Grade-I) in the scale of Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300 with five years regular service in the grade.

Transfer on deputation :

Officers of the Central Government/State Government/universities/recognised research institutions/public sector undertakings, semi-government and autonomous organisations,—

(a)(i) holding analogous posts on a regular basis; or

(ii) with 5 years' regular service in the scale of Rs. 1400—2300 or equivalent ; or

(iii) with 10 years' regular service in the scale of Rs. 1200—2040 or equivalent; and

(b) possessing a speed of 100 words per minute in stenography (English).

(Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.".

[No. 14-38/86-CAI]

T. C. SUD, Desk Officer

NOTE :—*The principal regulations were published in the* Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) dated 10-1-1984 at pages 1—29 vide Notification of the Government of India in the Ministry of Agri-

culture No. GSR 13(E) dated 10-1-1984 and were subsequently amended by :-

(i) G.S.R. 625 dated 8-6-1984 at pages 1502—1504,
(ii) G.S.R. 1042 dated 6-9-1984 at page 2576
(iii) G.S.R. 10 dated 5-1-1985 at pages 26—34,
(iv) G.S.R. 727 dated 3-8-1985 at pages 1879—1882,
(v) G.S.R. 1019 dated 7-11-1986 at pages 3435—3437, and
(vi) G.S.R. 175 dated 2-3-87 at pages 1-2

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

(केन्द्रीय विद्युत बोर्ड)

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1987

सा० का० नि० 569 —भारतीय विद्युत नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 का 9) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास के अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

किन्हीं ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पहले उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय विद्युत बोर्ड विचार करेगी।

आक्षेप या सुझाव यदि कोई हो, सचिव केन्द्रीय विद्युत बोर्ड एस–907 सेवा भवन, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110066 को भेजे जाये।

प्रारूप–नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विद्युत (संशोधन) नियमावली, 1987 है।

2. भारतीय विद्युत नियम, 1956 में उपाबन्ध VI के भाग–I के लिए निम्नलिखित भाग–I रखा जाएगा, अर्थात् —

उपाबन्ध –VI

भाग–I

1. साधारण (i) नाम–प्रदाय की इन शर्तों को ----- के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्रदाय के लिए निबंधन और शर्तें कहा जाएगा।

(ii) परिभाषाएं —

(क) "संविदा मांग" से अभिप्रेत है कि यथास्थिति अधिकतम किलोवाट (के० डब्ल्यू) या किलो वोल्ट एम्पीयर (के०वी०ए०) जिसके लिये प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय करने के लिए करार किया गया हो और उपभोक्ता द्वारा संविदा की गई हो,

(ख) "संबद्ध भार" से अभिप्रेत है कि सभी प्रकार के उपकरण जिनमें उपभोक्ता के परिसर पर वहनीय उपकरण भी सम्मिलित है, विनिर्माता द्वारा विनिर्धारित किये गये अनुमत का सकल योग है। इसे, यथास्थिति, के० वी० ए०, के डब्ल्यू या अश्व शक्ति (अ०श०) में व्यक्त किया जायेगा,

(ग) "उपभोक्ता कृत संस्थापन" से संपूर्ण विद्युत संस्थापन अभिप्रेत है जिसमें विद्युततार साजसामान मोटर और यन्त्र साधित्र सम्मिलित है जो उपभोक्ता द्वारा या उसकी ओर से उसके परिसर पर उत्थापित तथा लगाई गई वैद्युत तारें साजसामान, मोटर तथा उपकरण समेत समग्र वैद्युत प्रतिष्ठापन।

(घ) "प्रदाय आरम्भ करने की तारीख" से अभिप्रेत है कि प्रदायकर्ता द्वारा उपभोक्ता को विद्युत उपलब्धता की सूचना जारी करने की तारीख से या किसी उपभोक्ता द्वारा प्रदाय का वास्तविक उपयोग करने की तारीख, इनमें जो भी पूर्वतर हो' दो मास की अवधि की समाप्ति की तारीख से ठीक अगली तारीख,

(ङ) "प्रस्तुत करने की तारीख" से प्रदायकर्ता द्वारा कोई बिल प्रस्तुत किये जाने की तारीख के पश्चात् दूसरा दिन, अभिप्रेत है,

(च) "बिलों की संदाय की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जो प्रदायकर्ता की टैरिफ अनुसूची में परिभाषित की जाये या वह तारीख जो बिल पर उपदर्शित हो,

(छ) "मास" से अभिप्रेत है कलेन्डर मास या वह अवधि जो किसी विशिष्ट मास में मीटर वाचन तारीख और ठीक पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती मास की तत्स्थानी मीटर वाचन तारीख के बीच पड़ती हो, जैसा कि संदर्भ के अनुसार अपेक्षित हो,

(ज) "शक्ति गुणन खंड" से निम्नलिखित अभिप्रेत है, अर्थात् —

(क) एक कलीय परिपथ में किलोवाट में किलोवोल्ट का अनुपात–एम्पीयर में, और

(ख) त्री कलीय परिपथ में—कुल किलोवाट का कुल समतुल्य किलो वोल्ट का अनुपात– एम्पीयर में

(झ) 'औसत शक्ति गुणन खण्ड' से ऐसा औसत शक्ति गुणन खण्ड अभिप्रेत होगा जो किसी मास के दौरान उपभोक्ता – भार के विस्तार और काल में हुये परिवर्तनों से उत्पन्न होता है और उसके मूल्य का शुद्धिकरण निकटतम प्रतिशत अंक तक किया गया हो। इसकी संगणना उसी अवधि के दौरान किलोवाट घंटा मीटर और रिएक्टिव

किलोवोल्ट एम्पियर घंटा मीटर के रजिस्ट्रीकरण से किया जायेगा जिसका उपबन्ध जब कभी आवश्यक पाया जाये प्रदायकर्ता द्वारा किया जायेगा ।

(ब) उन सभी पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और विशेषरूप से परिभाषित नहीं हैं किन्तु भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 या विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उन अधिनियमों और नियमों में हैं और यदि उक्त अधिनियमों और नियमों में नहीं दिये गये हैं तो इन पदों के यही अर्थ होंगे जो साधारण – खंड अधिनियम, 1897 में है अथवा यदि उसमें भी नहीं हैं तो उनके वही अर्थ होंगे जो विद्युत–प्रदाय उद्योग में सामान्य रूप से समझे जाते हैं ।

2 प्रदाय की प्रणाली :— उर्जा का प्रदाय निम्न प्रणाली से किया जायेगा, अर्थात् :—

(i) निम्न वोल्टता – डी०सी०दोतार या ए० सी० एक कलीय 50 हर्टस;

(ii) मध्यम वोल्टता डी०सी०तीन तार या ए०सी० तीन कलीय, 50 हर्टस;

(iii) उच्च वोल्टता – ए.सी; , तीन कलीय, 50 हर्टस् ।

3 संस्थापनों का वर्गीकरण :– (1) ए०सी० प्रणाली (क) दो तार एक कलीय 240 वोल्ट –

(i) साधारण प्रदाय अधिक से अधिक 20 एम्पियर;

(ii) प्रचालक शक्ति संस्थापन कुल 1.5 कि० वा०तक

(ख) चार तार, तीन कलीय, कलीय तारों और न्यूट्रल के बीच 240 वोल्ट, साधारण प्रदाय 20 ऐम्पीयर से अधिक ।

(ग) तीन तार, तीन कलीय, कलाओं के बीच 1.5 कि०वा० से अधिक के चालक शक्ति संस्थापन ।

(iii) डी०सी०प्रणाली –

(क) दो तार 220 वोल्ट –

(i) साधारण प्रदाय अधिक से अधिक 10 ऐम्पियर ;

(ii) चालक शक्ति संस्थापन कुल 0.75 कि०वा० तक ।

(ख) तीन तार 440 वोल्ट वाह्यों के बीच प्रचालक शक्ति संस्थान 0.75 कि०वा से अधिक ।

4. प्रदाय के लिये अध्यपेक्षा और करार :– विद्युत्ऊर्जा के प्रदाय या अतिरिक्त प्रदाय के लिये अध्यपेक्षा और करार इससे संलग्न फार्म (परिशिष्ट-क) में प्रदायकर्ता के स्थानीय कार्यालय में किया जायेगा। अध्यपेक्षा पर उस परिसर के जिसके लिये प्रदाय अपेक्षित है, स्वामी या अधिभोगी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। फार्म को भरने के लिये अपेक्षित कोई सहायता या राय आवेदक को प्रदायकर्ता के स्थानीय कार्यालय में दी जायेगी ।

5. संयोजन से पूर्व सूचना :— आशायित उपभोक्ता विभिन्न प्रवर्ग के प्रदायों के लिये प्रदायकर्ता द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सूचना देगा ।

6. सेवा मीटर आदि की स्थिति नियत करने के लिये सूचना :—प्रदाय के लिये अध्यपेक्षा की प्राप्ति पर प्रदायकर्ता द्वारा आवेदक को या उसकी ओर से कार्य कर रहे ठेकेदार को पूरे सात दिन की सूचना दी जायेगी जिसमे कि उसका प्रतिनिधि परिसरों का निरीक्षण करने और प्रदाय मुख्य तारों के प्रवेश का स्थान नियत करने और मुख्य तारों, कट-आउटों या परिपथ-नियोजकों और मीटरों की स्थिति नियत करने के प्रयोजन के लिये प्रदायकर्ता के इंजीनियर से मिले। प्रदायकर्ता किसी भी दशा में मीटरों और मुख्य कटआउटों को ऐसी स्थिति में नही लगायेगा। और नहीं रहने देगा जिससे उसके कर्मचारी परदे में या धार्मिक स्थानों में प्रवेश करें ।

7. सेवा लाइनें बिछाने के लिये कोटेशन आदि:—(क) ऊपर शर्त संख्या-6 में यथाउपबंधित सेवा के लिये स्थान पर सहमति हो जाने पर, प्रदायकर्ता आवेदक को उसके पश्चात संकर्म निष्पादित करने की लागत का प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा। प्राक्कलन स्वीकार कर लिये जाने पर आवेदक से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह सेवा लगाये जाने से पूर्व प्रदायकर्ता के पास प्राक्कलन की रकम जमा कराये। सम्यक् रूप से निक्षेप किये जाने पर, कार्य को हाथ में लेने के आदेश जारी किये जायेंगे और इस प्रकार जमा की गई रकम यदि आवश्यक हो तो, सेवा लाइन की वास्तविक लागत के आंकड़े संकलित किए जाने के बाद में समायोजित की जायेगी। अन्य बातें समान हों तो सेवा लाइनें यथासंभव निक्षेप धन की प्राप्ति की तारीखों के क्रम में लगाई जायेंगी ।

टिप्पण : सेवा लाइन, इस बात के होने हुए भी कि लागत के एक भाग का संदाय उपभोक्ता द्वारा किया जा चुका है, प्रदायकर्ता की संपत्ति रहेगी जिसके द्वारा उसका अनुरक्षण किया जायेगा ।

(ख) यदि उपभोक्ता विद्यमान सेवा लाइन की स्थिति में परिवर्तन चाहता है तो प्रदायकर्ता यह कार्य निष्पादित करेगा और उपभोक्ता पर प्रयुक्त अतिरिक्त सामग्री की ओर नियोजित श्रमिकों की लागत जो श्रम के लागत के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, पर्यवेक्षक प्रभार प्रभारित करेगा ।

(ग) अस्थायी प्रदीपन के लिये सेवा लाइनें, जहां संभव हों प्रदायकर्ता द्वारा लगाई जायेंगी। और ऐसी सेवा लाइनों, को लगाने और हटाने में उपगत खर्च, जो ऊपर खंड (ख) में अधिकथित रूप में अवधारित किया जायेगा, उपभोक्ता द्वारा संदत्त किया जायेगा ।

(घ) जहां सेवा लाइनों की लागत या सेवा लाइन परिवर्तन करने के बारे में कोई मतभेद या विवाद उत्पन्न होता है वहां के लिये मामला विद्युत् निरीक्षक को निर्देशित किया जायेगा और उसके द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ङ) जो उपभोक्ता उच्च वोल्टता प्रदाय की अपेक्षा करता है उसे प्रदायकर्ता के मीटर उपस्कर को लगाने के प्रयोजन के लिये अपने खर्चे पर एक सहमत डिजाइन का ताला बन्द और मौसमसह अहाते की व्यवस्था और उसका अनुरक्षण करना होगा।

8. सेवा लाइनें:—प्रदायकर्ता उस संपत्ति की सीमाओं से बाहर जिसकी बाबत अध्यपेक्षा की गई है अपने निकटतम वितरण मुख्य तार से 30 मीटर सेवा लाइन निःशुल्क लगायेगा। ऊपर परिभाषित रूप में 30 मीटर से अधिक किसी भी लंबाई की ओर उस संपत्ति की सीमाओं के भीतर जिसकी बाबत आवेदन किया गया है संपूर्ण सेवा लाइन के लिये संदाय आवेदक द्वारा किया जायेगा। किंतु ऊपर उल्लिखित लागत में प्रयुक्त 30 मीटर से परे ऐसे खम्भों और फिटिंगों की अनुपातिक लागत सम्मिलि नहीं होगी। ऐसे खंभों और फटिंगों की आनुपातिक लागत उसी अनुपात में होगी जो अनुपात सेवा के टेप-आफ स्थल और सेवा लाइन के दूसरे आलंब से 30 मीटर परे लाइन की लंबाई का 30 मीटर से है।

मुख्य कटआउट या फ्यूज प्रदायकर्ता द्वारा उपभोक्ता के लिये निःशुल्क अन्तःस्थापित और सीलबंद किये जायेंगे।

9. उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली प्रसुविधाएं :—उपभोक्ता यदि अपेक्षित हों, बिना लागत के आवश्यक स्थान का उपबंध करेगा और उपभोक्ता की सेवा के लिये प्रदायकर्ता की प्रणाली से केबल और सिरोपरि लाइन लाने के लिये समुचित प्रसुविधायें प्रदान करेगा। प्रदायकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह उपभोक्ता द्वारा उपबंधित स्थान का उपयोग पड़ोस के अन्य परिसरों तक प्रदाय का विचार करने के लिये कर सकेगा। यदि उससे उपभोक्ता को प्रदाय प्रभावित नहीं होता है।

10. उपभोक्ता द्वारा हस्तक्षेप :—मीटर बोर्डों, मुख्य-आउटों आदि को किसी भी दशा में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा छेड़ा या हटाया नहीं जाना चाहिये जो प्रदायकर्ता के नियोजन में नहीं है। प्रत्येक उपभोक्ता, प्रदायकर्ता को किसी नुकसानी की या मुख्यतः यन्त्र या उपकरण या प्रदायकर्ता की किसी अन्य संपत्ति को कारित नुकसानी जो उपभोक्ता के परिसर में उपभोक्ता के या उसके संबंधियों या उसके द्वारा नियोजित व्यक्तियों की किसी कार्य उपेक्षा या चूक के कारण हुई हो, पूरा करने की लागत की प्रतिपूर्ति करेगा।

11. उपभोक्ता के परिसर के तार लगाना :—(i) उपभोक्ता और साधारण जनता के संरक्षण के लिये यह आवश्यक है कि उपभोक्ता के परिसर में लगाये गये तार भारतीय विद्युत् नियमों और विद्युत् संसाधनों में तार लगाने के कार्य के लिये भारतीय मानक संस्था द्वारा विहित की गई सुसंगत संहिता के अनुरूप हो। ज्यों ही उपभोक्ता का संस्थापन सर्वप्रकार से पूरा हो जाये और उपभोक्ता के ठेकेदार द्वारा उसका परीक्षण कर लिया जाये त्यों ही उपभोक्ता तार लगाने वाले ठेकेदार को पूरा होने और परीक्षण की रिपोर्ट प्रदायकर्ता को प्रस्तुत करेगा। इस प्रयोजन के लिये प्रारूप का प्रदाय प्रदायकर्ता द्वारा किया जायेगा। यह महत्वपूर्ण है कि उसमें दी गई शर्तों का पूर्ण रूप से पालन किया जाये, क्योंकि अन्यथा प्रदाय अभिप्राप्त करने में विलम्ब होगा।

(ii) ऊपर दिये गये अनुबंधों के अधीन रखते हुए निम्नलिखित उपबंधों के अनुरूप तार लगाया जाना चाहिये :—

(क) मुख्यतार—मुख्यतार उपभोक्ता के मुख्यतार सभी दशाओं में प्रदायकर्ता के प्रदाय स्थल तक वापस लाये जायेंगे और प्रदायकर्ता के यंत्र से संयोजित करने के लिये पर्याप्त केबिल की व्यवस्था की जायेगी।

(ख) स्विच और फ्यूज—उपभोक्ता परिपथ विच्छेदक या जुड़े हुये दूत नियोजन मुख्य स्विच लगायेगा जो न्यूट्रल चालक को छोड़कर प्रत्येक चालक पर एकल ध्रुव फ्यूज के साथ यथासंभव प्रदायकर्ता के मीटर बोर्ड के निकट नियत किया जायेगा।

(ग) संस्थापन का संतुलन—यदि किसी संस्थापन का संयोजित भार 3000 वाट से अधिक हो तो संस्थापन में तार समूह व्यवस्था के आधार पर लगाये जायेंगे। एक अनुमोदित प्रकार का दोहरा जुड़ा हुआ स्विच प्रत्येक मुख्य परिपथ को नियंत्रित करेगा। संस्थापन में बत्तियों, पंखों या अन्य यंत्रों को इस प्रकार समूह बद्ध किया जायेगा कि प्रसामान्य कार्यकरण दशाओं में करेंट संतुलित रहेगा।

(घ) मध्यम वोल्टता प्रदाय—मध्यम वोल्टता प्रदाय में अर्थात्, 250 वोल्ट से ऊपर और 650 वोल्ट तक में प्रदायकर्ता का मीटर और सेवा कटआउट सागवान की लकड़ी के एक मजबूत बक्स में धात्विक बक्से से आवेष्टित होंगे जिसे उपयुक्त रूप से संवातित किया जायेगा और उपभोक्ता के खर्चे पर उसमें एक छपका कुंडा और ताला लगाया जायेगा। ऐसे सभी तार जिनके बीच 250 वोल्ट से अधिक विभव का अन्तर विद्यमान है, अप्राधिकृत व्यक्तियों की पहुंच के बाहर किये जायेंगे या एक भूसम्पर्कित धात्विक केस या कंड्यूइट में परिवेष्टित किये जायेंगे। एक चेतावनी बोर्ड उसमें लगाया जायेगा, जो हिन्दी या अंग्रेजी और जिले की स्थानीय भाषा में लिखा हुआ होगा।

(ङ) शिरोपरि मुख्यतार—प्राइवेट संपत्ति पर लंबी भूमिगत सेवा के व्यय से बचने के लिये उपभोक्ता,

प्रदायकर्ता के अनुमोदन से अपनी संपत्ति के उस प्रभाग पर खंभा पारिनिर्मित कर सकेगा, जो प्रदायकर्ता के प्रक्षेप की मुख्य तारों के निकटतम है और जिनमें सेवा लगाई जायेगी और जिनसे से उपभोक्ता शिरोपरि मुख्य तारों को अपने परिसर तक ले जायेगा। यह शिरोपरि मुख्य तार उसके संस्थापन का एक प्रभाग होंगे और समय-समय पर प्रवृत्त भारतीय विद्युत् नियमों के अनुपालन में लगाये जायेंगे। यदि उपभोक्ता चाहे तो वह अपने संस्थापन के लिये अतिरिक्त संरक्षण के रूप में शिरोपरि लाइन के प्रारम्भ पर अपने खर्चे पर एक दक्ष चौक कुंडली और तड़ित निरोधक लगा सकेगा।

(च) भू-सम्पर्कन के प्रयोजनों के लिये गैस पाइपों और जल पाइपों का किसी भी दशा में प्रयोग नहीं किया जायेगा।

(छ) घरेलू तापन और कुकिंग—यदि अपेक्षित हो एक विशेष परिपथ तापन और कुकिंग के लिये प्रदायकर्ता के प्रदाय स्थल से लगाया जायेगा। इन परिपथों पर प्रयुक्त दीवार प्लग 3 पिन प्रकार के होंगे, तीसरा पिन एक भूसंपर्कन संयोजन होगा। दोहरे प्लग या लड़ित परिपथ अनुज्ञात नहीं किये जायेंगे। स्नान-कक्ष में तापन या धुलाई के प्रयोजनों के लिये या किसी नमी वाले स्थान में सभी यंत्र प्रभावी रूप से भू-संपर्कित किये जाने चाहिये।

(ज) प्लग—सभी प्लग विद्युन्मय तार पर, न कि न्यूट्रल तार पर, स्विच आन किये जायेंगे।

(झ) तार लगाना—लोह कंड्यूट में एकल लैड पृथक रूप में लगाने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(ञ) ए.पी. मोटर संस्थापन—मोटरों में नियंत्रण गियर लगाया जायेगा जिससे कि सभी संभव दशाओं में किसी भी समय निम्न अनुसूची में दी गई सीमाओं से अधिक उपभोक्ता के संस्थापन से अधिकतम करेंट की मांग को समाधानप्रद रूप से रोका जाये। इन विनियमों का अनुपालन करने में असफल होने पर उपभोक्ता को अन्य उपभोक्ताओं के प्रदाय में हस्तक्षेप के कारण प्रदाय वियोजित किया जा सकेगा।

प्रदाय की प्रवृत्ति	संस्थापन का आकार	मांगे गये करेंट की अधिकतम सीमा
1	2	3
एक कला	1.5 कि. वाट तक जिसमें 1.5 कि वाट सम्मिलित है।	पूर्णभार करेंट का छ गुना।
तीन कला	2.00 कि. वाट से अधिक पूर्णभार करेंट का ए जिसमें 2.00 कि वा. भी सम्मिलित है।	गुना।
1	2	3
	2.00 कि.वाट से अधिक और 11.00 कि वा तक जिसमें 11.00 कि.वा भी सम्मिलित है।	पूर्णभार करेंट का डुगुना।
	11 कि. वा. से अधिक और 75 कि. वा. तक जिसमें 75 कि. वा. भी सम्मिलित है	पूर्णभार करेंट का डेढ गुना
	75 कि. वा. से अधिक	पूर्ण भार करेंट का सवा गुना

मोटर परिपथ तीन ध्रुव जुड़े हुए स्विच द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे, जिसमें कोई वोल्ट उन्मोचन नहीं और टी. पी. फ्यूजो (या अभिभार उन्मोचन) द्वारा संरक्षित किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण है कि उन्मोचन पूर्ण कार्यकरण अवस्था में बनाए रखे जाने चाहिए। मध्यम वोल्टता मोटरों के लिए तार एकल धात्विक कंड्यूईट में सभी तीन कला तारों के गुच्छे सहित लगाई जाएगी, जिसे दक्षतापूर्वक संयंत्र भूसम्पर्कित किया जाएगा और मोटर के फ्रेम से संयोजित किया जाएगा जिससे दो पृथक भूसम्पर्कन तार लगाए जाएंगे। अनुज्ञात भू—सम्पर्कन तार का न्यूनतम साईज लगाने के लिए 1.5 एम एम. और एल्यूमिनियम के लिए 2.5 एम एम^2 किन्तु मध्यम वोल्टता संस्थापनों के लिए ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें निरीक्षक अधिरोपित करने योग्य ठीक समझे दृढ़ अधात्विक कंड्यूट जो सुसंगत भारतीय मानकों के अनुरूप हो का प्रयोग किया जा सकेगा। सभी मोटरें सब प्रकार के समय-समय पर प्रवृत्त भारतीय नियमों का अनुपालन करेंगी। 1.5 कि. वा. से ऊपर की मोटरें तीन कला, कलाओं के बीच 415 वोल्ट के लिए कुंडलित की जाएगी;

आशायित उपभोक्ता को सलाह दी जाती है कि वे अपनी मोटरों के लिए आदेश देने से पूर्व इंजीनियर या प्रदायकर्त्ता से परामर्श कर ले, क्योंकि कुछ मामलों में अवस्थित और दशाओं के अनुसार प्रवर्तन करेंट सीमा को शिथिल करना साध्य हो सकता है।

(ख) अधिकतम भार की, जिसे प्रदायकर्त्ता के मुख्य तार से संयोजित किया जा सकता है, संबंध में प्रदायकर्त्ता द्वारा अधिकथित अपेक्षाएं पूरनी चाहिए। ये अपेक्षाएं प्रणाली क्षमता, वोल्टता स्तर स्थानीय परिस्थितियां और सम्बद्ध बातों से संबंधित हैं। जहां प्रदाय का उपभोग 3 कला भार किया जाता है वहां एक कला भार को इस रीति से समूहबद्ध करके तार लगाना चाहिए कि तीन कलाओं को संतुलित रीति से भारित किया जा सके तथा सामान्य कार्यकरण परिस्थिति में न्यूट्रेल करेंट से बचा जा सके। किसी भी दशा में तीन कला प्रणाली में संयुक्त एक कला भार को यूनिट क्षमता आबंटित शक्ति के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) संस्थापन का शक्ति गुणाक : सामान्य कार्यकरण भार पर यंत्र का शक्ति गुणाक 85 प्रितिशत से कम नहीं होगा। प्रेरणी मोटर और वोन्डिग ट्रासफार्मर का प्रयोग करने वाला प्रत्येक उपभोक्ता ऐसे अनुमताकों वाले शन्ट संधारित संस्थापित करेगा जो प्रदायकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। नए उपभोक्ता को जिनके पास प्रेरणी विद्युत भार है, प्रदाय तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक वे विनिर्दिष्ट अनुमतांक वाले शन्ट संधारित संस्थापित नहीं कर लेते।

विद्यमान उपभोक्ता द्वारा ऐसे समय के भीतर जो प्रदायकर्ता नियत करे। अपेक्षित अनुमतांक वाले शन्ट संधारित्र के संस्थापित करने में असफल रहने की दशा में, प्रदयाकर्ता को अपनी लागत पर संधारित प्रतिस्थापित करने का और उपभोक्ता से लागत/प्रभार वसूल करने या ऐसे अधिभार, जो समय-समय पर प्रदायकर्ता द्वारा नियत किए जाएं उदग्रहीत करने का अधिकार होगा।

12. उपभोक्ता के परिसर में यंत्र :

(क) उपभोक्ता के सभी ट्रांसफार्मर, स्विचगीयर, और अन्य विद्युत उपस्कर जो प्रदायकर्ता के मुख्य तारों से संयोजित है के युक्तियुक्त समाधान रूप में बनाए रखे जाएगे। नियंत्रकारी उपस्कर भारतीय विद्युत नियत 1956 के नियम 50 के अनुरूप होंगे।

(ख) निम्न और मध्यम वोल्टता उपभोक्ता:—
निम्न और मध्यम वोल्टता उपभोक्ताओं की दशा में उपभोक्ता सभी हालत में जुड़े हुए व्रत वियोजन स्विचों और मेन फ्यूज का भूमि न्यूट्रल से भिन्न प्रत्येक ध्रुव पर उपबंध करेगा जो प्रदायकर्ता के मीटर बोर्ड से एक मीटर के भीतर या ऐसे स्थान पर जो प्रदायकर्ता द्वारा अनुमोदित किया जाए खड़ा किया जाएगा।

(ग) उच्च वोल्टता उपभोक्ता—उच्च वोल्टता उपभोक्ताओं की दशा में :—

(i) 1000 के.वी.ए. से नीचे के भार के लिए प्रदाय के आरंभ होने के बिन्दु के पश्चात उपभोक्ता प्रदाय को पूर्णत : अपने संस्थापन में पृथक करने के लिए फ्यूज सहित समुचित जुड़े हुए स्विच या एक आवश्यक क्षमता वाला परिपथ विच्छेदक का उपबंध करेगा।

(ii) 100 के.वी.ए. भार के लिए और उससे अधिक 3000 के वी. ए तक भार के लिए उपभोक्ता परिपथ विच्छेदक या उपयुक्त उपाय जिसमें विहित ग्रेड और क्वालिटी का उच्च संविदारण क्षमता फयूज हो और जो एक समय में सभी कलाओं में जाने के उपाय से युक्त हो, का उपबंध करेगा।

(iii) अन्य सभी दशाओं में प्रदाय के भाग में उपयुक्त परिपथ विच्छेदक संस्थापित किए जाएंगे जिन में स्वाचलित अतिभार संरक्षक उपाय इस प्रकार समायोजित होंगे कि वे प्रदायकर्ता के अन्तस्थ कक्षिका में अतिभार संरक्षण उपाय के सक्रिय होने से पहले सघाति हो जाए और इसके आगे उनमें पर्याप्त संविदारण क्षमता, जिससे प्रदायकर्ता विनिर्दिष्ट करेगा, होनी चाहिए कि वे लघुपथ परिस्थितियों के अधीन उपभोक्ता के संस्थापन का संरक्षण कर सकें।

13. प्रदायकर्ता द्वारा संस्थापन के परीक्षण की प्रक्रिया और फीस :

(क) परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रदायकर्ता आवेदक को वह समय और दिन सूचित करेगा जब प्रदायकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा संस्थापन का निरीक्षण और परीक्षण किए जाने का प्रस्ताव है। तब आवेदक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह यह व्यवस्था करें कि उस तार लगाने वाले ठेकेदार का जो उसके द्वारा नियोजित किया गया है, प्रतिनिधि निरीक्षण के समय उपस्थित रहे जिससे कि वह प्रदायकर्ता के प्रतिनिधि को ऐसी जानकारी दे जिसकी संस्थापन के संबंध में उसके द्वारा अपेक्षा की जाए।

(ख) कोई भी संयोजन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उपभोक्ता के संस्थापन का प्रदाय कर्ता द्वारा निरीक्षण और परीक्षण न कर लिया गया हो और वह संतोषजनक न पाया गया हो। प्रदायकर्ता द्वारा किए गए पहले परीक्षण के लिए कोई प्रभार नहीं लिया जायेगा, किन्तु पहले परीक्षण के प्रकट हुए दोषों के कारण पश्चातवर्ती परीक्षणों के लिए प्रदायकर्ता द्वारा समय समय पर नियत किए गए प्रभार के अनुसार प्रभार लिया जाएगा।

(ग) संस्थापन का विद्युतरोधन परीक्षण करने से पूर्व तार लगाना सभी प्रकार से पूरा किया जाना चाहिए। परीक्षण किए जाने से पूर्व सभी फिटिंग चाहे दीप्ति लैम्प, पंखे, मोटरें, तापन, कुकिंग या अन्य उपकरण चालकों से संयोजित किए जाने चाहिए और सभी फ्यूज यथास्थान होने चाहिए और सभी स्विच "आन" स्थिति में किए हुए होने चाहिए। अस्थायी तार या फिटिंग या निष्क्रिय सिरे संस्थापन में सम्मिलित नहीं किए जाने चाहिए और संकर्म के किसी भी भाग को अपूर्ण नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

(घ) निम्न और मध्यम वोल्टता संस्थापन :

(1) संस्थापन के प्रत्येक सजीव चालक और "भू-संपर्कन" के बीच 500 वोल्ट का दाब लगाया

जाएगा और एक मिनट के विद्युतीकरण के पश्चात "भू संपर्कन" के प्रति निम्नतम संस्थापन प्रतिरोधक एक मैग वाहक होगा ।

(2) खम्भों के बीच परीक्षण "भू-संपर्कन" के परिणाम से कम से कम आधा परिणाम देगा ।

(ङ) उच्च वोल्टता संस्थापन :

संस्थापन के प्रत्येक सजीव चालक और भूसंपर्कन के बीच 1000 वोल्ट का दाब लगाया जायगा और एक मिनट के विद्युतीकरण के पश्चात "भू-संपर्कन" के प्रति संस्थापन प्रतिरोध संस्थापन/यंत्र को लागू सुसंगत भारतीय मानक के अनुसार होगा । जहां आवश्यक हो, विनिर्दिष्ट यंत्र का परीक्षण जैसे ट्रांसफार्मरों के लिए बी.आई. मूल्य अवधारण पूरा किया जायगा ।

14. विस्तार और परिवर्तन :

यदि उपभोक्ता, ऊर्जा का प्रदाय प्रारंभ किए जाने के पश्चात किसी समय ठेकाकृत भार में वृद्धि की अपेक्षा प्रदायकर्ता और उपभोक्ता के बीच ऊर्जा प्रदाय के लिए किए गए करार में जैसा उपबंधित है उसके अनुसार करता है तो उपभोक्ता प्रदायकर्ता को लिखित सूचना देगा । प्रदायकर्ता के द्वारा बढ़ाए गए भार को पूरा करने के लिए सहमत हो जाने के पश्चात उपभोक्ता अपने परिसर में भीतरी तार लाइनों के विस्तार करने और/या उसमें परिवर्तन करने के काम को अपने हाथ में लेगा । ऐसे समय के दौरान जब विस्तार और/या परिवर्तन किया जा रहा हो, विस्तृत या परिवर्तित किए जा रहे परिपथों को विद्युत प्रदाय उपभोक्ता द्वारा पूर्णतः असम्बद्ध कर दिया जायेगा और तब तक वह इस प्रकार विछिन्न रहेगा जब तक ऐसे विस्तार और/या परिवर्तन का परीक्षण और अनुमोदन प्रदायकर्ता नहीं कर लेता विस्तार और/या परिवर्तन के संकर्म के पूरा हो जाने पर उपभोक्ता अपने तार लगाने वाले ठेकेदार की परीक्षण रिपोर्ट प्रदायकर्ता को भेज देगा जिसका प्रतिनिधि उपभोक्ता के परिसर पर जाएगा और निरीक्षण करेगा और यदि समाधानप्रद पाया गया तो विस्तार और/या परिवर्तनों का अनुमोदन करेगा तथा जहां आवश्यक हो वहां मीटरों फ्यूजों और सेवा लाइनों का परिवर्तन करेगा ।

यदि किसी समय प्रदायकर्ता द्वारा ऐसा देखा जाता है कि उपभोक्ता ने प्रदायकर्ता के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना अपने संस्थापन में विस्तार और/या परिवर्तन करना आरंभ कर दिया है तो प्रदायकर्ता उपभोक्ता के संस्थापन के विद्युत प्रदाय को संक्षेपतः विच्छिन्न कर देगा ।

टिप्पण : एक कलीय प्रदाय प्राप्त करने वाले उपभोक्ता की दशा में संस्थापन में कोई परिवर्धन या परिवर्तन, प्रदायकर्ता को इस प्रभाव की सूचना देने के पश्चात किया जा सकेगा । उपयुक्त खंड के अन्य उपबंध लागू नहीं होंगे ।

15. प्रदाय की असफलता :

(क) (1) प्रदायकर्ता, उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त पूर्वाधानियां बरतेगा किन्तु वह विद्युत के प्रदाय असफलता के कारण जो ऐसे कारणों से हों जिसमें युद्ध, विद्रोह, बलवें, भूकम्प, चक्रवात, आंधी, हड़ताल, सिविल अशांति, तालाबंदी, बिजली, बाढ़, अग्नि दुर्घटना या प्रदायकर्ता के संयंत्र और मशीनरी के टूटने के कारण भी सम्मिलित है, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं है, उसको हुई किसी हानि या उसके संयंत्र या उपस्कर को हुई नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

(2) प्रदायकर्ता परीक्षण करने के कारण या बहिरंग (कामबंदी) या अनुरक्षण, उपक्रम की दक्षतापूर्ण कार्यकरण के लिए या किसी अन्य कारण के लिए प्रदाय को उस अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो, अस्थाई रूप से बन्द कर सकेगा । किन्तु प्रदायकर्ता जहां कहीं संभव हो, उपभोक्ता को न्यूनतम असुविधा होने के उद्देश्य से इस निमित्त अग्रिम सूचना देने का प्रयास करेगा ।

(ख) यदि किसी समय प्रदायकर्ता का मुख्य सेवा फ्यूज उड़ जाता है तो उसकी सूचना प्रदायकर्ता के निकटतम सेवा केन्द्र को भेजी जानी चाहिए । केवल प्राधिकृत कर्मचारियों को ही प्रदायकर्ता के कट आउटों में इन फ्यूजों को बदलने की अनुज्ञा है । उपभोक्ताओं को इन फ्यूजों को बदलने की अनुज्ञा नहीं है और उनके ऐसा करने की दशा में वे शास्ति के लिए दायी होंगे । यदि प्रदाय की असफलता प्रदायकर्ता के यंत्र से भिन्न किसी अन्य कारण से होती है तो उपभोक्ताओं से तत्समय प्रवृत्त सेवा और प्रकीर्ण प्रभारों की अनुसूची के अनुसार फ्यूजमेन के सेवा प्रभार प्रभावी होंगे ।

16. परिसर और यंत्रों तक पहुंच :

प्रदायकर्ता के कर्मचारियों को सभी उचित समयों पर और उपभोक्ताओं को सूचित करने पर प्रदायकर्ता और उपभोक्ता के उपस्करों के निरीक्षण और परीक्षण के प्रयोजन के लिए और विद्युत के प्रदाय से संबंधित सभी प्रयोजनों के लिए जिसके अंतर्गत प्रदायकर्ता के यंत्रों की मरम्मत और या बदलना और उपभोक्ता के परिसर में मीटरों का वाचन भी है और उपभोक्ता को विद्युत शक्ति के प्रदाय की उचित निरन्तरता और अनुरक्षण के लिए आवश्यक/या आनुषंगिक सभी बातों को करने के लिए, उपभोक्ता के परिसरों में पहुंचने का अधिकार होगा । किन्तु जहां यह संदेह किए जाने का कोई कारण है कि कोई उपभोक्ता, विद्युत ऊर्जा के उपयोग की बाबत दुराचार में लिप्त है या विद्युत ऊर्जा की चोरी कर रहा है तो प्रदायकर्ता का इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कर्मचारी किसी उचित समय में उपभोक्ता के परिसरों का निरीक्षण करने का हकदार होगा ।

17. प्रतिभूति निक्षेप—प्रदायकर्ता किसी उपभोक्ता से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रदाय की गई विद्युत के लिए

अपने बिलों और उसके परिसर में संस्थापित मीटर और अन्य यंत्रों के मूल्य के लिए पर्याप्त प्रतिभूति जमा करे ।

प्रदायकर्ता किसी भी समय जमा की गई प्रतिभूति का उपयोग किसी ऐसी धनराशि के संदाय या चुकता किए जाने के मद्दे कर सकेगा जो उपभोक्ता से शोध्य या उसके द्वारा देय हो गई हो । प्रदायकर्ता संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय उपभोक्ताओं से बढ़े हुए प्रतिभूति निक्षेप की मांग भी कर सकेगा । प्रतिभूति निक्षेप का अतिशेष संविदा समाप्त होने पर उपभोक्ता को वापस कर दिया जाएगा ।

उपभोक्ता किसी भी समय प्रदायकर्ता की पूर्व सहमति से, संविदा और अपने दायित्व प्रदायकर्ता द्वारा अनुमोदित किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित कर सकेगा।

18. विद्युत के लिए प्रभार लगाने का ढंग—(क) प्रदाय की गई विद्युत के लिए कीमत और प्रभार लगाने का ढंग ऐसा होगा जो प्रदायकर्ता द्वारा यथास्थिति विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 और/या भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के उपबंधों के अधीन रहते हुए समय-समय पर नियत किया जाएगा ।

19. विद्युत बिलों का संदाय —(क) बिलों का संदाय बिलों में विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख को या उससे पहले जो उनके प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 15 दिन से कम नहीं होगी के भीतर किया जाना चाहिए ।

(ख) बिलों की यथार्थता के संबंध में शिकायत प्रदायकर्ता को लिखित रूप में की जाएगी और ऐसे बिलों की रकम अभ्यापत्ति सहित उक्त अवधि के भीतर संदत्त की जाएगी । प्रकट अभ्यापत्ति सहित संदत्त बिलों की रकम उस समय तक जब तक विवादग्रस्त बिलों को पूरी तरह तय नहीं कर लिया जाता उपभोक्ता के खाते में जमा अग्रिम समझी जाएगी।

(ग) यदि उपभोक्ता उसको प्रस्तुत किए गए बिलों का संदाय उक्त अवधि के भीतर करने में असफल रहता है तो अनुज्ञाप्तिधारी अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन कार्रवाई कर सकेगा और उपभोक्ता को कम से कम पूरे सात दिन की लिखित सूचना देने के पश्चात् बिल की रकम बाद द्वारा या किसी अन्य विधि पूर्ण साधन द्वारा वसूल करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रदाय का सकेगा ऐसी सूचना बिल में ही सम्मिलित होगी या पृथक रूप से तामील की जाएगी ।

किन्तु जहां कोई मतभेद या विवाद प्रदायकर्ता द्वारा पूर्वोक्त सूचना दिए जाने से पूर्व विद्युत निरीक्षक को निर्देशित किया गया है वहां प्रदायकर्ता बिल के संदाय में असफलता के लिए प्रदाय को तभी काट सकेगा जब प्रदायकर्ता ने उपभोक्ता से लिखित रूप में अनुरोध किया हो कि विवादग्रस्त रकम उक्त विद्युत निरीक्षक के पास जमा कर दी जाए और उपभोक्ता ऐसे अनुरोध का अनुपालन करने में असफल रहा हो।

20. हटाए जाने की सूचना —(क) ऐसा उपभोक्ता जो अपने परिसर को खाली करने या उप पट्टे पर देने वाले हों उन्हें प्रदायकर्ता को पूरे सात दिन की लिखित सूचना देनी चाहिए और परिसर को प्रदाय वियोजित करने का अवसर देना चाहिए अन्यथा प्रदायकर्ता इस बात की गारण्टी नहीं दे सकता है कि मीटर का वाचन अपेक्षित तारीख को किया जाएगा ऐसी सूचना देने में असफल रहने पर, उपभोक्ता को उस परिसर में उपयोग की गई ऊर्जा के लिए जिसकी बाबत प्रदायकर्ता के पास ऊर्जा के प्रदाय के लिए करार है उस दिन से सात दिन की समाप्ति उत्तरदायी माना जाएगा जिसको लिखित रूप में प्रदाय हटाए जाने की सूचना उसके कार्यालय में प्राप्त हुई है। उस खण्ड का उपबन्ध वहां तक लागू होगा जहां तक वह प्रदायकर्ता और उपभोक्ता के बीच हुए करार से असंगत नहीं है और जहां वह असंगत है, वहां करार के उपबन्ध अधिभावी होंगे।

(ख) ऐसे उपभोक्ता जो आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रदाय प्राप्त कर रहे है, दो मास से अधिक की अवधि के लिए बाहर जा रहे हों या बाहर रहने के दौरान अपने मकान बन्द कर रहे हों या वे मकान उसी अवधि के लिए किराए पर न दिए जाने के कारण बन्द रहे हों और अधिभोग में न रहे हो उनसे अनुरोध है कि वे प्रदायकर्ता को पहले से सूचित कर दे जिससे कि परिसर में संस्थापित मीटरों का वाचन किया जा सके। संस्थापन वियोजित किया जा सके और यदि प्रदायकर्ता और उपभोक्ता के बीच करार हो जाए तो प्रदायकर्ता की सम्पत्ति को हटाया जा सके या प्रदायकर्ता को अन्यथा सूचित किया जाए कि जब कभी उपभोक्ता के जिले में वितरण मुख्यतारों का परीक्षण किया जाना है तब फ्यूजों को हटाने के लिए प्रदायकर्ता के इंजीनियर को समर्थ बनाने के लिए चाबियां कहां से अभिप्राप्त की जा सकती है। ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं से मासिक न्यूनतम प्रभार प्रभारित नहीं किया जाएगा, परन्तु यह सब जब कि :—

(i) प्रदायकर्ता के एक या अधिक मीटरों का किराया तब तक संदत्त किया जाएगा जब तक कि वे उपभोक्ता के परिसर में रहते हैं, यदि मीटर हटा लिए जाते है तो इन शर्तों के भाग 3 में यथा उपबन्धित मीटर हटाने और पुनः लगाने के लिए प्रभार संदेय होगे।

(ii) उपभोक्ता करार की अवधि को इतनी अवधि के लिए बढ़ाने का करार करता है जिसके लिए यदि उसकी संविदा की अवधि समाप्त नहीं हुई है, तो मासिक न्यूनतम प्रभार का अधित्यजन कर दिया गया है।

(iii) पुनः संयोजन से पूर्व इन शर्तों के उपाबन्ध- VI के भाग 3 में यथा उपबन्धित पुनः संयोजन फीस

का संदाय कर दिया जाता है। यदि उपभोक्ता दो मास की समाप्ति से पूर्व पुनः संयोजन की अपेक्षा करे तो पुनः संयोजन फीस और मासिक न्यूनतम प्रभार दोनों का संदाय उपभोक्ता द्वारा करना पड़ेगा।

(ग) जब कोई उपभोक्ता अपने संस्थापन को प्रदायकर्ता के मुख्यतारों से संयोजन छोड़ देता है किन्तु मीटर को तालाबन्द कर देता है या अन्यथा उसे अपहुंच के बाहर कर देता है तब उपभोक्ता से मासिक न्यूनतम प्रभार प्रभारित किया जाएगा। यदि अगले मास मीटर वाचन के लिए पहुंच योग्य है तो उपभोक्ता से वास्तविक उपभोग में से उपर्युक्त संदत्त न्यूनतम प्रभार घटाकर पहुंच की, अवधि के लिए न्यूनतम के अधीन रहते हुए प्रभारित किया जाएगा। यदि मीटर दूसरे बिल की अवधि के लिए भी पहुंच के बाहर रहता है तो उपभोक्ता को अधिनियम की धारा 20 के अधीन 24 घंटे की सूचना की तामील की जाएगी कि वह प्रदायकर्ता के किसी कर्मचारी द्वारा नियत समय और तारीख को मीटर के वाचन के लिए अपने परिसर को खोले। यदि मीटर अब वाचन के लिए उपलब्ध हो जाता है तो, उपभोक्ता से वास्तविक उपभोग में से पहुंच न होने के पहले मास के लिए संदत्त न्यूनतम प्रभार घटाकर, मासिक न्यूनतम के अधीन रहते हुए, प्रभार लिया जाएगा। यदि मीटर 24 घंटे की सूचना के पश्चात् भी पहुंच के बाहर रहता है तो प्रदाय वियोजित कर दिया जाएगा। उस मास के लिए भी न्यूनतम मासिक प्रभार उपभोक्ता पर प्रभारित किया जाएगा। यदि वियोजन के पश्चात् मीटर, यथास्थिति वाचन के प्रयोजन के लिए और हिसाब तय करने या सेवा के पुनः संयोजन के लिए पहुंच योग्य कर दिया जाता है तो उपभोक्ता से वास्तविक उपभोग में से पहुंच न होने की अवधि के लिए न्यूनतम प्रभार के अधीन रहते हुए, प्रभार लिया जाएगा। यदि उपभोक्ता पुनः संयोजन के लिए आवेदन करता है तो इन शर्तों के भाग 3 के अधीन फीस पुनः संयोजन से पूर्व संगृहीत की जाएगी।

21. मीटरों की यथार्थता (क) जहां उपभोक्ता किसी मीटर की जो उसकी अपनी सम्पति नहीं है, यथार्थता पर विचार करे तो वह सूचना देकर और विहित फीस का संदाय करके प्रदायकर्ता द्वारा या विद्युत निरीक्षक द्वारा मीटर का परीक्षण अधिनियम की धारा 26 के अनुसार करा सकेगा। यदि प्रदायकर्ता द्वारा मीटर का परीक्षण किया जाए और उसे भारतीय विद्युत नियमों में, जिस रूप में वे समय-समय पर प्रवृत्त हैं, विहित रूप में यथार्थता की सीमाओं से परे पाया जाए तो परीक्षण फीस वापस कर दी जाएगी और बिल की रकम उस मास से जिसमें विवाद उत्पन्न हुआ है पूर्व के तीन मासों के मीटर वाचन की बाबत, उन मासों के दौरान यथार्थता की दशाओं का सम्यक ध्यान रखते हुए दिए गए परीक्षणों के परिणाम के अनुसार समायोजित की जाएगी। यदि परीक्षण विद्युत निरीक्षक द्वारा किया गया हो और मीटर गलत पाया गया हो तो उस अवधि का जिसके दौरान मीटर की यथार्थता को अनुज्ञेय सीमा के भीतर पाया गया नहीं समझा गया हो तो उस अवधि के दौरान उपभोक्ता को प्रदाय की गई ऊर्जा की मात्रा का विनिश्चय विद्युत निरीक्षक द्वारा किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(ख) जहां उपभोक्ता को बिना किसी मीटर के प्रदाय किया गया है या जहां लगाया गया मीटर काम करना बन्द कर देता है और ऊर्जा की चोरी या कदाचार का संदेह नहीं है, वहां उस अवधि के दौरान जब मीटर संस्थापित नहीं किया गया था या संस्थापित मीटर कार्य करना बन्द कर देता है, तो प्रदाय की गई विद्युत् की मात्रा का निर्धारण निम्नलिखित के अनुसार किया जाएगा :—

(i) उस अवधि के दौरान जिसमें मीटर ने कार्य करना बंद कर दिया था प्रदाय की गई विद्युत् की मात्रा, उस मास से जिसमें उक्त मीटर ने कार्य करना बन्द कर दिया था पूर्ववर्ती तीन मास के दौरान प्रदाय की गई विद्युत् की औसत निकाल कर अवधारित की जाएगी परन्तु यह तब जब उक्त तीन मास के दौरान विद्युत् के उपयोग के संबंध में शर्तें साधारणतया उन शर्तों से भिन्न नहीं थी जो उस अवधि के दौरान जिसमें मीटर ने कार्य करना बंद कर दिया था, विद्यमान थीं।

(ii) यदि उपखण्ड (i) में उल्लिखित दो अवधियों के दौरान विद्युत् के उपयोग के संबंध में शर्तें भिन्न थीं तो उन पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान, जब कार्यकरण की शर्तें साधारणतया भिन्न नहीं थीं, किन्हीं तीस क्रमवर्ती मास के आधार पर अवधारण किया जाएगा।

(iii) जब उपखण्ड (i) या (ii) में उपदर्शित किन्हीं तीन मास के सेट का चयन करना संभव न हो या यदि मीटर संस्थापित हीं न किया गया हो, तो प्रदाय की गई विद्युत् की मात्रा प्रदायकर्ता द्वारा विद्युत् उपभोग के उत्पादन आंकड़ों के आधार पर या किसी अन्य ऐसे आधार पर जैसा प्रदायकर्ता उचित समझे जो विचाराधीन अवधि के दौरान कार्यकरण की शर्तों पर निर्भर करेगा, निर्धारित की जाएगी।

22. ऊर्जा का अप्राधिकृत प्रदाय :—

(i) उपभोक्ता प्रदायकर्ता, से क्रय की गई ऊर्जा के किसी भाग या संपूर्ण का प्रदाय किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करेगा जब तक कि :—

(i) उसके पास ऊर्जा के वितरण और विक्रय के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदत्त समुचित मंजूरी या अनुज्ञप्ति न हो, या

(ii) प्रदायकर्ता द्वारा मंजूर की गई कोई विशेष संविदा या अनुज्ञा है, जिसमें ऐसी अनुज्ञा के अनुसार ऊर्जा के प्रदाय के लिए उपभोक्ता को अनुज्ञा दी गई हो।

(2) यदि किसी समय यह पता चलता है कि कोई उपभोक्ता अप्राधिकृत रूप से ऊर्जा का प्रदाय कर रहा है, तो, उसको प्रदाय कोई सूचना तामील किए बिना बंद कर दी जाएगी। इस शर्त के प्रयोजनों के लिए ऊर्जा के अप्राधिकृत प्रदाय का अर्थ उपभोक्ता द्वारा प्रदायकर्ता से ली गई ऊर्जा से किसी व्यक्ति को प्रदाय की गई ऊर्जा है, इस बात के होते हुए भी कि प्रदाय के लिए किसी रूप में प्रभार लिया गया है या नहीं। किन्तु किसी भूस्वामी द्वारा अपने किराएदार को या किसी स्थापना द्वारा अपने कर्मचारियों और/या कर्मचारियों के कल्याण/सुखसुविधाओं के लिए उपयोग किए जा रहे परिसरों के लिए विद्युत् शक्ति के प्रदाय को अप्राधिकृत प्रदाय के रूप में नहीं माना जाएगा।

23. विद्युत का अनाचार और चोरी :

(क) अनाचार:—अनाचार से अभिप्रेत है उपभोक्ता द्वारा भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 या भारतीय विद्युत नियम, 1956 या विद्युत के प्रदाय और उपयोग को शासित करने वाली किसी अन्य विधि और उनके अधीन बनाए गए नियमों के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन और प्रदाय के लिए प्रदायकर्ता की शर्तों के किन्हीं उपबन्धों या प्रदायकर्ता द्वारा उपभोक्ता को विद्युत के प्रदाय को शासित करने वाली संविदा की किन्हीं निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन भी है और इसके अन्तर्गत विशिष्टतया निम्नलिखित भी सम्मिलित होंगे, अर्थात्

(1) किसी अन्य व्यक्ति को, प्रदायकर्ता की अनुज्ञा के बिना विद्युत का प्रदाय ।

(2) प्रदायकर्ता की विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के बिना किसी उपभोक्ता द्वारा संविदाकृत भार से अधिक का उपयोग।

(3) प्रदायकर्ता की अनुज्ञा के बिना उपभोक्ता के संस्थापन का अप्राधिकृत परिवर्धन, परिवर्तन और/या विस्तार ।

(4) किसी उपभोक्ता द्वारा ऐसी विद्युत प्रदाय सेवा से, जो प्रदायकर्ता द्वारा किसी कारण से बंद कर दी गई है, प्रदाय का उपयोग करना ।

(5) यदि किसी विशिष्ट टैरिफ के अधीन किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए प्रदाय की गई विद्युत का उपयोग, प्रदायकर्ता की अनुज्ञा के बिना, किसी ऐसे भिन्न प्रयोजन के लिए किया जाता है जो प्रदाय के लिए संविदा में अनुध्यात नहीं है और जिसके लिए कोई उच्चतर टैरिफ लागू है ।

(6) विद्वेषपूर्वक ऊर्जा को बर्बाद करता है या पथान्तर करता है या ऊर्जा के प्रदाय को बंद करने के आशय से, किसी विद्युत प्रदाय लाइन या संकर्म को काटने या क्षति पहुंचाता है या उसे काटने या क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है ।

(ख) विद्युत चोरी —

किसी ऐसे उपभोक्ता के बारे में जो बेईमानी से, किसी युक्ति की सहायता से या उसके बिना विद्युत ऊर्जा को निकालता है, उपभोग करता है या उपयोग करता है, जिसके अन्तर्गत ऐसी ऊर्जा का उपयोग भी है जिसको मीटर में नहीं लिया गया है और विद्युत के उपभोग को मीटर द्वारा सही ढंग से अभिलिखित करने से रोकता है, यह समझा जाएगा कि उसने इस अधिनियम के अर्थ के भीतर चोरी की है और विद्युत ऊर्जा के ऐसे निकाले जाने, उपभोग या उपयोग के लिए विद्यमान कृत्रिम या अन्य साधन, विद्युत के इस प्रकार बेईमानी से निकाले जाने, उपभोग या उपयोग के लिए, प्रथम दृष्टया साक्ष्य होंगे ।

(ग) विद्युत के अनाचार और चोरी के लिए संदाय :

जहां प्रदायकर्ता के सामाधान प्रद रूप में यह स्थापित हो जाता है कि किसी उपभोक्ता ने बेईमानी से विद्युत ऊर्जा को निकाला है, उपयोग किया है, उपभोग किया है या विद्वेषपूर्वक बर्बाद किए जाने या पथान्तर किया है, वहां निर्धारण, प्रदायकर्ता द्वारा पिछले छह मास की अवधि या प्रदाय प्रारम्भ किए जाने की तारीख से वास्तविक अवधि के लिए, जो भी कम हो, किया जाएगा, और इस प्रकार निर्धारित ऊर्जा के मूल्य का संग्रहण उसमें इसे सम्मिलित करते हुए अगले बिल द्वारा या किसी पृथक बिल द्वारा किया जाएगा । ऐसी रकम को सभी प्रयोजनों के लिए, विद्युत के बकाया के रूप में समझा जाएगा :

परन्तु यह कि इस प्रकार निर्धारित की गई ऐसी विद्युत ऊर्जा का मूल्य, जो निकाली गई है जिसका उपयोग, उपभोग, किया गया है, बर्बाद की गई या पथान्तर की गई है, उपभोक्ता द्वारा फाइल किए गए अभ्यावेदन किए जाने पर प्राधिकारी द्वारा पुनर्विमोचन निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा ।

यदि कोई उपभोक्ता, प्रदायकर्ता द्वारा, उपभोग की गई समझी जाने वाली ऊर्जा की मासिक मात्रा और/या उसके लिए विचार की गई अवधि की बाबत किए गए निर्धारण व्यथित है, तो वह प्रदाय के पुनः संयोजन के पूर्व यथा निर्धारित ऊर्जा के मूल्य के 20% से कम रकम का संदाय नहीं करेगा और निर्धारण आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर या विद्युत शक्ति प्रदाय के पुनः संयोजन की तारीख से जो भी पश्चातवर्ती हो किन्तु किसी भी दशा में, वह निर्धारण आदेश की, प्राप्ति की तारीख से 90 दिन के पश्चात नहीं होगी प्रदायकर्ता द्वारा अपने प्रधान कार्यालय में नियुक्त अपील प्राधिकारी के समक्ष अपने मामले को यदि वह ऐसा चाहता है, व्यपदिष्ट करेगा। अपील प्राधिकारी उपभोक्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और अपने अभ्यावेदन के समर्थन

में सभी लिखित और मौखिक साक्ष्य पेश करने के पश्चात, अपील का विनिश्चय करेगा और अपील प्राधिकारी का अपील में दिया गया विनिश्चय अन्तिम और उपभोक्ता पर आबद्धकर होगा और तब वह अपील प्राधिकारी के आदेश को संसूचित किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर अधिशेष रकम का संदाय करेगा। ऐसा न किए जाने पर उसका प्रदाय विछिन्न किया जा सकता है। अपील प्राधिकारी का नाम और पदनाम उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए अधिसूचित किए जाएंगे। ऐसे मामलों में निर्धारण के लिए पद्धति भी प्रदायकर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से बताई जाएगी।

24. प्रदाय को विछिन्न करने का प्रदायकर्ता का अधिकार.

(क) प्रदायकर्ता को अधिकार होगा कि वह ऊर्जा के प्रदाय को विछिन्न कर दे :

(1) यदि उपभोक्ता किसी यंत्र को लगाता है या प्रदायकर्ता द्वारा उसको प्रदाय की गई ऊर्जा का किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करता है या उसका किसी अन्य रीति से प्रयोग करता है जिससे कि प्रदायकर्ता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ऊर्जा के दक्षतापूर्वक प्रदाय में असम्यक रूप से या अनुचित रूप से बाधा पहुंचती हो, या

(2) यदि उपभोक्ता के परिसर में, विद्युत लाइनें, तारें और यंत्र विद्युत निरीक्षक या प्रदायकर्ता की राय में सुव्यवस्थित और अच्छी हालत में नहीं है, और जिससे परिणामस्वरूप प्रदायकर्ता द्वारा या अन्य उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा का उपयोग हानिकर रूप में होना संभाव्य है, या व्यक्तियों या सम्पत्ति को खतरे में होना संभाव्य है, या ,

(3) यदि उपभोक्ता अपने परिसर के भीतर किसी विद्युत लाइन, तार या यंत्र में कोई परिवर्तन या परिवर्धन करता है और प्रदायकर्ता को उनकी परीक्षा और परीक्षण किए जाने के उद्देश्य से प्रदाय के स्रोत से ऐसा संयोजन किए जाने से पूर्व अधिसूचित नहीं करता है, या

(4) यदि विश्वास किए जाने का ऐसा कोई कारण है कि उपभोक्ता ने अधिनियम के किसी उपबंध या प्रदाय की इन शर्तों का उल्लंघन किया है या प्रदायकर्ता के साथ किए गए करार को भंग किया है, या ,

(5) यदि सम्यक रूप से उपभोक्ता को अधिसूचित किए जाने के पश्चात उपभोक्ता के संस्थापन का परीक्षण और निरीक्षण के प्रयोजन के लिए प्रदायकर्ता के किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को किसी ऐसे परिसर में जिसमें ऊर्जा का प्रदाय किया जा रहा है या प्रदाय की गई है, प्रवेश करने की अनुज्ञा नहीं देता है या उचित सुविधाएं प्रदाय करने में असफल रहता है, या .

(6) यदि प्रदायकर्ता की जानकारी में यह बात आती है कि उपभोक्ता ने प्रदाय की इन शर्तों के खंडों में प्रगणित किसी अन्य अनाचार का प्रयोग कर रहा है या बेईमानी से विद्युत को निकाल रहा है, उपभोग कर रहा है, या उपयोग कर रहा है, या ,

(7) उपभोक्ता के दिवालियापन या उपभोक्ता के लेनदारों के फायदे के लिए किसी समनुदेशन के निष्पादन की दशा में, या किसी ऐसे उपभोक्ता के मामले में जो लिमिटेड कंपनी है, अनिवार्य या स्वैच्छिक समापन की दशा में।

ऊपर वर्णित किन्हीं कारणों से प्रदाय के विछिन्न किए जाने की दशा में, उपभोक्ता द्वारा उस समय संदेय समस्त धन राशि तुरन्त शोध्य और वसूलीय हो जाएंगी और उपभोक्ता करार की अनवर्णित अवधि के लिए या जहां कोई लिखित करार नहीं है वहां उस अवधि के लिए जो लागू होता है, यदि किसी करार का निष्पादन किया गया होता मासिक न्यूनतम प्रभार और न्यूनतम प्रत्याभूति, यदि कोई हो, का संदाय करता रहेगा।

25 विद्युत का प्रदाय विछिन्न होने पर, उपभोक्ता के लिए करार की समाप्ति

जहां कोई ऐसा उपभोक्ता जिसका प्रदाय, प्रदायकर्ता को देय किसी रकम का संदाय न किए जाने के कारण विछिन्न कर दिया गया है या किसी कारण से ऐसे देयों का संदाय करने में असफल रहता है और विछिन्न किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर अपने हिसाब को नियमित कर लेता है, वहां प्रदायकर्ता एक मास की अवधि की सूचना देने के पश्चात करार को समाप्त कर सकता है। ऐसी समाप्ति, ऐसी समाप्ति के पूर्व उपगत या अर्जित अधिकारों और बाध्यताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी। किसी विशेष प्रतिभूति के अधीन देय रकम की वसूली के रूप में, ऐसी समाप्ति ऐसे समापन के होते हुए भी, वसूलीय होगी।

टिप्पण यदि कोई उपभोक्ता जो पुराने विछिन्न संयोजन का हिताधिकारी रहा है, यदि नए संयोजन के लिए आवेदन करता है तो उसे ऐसे संयोजन की अनुज्ञा केवल तभी दी जाएगी यदि उसने उस विछिन्न संयोजन के विरुद्ध जिसका वह हिताधिकारी रहा है, बकाया देयों का संदाय कर दिया है।

26 विद्युत् के उपयोग पर निर्बन्धन

(1) किसी उपभोक्ता द्वारा प्रदायकर्ता के साथ निष्पादित किसी करार/वचनबंध या उसको लागू टैरिफ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपभोक्ता विद्युत् के उपयोग को अपनी अधिकतम मांग के निर्बन्धन के अनुसार और/या ऊर्जा के उपभोग

को, ऐसी रीति से उस अवधि के लिए जो किसी ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, जो राज्य सरकार या प्रदायकर्ता द्वारा तत्समय विद्यमान किसी विधि के अधीन उनमें निहित शक्तियों के अनुसरण में किए जाएं निर्बन्धित कर सकेगा ।

(ii) यथापूर्वोक्त विद्युत् के उपयोग पर निर्बन्धन अधिरोपित किए जाने पर उपभोक्ता का न्यूनतम प्रभारों के संदाय का दायित्व निर्बन्धित कोटा के अनुपातिक दर तक सीमित होगा परन्तु यह तब जब वह अवधि जिसके दौरान निर्बन्धन प्रवृत्त रहता है, उतनी अवधि से कम न हो जितनी इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की जाए ।

(iii) किन्तु, यदि उपभोक्ता निर्बन्धित कोटा से अधिक उपभोग करता है तो उससे निर्बन्धन की उस अवधि के ऐसे भाग या सम्पूर्ण भाग के दौरान जो समय-समय पर विनिश्चित की जाए, निर्बन्धन कोटा के आधिक्य के लिए ऐसी बढ़ी हुई दरों पर प्रभार लिया जाएगा ।

(iv) निर्बन्धित कोटा के आधिक्य के बढ़ाए गए प्रभारों को उद्ग्रहीत करने के प्रदायकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रदायकर्ता, किसी ऐसे उपभोक्ता के विद्युत् प्रदाय को जो अपने निहित कोटा से अधिक उपभोग करता है, विच्छिन्न कर सकेगा ।

27. अधिकारों की व्यावृत्ति—इन शर्तों की कोई बात भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम और विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्रदायकर्ता और उपभोक्ता के अधिकारों को न्यून नहीं करेगी या उन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

[फा. सं. के. वि. बो.-305/26-पी पी उपा-6/87]

चरणजीत सिंह, सचिव,
केन्द्रीय विद्युत् बोर्ड

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Power)

Central Electricity Board

New Delhi, the 8th July, 1987

G.S.R. 569.—The following draft of certain rule, further to amend the Indian Electricity Rules, 1956 which the Central Electricity Board proposes to make in exercise of the powers conferred by section 37 of the Indian Electricity Act, 1910 (9 of 1910) is hereby published as required by sub-section (1) of section 38 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Electricity Board.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Secretary, Central Electricity Board, S-907, Sewa Bhawan, Rama Krishna Puram, New Delhi-110066.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Indian Electricity (Amendment) Rules, 1987.

2. In the Indian Electricity Rules, 1956 for Part I of Annexure VI, the following Part I shall be substituted, namely :—

ANNEXURE VI

"PART I

1. General.—(i) Title.—These conditions of supply shall be called the terms and conditions of supply of electrical energy by the————

(ii) Definitions.—

(a) "contract demand' means, the maximum kilowatt (KW) or Kilovolt ampere (KVA), as the case may be, agreed to be supplied by the supplier and contracted by the consumer;

(b) "connected load" means, the aggregate of the manufacturer's rating of all the apparatus including portable apparatus on the consumer's premises. This shall be expressed in KVA/KW or Horse Power (H.P.), as the case may be;

(c) "consumer's installation" means, the whole of the electrical installation including the electrical wires, fittings motors and apparatus erected and wired by or on behalf of the consumer on his premises;

(d) "date of commencement of supply" means, the day immediately following the date of expiry of period of two months, from the date of issue of intimation by the supplier to the consumer of availability of power or the date of actual availing of supply by a consumer, whichever is earlier;

(e) "date of presentation" means, the second day after the date of any bill tendered by the supplier;

(f) "date of payment of Bills" means the date as may be defined in the tariff schedule of the supplier or the date as may be indicated only the body of the bills;

(g) "month" means, the calendar month or the period betwen the meter reading date in a particular month and the corresponding meter reading date of the immediately succeeding or preceding month, as the context may require;

(h) "Power Factor" means,—

(a) in a single phase circuit, the ratio of the Kilowatts to Kilovot—amperes; and

(b) in a three phase circuit, the ratio of the total kilowatts to the total equivalent kilovolt-amperes:

(i) "Average power factor" shall mean the average power factor resulting from variations in the extent and duration of the consumer's load during any month and its value corrected to the nearest percentum figure. It shall be calculated from the registrations, during the same period, of a kilo-watt-hour meter and reactive kilo-volt ampere hour meter which may be provided by the supplied as and when found necessary.

(j) All the expressions used herein but not specifically defined, but defined in the Indian Electricity Act, 1910 or the Electricity (Supply) Act, 1948 or under the Rules framed thereunder, shall have the meaning respectively assigned to them in their Acts and rules and if the said Acts and rules are silent, the ex-

pressions shall have the same meanings assigned to them in the General Clauses Act, 1897 or in the absence thereof, the meanings as commonly understood in the Electricity Supply Industry

2. System of Supply.— Supply of energy shall be given on the following system namely :—

(i) Low voltage, Direct current, two wire, or alternating current, single phase, 50 Hertz.

(ii) Medium Voltage—Direct current, three wire or Alternating current, three phase 50 Hertz.

(iii) High Voltage-Alternating Current, three phase, 50 Hertz.

3. Classification of Installations.—(i) A. C. System :

(a) Single phase, two Wire, 240 Volts:—

(i) General Supply not exceeding 20 amperes;

(ii) Motive power installations upto 1.5 K.W. in aggregate.

(b) Three phase, Four-Wire, 240 volts between phase wire and neutral for General supply exceeding 20 amperes.

(c) Three phase, three wire, 415 volts between phases for motive power installation of over 1.5 KW.

(ii) D.C. System :

(a) Two-wire 220 volts—

(i) General supply not exceeding 10 amperes.

(ii) Motive power installations upto 0.75 KW in aggregate.

(b) Three-wire 440 volts between outers for motive power installations of over 0.75 K.W.

4. Requisition and agreement for supply.—Requisition and agreement for supply or additional supply of electrical energy shall be made in the Form attached hereto (Appendix 'A') at the local office of the supplier The requisition shall be signed by the owner or occupier of the premises for which supply is required. Any assistance or opinion required for filling up the Form will be given to the applicant at the local office of the supplier.

5. Notice before connection.—An intending consumer shall give notice as may be specified by the supplier for different categories of supplies.

6. Notice for fixing the position of service meter etc.— Upon receipt of the requisition for supply, seven clear days' notice shall be sent by the supplier to the applicant for supply or to the contractor acting on his behalf, for his representative to meet the engineer of th supplier for the purpose of inspecting the premises and fixing the point of entry of supply mains and the position of the mains, cut-outs or circuit breakers and meters. The supplier shall, in no case, fix meters and main cut-out, nor allow the same to remain in any position which entitles entry of his employees into purdah or religious quarters.

7. Estimate for laying service lines :

(a) The position for the service having been agreed upon as provided in the condition No. 6 above, the supplier shall therafter submit to the applicant an estimate of the cost of carrying out the work. The estimate having been accepted, the applicant shall be required to deposit the amount of the estimate with the supplier before the service is laid. The deposit having been duly paid, orders shall be issued for the work to be taken up and the amount so deposited shall be subsequently adjusted, if necessary on compilation of the figures of the actual cost of the servic line. Other conditions being equal, service lines may as far as possible be laid in the order of date of receipt of the deposit money.

NOTE : The service line, notwithstanding that a portion of the cost has been paid for by the consumer, shall remain the property of the supplier by whom it is to be maintained ;

(b) If a consumer desires to have the position of the existing service line altered, the supplier shall carry out the work and charge the consumer the cost of the additional material used and the labour employed plus supervision charges not exceeding 15 per cent on cost of labour.

(c) Service lines for temporary illumination shall be laid by the supplier where possible and the cost incurred in laying and removing such service lines as determined in the manner laid down in clause (b) shall be paid by the consumer;

(d) Where any difference or dispute arises as to the cost of alteration of service lines, the matter shall be referred to Electrical Inspector, and he shall decide the same ; and

(e) A consumer requiring high voltage supply must provide and maintain at his expense a locked and weather-proof enclosure of agreed design for the purpose of housing the supplier's metering equipment.

8. Service lines.—The supplier shall lay free of charge 30 metres of service lines from his nearest distribution main outside the limits of the property in respect of which the requisition is made. Any length in excess of 30 metres as defined above and the whole of the service line within the limits of the property in respect of which the application is made shall be paid for by the applicant. The cost mentioned above, however, shall be exclusive of the proportionate cost of the first pole and fittings beyond 30 metres aforesaid. The proportionate cost of such poles and fittings shall be in the same ratio 30 metres to the length of the line beyond 30 metres from the point of tap off of the service and the second support of the service line. The main cut-outs or fuses shall be inserted and sealed by the supplier free of cost to the consumer.

9. Facilities to be provided by the consumer.—The consumer shall provide free of cost to the supplier necessary space, if required, and afford all the reasonable facilities for bringing in cables or overhead lines from supplier's system for servicing the consumer. The supplier shall have the right to use the space provided by the consumer for extending supply to other premises in the neighbourhood provided the supply to the consumer is not thereby affected.

10. Interference by Consumers.—The meter-boards, mains, cut-outs etc. must on no account be handled or removed by anyone who is not in the employment of the supplier. Every consumer shall compensate the supplier for any damage or cost of making good any damage caused to the mains, apparatus, or instrument or any other property of the supplier in the consumer's premises occasioned by reason of any act, negligence or default of the consumer, his servants or persons employed by him.

11. Wiring on Consumer's Premises :

(i) For the protection of the consumer and the public generally, it is necessary that the wiring on the consumer's premises shall conform to the I.E. Rules and the relevant code of practice for wiring of electrical installations prescribed by the Indian Standards Institution. As soon as the consumer's installation is completed in all respects and tested by the consumer's contractor, the consumer should submit to the supplier the wiring contractors' completion and test report. A Form for this purpose shall be supplied by the supplier. It is important that the conditions stipulated therein are fully complied with as otherwise there will be delay in obtaining the supply.

(ii) The wiring should, subject to the above stipulation, conform to the following provisions :—

(a) Mains—the consumer's main shall in all cases be brought back to the supplier's point of supply and sufficient cable shall be provided for connecting up with the supplier's apparatus.

(b) Switch and Fuses—The consumer shall provide a circuit breaker or a linked quick break main switch which shall be fixed as near as possible to the supplier's meter board with a single pole fuse on each conductor, except the neutral conductor.

(c) Balancing of Installation—If the connected load of any installation exceeds 3000 watts, the installation shall be wired on the group system. An approved type of double pole linked switch shall control each main circuit. The lamps, fans or any other apparatus of the installation shall be so grouped that under normal working conditions the current will be balanced.

(d) Medium Voltage Supply—With medium voltage supply i.e. above 250 volts and upto 650 volts, the supplier's meter and service cut-outs shall be enclosed in a strong teak wood or metallic box suitably ventilated and provided with a hasp, staple and lock at a consumer's cost. All wires between which a difference of potential of over 250 volts exists shall be made inaccessible to unauthorised persons or enclosed in an earthed metallic casing or conduit. A "Caution" Board printed in Hindi or English and the local language of the district shall be fixed thereto.

(e) Overhead Mains.—In order to save the expenses of a long underground service on private property, a consumer may, with the supplier's approval erect a pillar on that portion of his property which is nearest to the supplier's supply mains into which the service shall be laid and from which the consumer shall run overhead mains to his premises. Those overheads mains shall constitute a portion of his installation and shall be laid in compliance with the IE Rules in force from time to time. An efficient choking coil and lightening arrestor may be fixed at the commencement of the overhead line at the consumer's cost should he so desire as an additional protection for his installation.

(f) Earthing—Gas pipes and water pipes shall on no account be used for earthing purpose.

(g) Domestic heating and cooking—if required, special circuit for heating and cooking shall be run from the supplier's point of supply. Wall plugs used on these circuits shall be of the three pin type, the third pin being an earth connection. Two pin plugs or lighting sockets shall not be allowed. All appliances used in the bathroom for heating or washing purposes or in any damp location must be effectively earthed.

(h) Plugs—All plugs shall be switched on the live wire and not on the neutral.

(i) Wiring—Single leads shall not be allowed to be run separately in iron conduct.

(j) AC Motor installations—Motors shall be provided with control gear so as to prevent satisfactorily the maximum current demand from the consumer's installation exceeding the limits given in the following schedule at any time under all possible conditions. Failure to comply with these regulations will render the consumer liable to disconnection from the supply on account of interference with the supply to other consumers.

Nature of Supply	Size of installation	Limit of maximum Current Demand
Single Phase	Upto and including 1.5 KW	6 × full load current
Three Phase	Upto and including 2.00 KW	6 × full load current
	Above 2.00 KW and upto and including 11.00 KW.	2 × full load current
	Above 11.00 KW and upto and including 75 KW	1½ full load current
	Above 75 KW	1¼ full load current

Motor circuits shall be controlled by a triple pole linked switch protected by a no-volt release and T.P. fuses (or overload releases). It is important that the release should be maintained in thorough working order. Wiring for medium voltage motors shall be run with all three-phase wires bunched in a single metallic conduit, which shall be efficiently earthed throughout and connected to the frame of the motor from which two separate earth wires shall be run. The minimum size of the earth wire permitted is 1.5 mm² for copper and 2.5 mm² for Aluminium. However, rigid non-metallic conduit conforming to relevant ISS may be used for medium voltage installation, subject to such condition as the Inspector may think fit to impose. All motors shall comply in every respect with the Indian Electricity Rules in force from time to time. Motors above 1.5 KW shall be wound for three phase 415 volts between phases.

The intending consumers are advised to consult the engineer of the supplier before ordering their motors as in some case, it may be practicable to relax the starting current limit depending on the location and conditions.

(k) The maximum load that can be connected to the supplier's mains should satisfy the requirements as laid down by the supplier in this regard. These requirements are related to the system capacity, voltage level, local conditions and connected matters. Where supply is availed at 3 phase, the wiring should be done by grouping the single phase loads in such a manner as to load the 3 phases in a balanced manner and to avoid neutral current under normal working conditions. Under no circumstances the unit capacity of a single phase load connected to a 3 phase system should exceed 15 per cent of the allotted power.

(l) Power Factor of Installation—The apparatus shall have a power factor of not less than 85 per cent at normal working load. Every consumer using induction motors and welding transformers shall instal shunt capacitors of the ratings as may be specified by the supplier. Supply to new consumers with induction power load may not be released unless shunt capacitors of specified ratings are installed by the consumers.

In the event of the existing consumers failing to instal shunt capacitors of the required ratings within such time as may be fixed by the supplier, the supplier shall have the right to instal the capacitors at his own cost and recover the costs/charges from the consumer or levy such sur-charges as may be fixed by the supplier from time to time.

12. Apparatus on Consumer's Premises.—All transformers, switchgear and other electrical equipments belonging to the consumer and connected to the mains of the supplier shall be maintained to the reasonable satisfaction of the supplier. The controlling equipments shall be in conformity with the provisions of Rule 50 of the Indian Electricity Rules, 1956

(b) Low and medium voltage consumers—In the case of low and medium voltage consumers, the consumer must in all cases provide linked quick-break switches and a main fuse on each pole other than earth neutral which must be fixed within one metre of the supplier's meter board or in such position as shall be approved by the supplier.

(c) High Voltage Consumers—In the case of HV Consumers :

(i) For loads below 1000 KVA, the consumer shall provide suitable linked switch with fuses or a circuit breaker of requisite capacity after the point of commencement of supply to insolate supply completely to his installation.

(ii) For loads of 1000 KVA and above upto 3000 KVA the consumer shall provide a circuit breaker or a suitable device with high rupturing capacity fuses of prescribed grade and quality and equipped with a device to trip all phases at time.

(iii) In all other cases suitable circuit breakers must be installed on the supply side fitted with automatic overload protective device so adjusted that they operate before the overload protective device in the supplier's terminal cubicle operate and further must be of sufficient rupturing capacity to be specified by the supplier to protect the consumer's installation under short circuit conditions.

13. Procedure for Testing Installation by the Supplier and Charging of Fee.—(a) Upon receipt of the test report the supplier shall notify to the applicant the time and the day when the supplier's representative proposes to inspect and test the installation. It will then be the duty of the applicant to arrange that representative of the wiring contractor employed by him is present at the time of inspection to give the supplier's representative any information that may be required by him concerning the installation.

(b) No connection shall be made until the consumer's installation has been inspected and tested by the supplier and found satisfactory. No charge shall be made for the first test made by the supplier but subsequent tests due to faults disclosed at the initial test shall be charged for in accordance with the charges fixed by the supplier from time to time.

(c) Before taking the insulation test of the installation the wiring must be completed in all respects. All fittings whether incandescent lamps, fans, motors, heating, cooking or other apparatus must be connected to the conductors and all fuses must be in place and all switches switched in the 'on' position before the tests are carried out. Temporary wires or fittings of dead ends should not be included in the installation and no part of the work should be left incomplete.

(d) Low and Medium Voltage Installations :

(i) A pressure of 500 volts will be applied between each live conductor of the installation and "earth" and the minimum installation resistance to earth after one minute's electrification shall be one Meg-ohm.

(ii) The test between poles should give at least half the result of that to "earth".

(e) High Voltage Installation—A pressure of 1000 volts minimum will be applied between each live conductor of the installation and "earth" and the installation resistance to earth after one minute's electrification shall be according to the relevant Indian Standard applicable to the installation/apparatus. Where necessary, tests for the specific apparatus such as determination of PI value for transformers may have to be carried out.

14. Extensions and Alterations.—Should a consumer, at any time, after the supply of energy has been commenced, require to increase the contracted load, as provided for in the Agreement for supply of energy between the supplier and consumer, then the consumer shall give a notice in writing to the supplier. After the supplier agrees to meet the increase load, the consumer will take up the work of extensions and/or alterations to the internal wiring in his premises. During such time as the extensions and/or alterations are being carried out, the electric supply to the circuits which are being extended or altered must be entirely disconnected by the consumer and shall remain so disconnected until such extensions and/or alterations have been tested and approved by the supplier. On completion of the work of extensions and/or alterations, the consumer will send the test report of his wiring contractor to the supplier, whose representative will call at the premises of the consumer, inspect and if found satisfactory approve the extensions and/or alterations, and where necessary, alter the meters, fuses and services lines.

If at any time it is noticed by the supplier that the consumer has taken up extensions and/or alterations to his installation without prior approval in writing of the supplier, supply of electricity to the consumer's installation may be summarily discontinued.

Note.—In case of a consumer receiving supply on single phase, any additions to or alterations in installation may be carried out after serving notice to the supplier to that effect. Other provisions in the above clause will not apply.

15. Failure of Supply.—(a) (i) The supplier shall take all reasonable precautions to ensure continuity of supply of electricity to the consumer but shall not be responsible for any loss to him or damage to his plant and equipment due to failure in supply of electricity for reasons including but not limited to war, mutiny, riot, earth-quake, cyclone, tempest, strike, civil commotion, lock-out, lightning, flood, fire accident or breakdown of plant and machinery of the supplier.

(ii) The supplier may for reasons of testing or outages or maintenance, or for any other cause for efficient working of the undertaking, temporarily discontinue the supply for such period as may be necessary. The supplier, shall however, endeavour wherever possible to give advance notice in this behalf with the object of causing minimum inconvenience to the consumer.

(b) If at any time the supplier's main service fuse blows, notice thereof should be sent to the nearest service station of the supplier. Only authorised employees are permitted to replace these fuses in the supplier's cut-outs. Consumers are not allowed to replace these fuses and in the event of their doing so they will render themselves liable to a penalty. If the failure of supply is due to any cause other than the supplier's apparatus, the consumers will be charged for the attendance of the fuseman in accordance with the schedule of service and miscellaneous charges for the time being in force.

16. Access to premises and Apparatus.—The employees of the supplier shall have the right of access to the consumer's premises at all reasonable time and on informing the consumer, for the purpose of inspection and testing of the equipments of the supplier and of the consumer and for all purposes connected with the supply of electricity including repairing and/or altering the suppliers' apparatus and reading of meters on the consumer's premises and for doing all things necessary for/or incidental to the proper continuance and maintenance of power supply to the consumers. Where, however, there is a reason to suspect that a consumer is indulging in any malpractice with reference to the use of electrical energy or is committing a theft of electrical energy, the employee of the supplier authorised for the purpose shall be entitled to inspect the consumer's premises at any reasonable time.

17. Security Deposit.—The supplier may require any consumer to deposit adequate security for the payment of his bills for supply of electricity and for the value of the meter and other apparatus installed in his premises.

The supplier shall be at liberty at any time to apply any security deposited towards payment on satisfaction of any money which shall become due or owing by the consumer. The supplier shall also be at liberty to demand enhanced security deposit from consumer at any time during the life of the contract. The balance of the security deposit will be returned to the consumer on the termination of the contract.

The consumer may at any time, with the previous consent of the supplier transfer the contract and its liabilities to any other person approved by the supplier.

18. Method of charging for Electricity.—The price and method of charging for electricity supplied shall be such as may be fixed by the supplier from time to time subject to the provisions of the Electricity (Supply) Act, 1948, and/or the Indian Electricity Act, 1910, as the case may be.

19. Payment of Electricity Bills.—(a) Bills should be paid on or before the last date specified in the bills which shall not be less than 15 days from the date of their presentation.

(b) Any complaint with regard to the accuracy of the bills shall be made in writing to the supplier and the amounts of such bills shall be paid under protest within the said

period. The amount of bills paid under protest will be regarded as advance to the credit of the consumer's account until such time as the bills in dispute have been fully settled.

(c) If the consumer fails to pay any bill presented to him within the said period, the supplier shall be at liberty to take action under sub-section (1) of section 24 of the Act and to disconnect the supply after giving such consumer not less than seven clear days notice in writing without prejudice to his right to recover the amount of the bill by suit or by any other lawful means. Such notice may be incorporated in the bill itself or may be served separately.

Where, however, any difference or dispute has been referred under the Act to the Electrical Inspector before notice as aforesaid has been given by the supplier, the supplier shall not be at liberty to cut-off the supply for failure to pay the bill except where the supplier has made a request in writing to the consumer that the amount in dispute should be deposited with the said Electrical Inspector and the consumer has failed to comply with such request.

20. Notice of Removal.—(a) Consumers about to vacate or sublet their premises should give to the supplier a seven clear days' notice in writing together with an opportunity for disconnecting the premises, otherwise the supplier cannot guarantee that the meter readings will be taken on the required date. Failing such notice the consumer will be held responsible for energy consumed on the premises in respect of which the supplier holds agreement for the supply of energy, until the expiration of seven days from the day on which the notice of removal in writing has been received at his office. The provision of the clause shall apply insofar as it is not inconsistent with the provisions of the agreement between the supplier and consumer and where it is inconsistent, the provision of the agreement will prevail.

(b) Consumers receiving supply for residential purposes leaving the station for a period exceeding two months and locking their houses while away, or those houses remaining closed and unoccupied owing to non-tenancy for the same period are required to inform the supplier before hand in writing so that the meters installed at the premises may be read, installation disconnected and the suppliers' property removed if agreed to between the supplier and the consumer or otherwise to notify the supplier where the key can be obtained to enable the supplier's engineers to remove the fuses whenever it is desired to supplier's engineers to remove the fuses whenever it is desired to test the distribution mains. In such cases consumers will not be charged the monthly minimum, provided that :

(i) The rental of meter or meters of the supplier shall be paid so long as they remain on the consumer's premises. If the meters are removed, the charges as provided for in Part-III of these conditions will be payable for removing and re-fixing the meters.

(ii) the consumer agrees to the extension of the term of the agreement by the period by which the monthly minimum charges have been waived if the period of his contract had not expired.

(iii) a reconnection fee as provided in Part-III of Annexure VI of these conditions is paid before a reconnection. In case the consumer requires re-connection before expiry of two months, both the reconnection fee and the monthly minimum charge will have to be paid by the consumer.

(c) When a consumer leaves his installation connected to the supplier's mains, but locks up the meter or otherwise makes it inaccessible, the consumer will be charged the monthly minimum. If in the next month the meter is accessible for reading, the consumer will be charged the actual consumption less the above minimum charges paid, subject to the minimum for the period of inaccessibility. If on the other hand, the meter remains inaccessible in the second billing period also, the consumer will be served with 24 hours' notice under section 20 of the Act to open his premises for the reading of the meter by any employee or the supplier at a fixed time and date; if the meter is now made available for reading, the consumer will be charged the actual consumption less the minimum charge paid for the first month of inaccessibility, subject to the monthly minimum. If the meter remains inaccessible even after 24 hours notice, the supply will be disconnected. For that month also, the monthly minimum charges will be charged to the consumer. If the meter is made accessible subsequent to the disconnection for purposes of reading the meter and settling accounts or for re-connection of the service, as the case may be, the consumer will be charged, the actual consumption, subject to the minimum for the period of disconnection. If the consumer applies for re-connection, fees under Part-III of these conditions will be collected before re-connection.

21. Accuracy of Meters.—(a) Where the consumer disputes the accuracy of any meter which is not his own property, he may, upon giving notice and paying the prescribed fee, have the meter tested by the supplier or the Electrical Inspector in accordance with section 26 of the Act. In the event of the meter being tested by the supplier and found to be beyond the limits of accuracy as prescribed in the I.E. Rules in force from time to time, the testing fee shall be returned and the amount of the bill adjusted in accordance with the result of the test taken with respect to the meter readings of the three months prior to the month in which the dispute has arisen, due regard being paid to the condition of occupancy during the months. In the event of the test being undertaken by the Electrical Inspector and the meter being found to be incorrect, the period during which meter shall be deemed to have been not within permissible limits of accuracy, and the amount of energy supplied to the consumer during this period shall be decided by the Electrical Inspector whose decision shall be final.

(b) Where supply to the consumer has been given without a meter or where the meter fixed ceased to function and no theft of energy or malpractice is suspected the quantity of electricity supplied during the period when meter was not installed or the meter installed ceased to function shall be as mentioned hereunder :—

(i) The quantity of electricity supplied during the period in which the meter ceased to function shall be determined by taking average of the electricity supplied during the three months preceding the month in which the said meter ceased to function provided that the conditions with regard to use of electricity during the said three months were generally not different from those which prevailed during the period in which the meter ceased to function.

(ii) If the condition in regard to use of electricity during the two periods as mentioned in sub-clause (i) were different, assessment shall be made on the basis of any consecutive three months during the preceding twelve months, when the condition of working were generally not different.

(iii) When it is not possible to select a set of three months as indicated in sub-clause (i) or (ii) or if the meter is not at all installed, the quantity of electricity supplied shall be assessed by the supplier on the basis of production figures of usage of electricity or on such other basis as the supplier may deem proper, depending upon the condition of working during the period under consideration.

22. Unauthorised supply of energy.—(1) The consumer shall not supply a part or whole of the energy purchased by him from the supplier to any other persons unless :

(i) he holds a suitable sanction or license for distribution and sale of energy granted by the State Government, or

(ii) there is a special contract or permission granted by the supplier permitting the consumer to supply energy in accordance with such permission.

(2) If a consumer is detected supply energy unauthorisedly at any time, his supply shall be disconnected without serving any notice. For the purposes of this condition, the unauthorised supply of energy shall mean the supply of energy by consumer to any other person from energy drawn by him from the supplier irrespective of whether supply is charged in any form or not. However, the supply of power by a landlord to his tenants or by any establishment to its employees and/or to the premises used for the welfare/amenities of employees shall not be considered as unauthorised supply of energy.

23. Malpractice and theft of electricity.—(a) Malpractice—Malpractice shall mean contravention by the consumer of any of the provisions of the Indian Electricity Act, 1910, Electricity (Supply) Act, 1948 or Indian Electricity Rules, 1956 or any other law governing the supply and use of electricity and the rules framed thereunder as also the contravention of any of the provisions of the supplier's conditions of supply or any terms and conditions of contract governing the supply of electricity by the supplier to the consumer and shall in particular include the following namely :—

(i) Supply of electricity to any other person without the permission of the supplier.

(ii) exceeding the contracted load by a consumer without the specific permission of the supplier ;

(iii) unauthorised addition, alteration and/or extension of the consumer's installation without the permission of the supplier.

(iv) using supply by a consumer from the service which has been disconnected by the supplier for any reason.

(v) if electricity supplied for a specific purpose under a particular tariff is used without the supplier's permission for a different purpose not contemplated in the contract for supply and to which a higher tariff is applicable.

(vi) maliciously energy is wasted or diverted or with intent to cut off the supply of energy, cuts or injuries or attempts to cut or injure any electric supply line or works.

(b) Theft of Electricity.—Any consumer who dishonestly abstracts, consumes or uses electrical energy with or without the aid of any device, including the consumption of energy which is not metered and preventing correct recording by the meter of the consumption of electricity, shall be deemed to have committed theft within the meaning of this Act and the existence of artificial or other means for such abstraction consumption or use of electrical energy shall be prima facie evidence for such dishonest abstraction, consumption or use of electrical energy.

(c) Payment for malpractice and theft of electricity.—Where it is established to the satisfaction of the supplier that a consumer has dishonestly abstracted, used, consumed or maliciously caused electrical energy to be wasted or diverted shall be assessed by the supplier for the past six months' period or the actual period from the date of commencement of supply whichever is less, and the value of energy so assessed shall be collected by including the same in the next bill or by a separate bill. Such amount shall be deemed to be the arrears of electricity dues for all purposes.

Provided that the value of the electrical energy so assessed to have been abstracted, used, consumed, wasted or diverted shall be subject to review by the authority on the representation filed by the consumer in the manner stated herein below :

When a consumer is aggrieved by the assessment made by the supplier in respect of monthly quantum of energy deemed to have been consumed and/or the period considered therefor, he shall pay an amount not less than 20 per cent of the value of the energy as assessed before the supply is reconnected and represent his case, if he so desires within 30 days from the date of receipt of the assessment order or from the date of reconnection of power supply whichever is later, but in no case, later thon 90 days from the date of receipt of the assessment order before the appellate authority appointed by the supplier at his Head Office, who arter giving an opportunity to the consumer of being heard and producing all written and oral evidence in support of his representation will decide the appeal and the decision of the appellate authority in the appeal shall be final and binding upon the consumer and he shall then pay the balance amount within 30 days from the date of communication of the order of the appellate authority, failing which his supply is liable to be disconnected. The name and designation of the appellate authority shall be notified by the supplier for information of the consumers. The methodology for assessment in such cases shall also be clearly spelt out by the supplier.

24. Supplier's right to disconnect the supply.—(a) The supplier shall be entitled to disconnect supply of energy :

(i) If the consumer adopts any appliances or uses the energy supplied to him by the supplier for any purpose or deals within it in any manner, so as to unduly or improperly interfere with the efficient supply of energy to any other person by the supplier, or ;

(ii) if the electric lines wares and apparatus in the premises of the consumer are, in the opinion of either the Electrical Inspector or the supplier, not in good order and condition, and are consequently likely to affect injuriously the use of energy by the supplier, or by other consumers or likely to endanger persons or property, or

(iii) if the consumer makes any alterations of, or additions to, any electric lines, wires or apparatus within his premises and does not notify the same to the supplier before the same are connected to the source of supply, with a view to their being examined and tested, or

(iv) if there is reasons to believe that the consumer has contravened any of the provisions of the Act or of these conditions of supply or committed breach of his agreement with the supplier, or

(v) if any consumer who after having been duly notified refuses to permit or fails to give an authorised representative of the supplier reasonable facilities to enter any premises to which energy is or has been supplied for the purpose of testing or inspecting the installation of the consumer, or

(vi) if it is noticed by the supplier that the consumer has resorted to any other mal-practices as enumerated in clauses of these conditions of supply or is dishonestly abstracting, consuming or using electric energy; or

(vii) in the event of the consumer's bankruptcy, or the execution ,of any assigning for the benefit of consumer's creditors, or in case of a consumer being a limited company in the event of compulsory or voluntary liquidation.

In the event of the supply being disconnected for any reasons detailed above, all the money then payable by the consumer shall become due and recoverable forthwith and the consumer shall continue to pay the monthly minimum charges and the minimum guarantee, if any, for the unexpired period of the agreement or where there is no written agreement for the period which would have been applicable, if any agreement had been executed.

25. Termination of agreement for consumers where supply of Electricity remains disconnected.—Where any consumer whose supply is disconnected for non-payment of any amount due to the supplier on any account fails to pay such dues and regularise his account within three months from the date of disconnection, the supplier may terminate the agreement after giving one month's notice. Such termination shall be without prejudice to the rights and obligations incurred or acquired prior to such termination. The amount due under any special guarantee shall be recoverable notwithstanding such termination as liquidated damages.

Notes.—If, however, a consumer who has been a beneficiary of the old disconnected connection, applies for a fresh connection, he may be allowed such connection only if he clears the outstanding dues against the disconnected connection of which he has been the beneficiary.

26. Restriction on use of Electricity.—(i) Notwithstanding anything contained in any agreement/undertaking executed by a consumer with the supplier or in the tariff applicable to him, the consumer shall restrict the use of electricity in terms of his maximum demand and/or energy consumption in the manner and for the period as may be specified in any order that may be made by the State Government or the supplier pursuant to the powers vested in them under any law for the time being.

(ii) With the imposition of, restriction on use of electricity as aforesaid, the consumers liabilities to pay the minimum

charges shall be limited pro rata to the restricted quota provided the period during which restriction remains in force is not less than the period as may be prescribed for the purpose.

(iii) In case, however, the consumer exceeds the restricted quota, he shall be charged at such enhanced rates in excess of the restricted quota during such parts or the whole of the period of the restriction as may be decided from time to time.

(iv) Without prejudice to the rights of the supplier to levy enhanced charges in excess of the restricted quota, the supplier may disconnect the supply of electricity to a consumer who exceeds his prescribed quota.

27. *Saving Rights.*—Nothing in these conditions shall abridge or prejudice the rights of the supplier and the consumer under the Indian Electricity Act, 1910 or any rules made thereunder and the Electricity (Supply) Act, 1948.

[No. CEB-305/26/PP-ANN. VI/87]
CHARANJIT SINGH, Secy. C E B

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1987

शुद्धिपत्र

सा. का. नि. 570.—शुद्धिपत्र के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) तारीख 4 अक्तूबर, 1987 के पृष्ठ सं. 2993 से 2994 पर प्रकाशित, भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं सा. का. नि 861 तारीख 24 सितम्बर, 1986 की अनुसूची में—

(1) स्तम्भ 8 के नीचे, खंड (1) से पहले "आवश्यक" शब्द पढ़ें।

(2) स्तम्भ 13 के नीचे दिए गए टिप्पण 1 और टिप्पण 2 को स्तम्भ 8 के नीचे आवश्यक अर्हताएं और वांछनीय अर्हताएं के नीचे पढ़े।

(3) स्तम्भ 14 के नीचे दिए गए टिप्पण को स्तम्भ 13 के नीचे पढ़ें।

[सं. ए. 12018/3/83-सी.जी.एच.एस.
सी. जी. एच एस. (पी.)]
एच एस धकालिया, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 2nd July, 1987

CORRIGENDUM

G.S.R. 570.—In the notification of the Government of India, the Ministry of Health and Family Welfare No. G.S.R. 861, dated the 24th September, 1986 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 4th October, 1986 at pages 2994—2996—

In the Schedule—

(i) below column 8, before clause (i) read the word 'ESSENTIAL';

(ii) Note 1 and Note 2, appearing under below column 13, may be read below column 8 between 'essential qualifications' and 'desirable qualifications';

(iii) note appearing below column 14 may be read below column 13

[No. A-12018/3/83-CGHS I/CGHS(P)]
H S DHAKALIA, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(गवेषणा और संदर्भ विभाग)

नई दिल्ली, 10 जून, 1987

सा.का.नि. 571.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गवेषणा और संदर्भ प्रभाग (श्रेणी 3 और श्रेणी 4 पद) भर्ती नियम, 1965, जहां तक उनका संबंध पुस्तकालयाध्यक्ष, लेखाकार, आशुलिपिक श्रेणी 2, उच्च श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक श्रेणी 3 और निम्न श्रेणी लिपिक के पदों से है और गवेषणा और संदर्भ प्रभाग (हिन्दी अनुवादक) भर्ती नियम, 1976, गवेषणा और संदर्भ प्रभाग (प्रलेख सहायक) भर्ती नियम, 1978, गवेषणा और संदर्भ प्रभाग (पुस्तकालय सहायक) भर्ती नियम, 1979 को, उन बातों के सिवाए, अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के गवेषणा और संदर्भ प्रभाग में समूह "ग" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गवेषणा और संदर्भ प्रभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ 5 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 से स्तम्भ 15 में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा कर्मचारी चयन आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. प्रलेख सहायक	4* (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	1400-40-1600-50-2300 द. रो. 60-2600 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	28 वर्ष से अधिक नहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में है) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या उसके समतुल्य। 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री/डिप्लोमा। टिप्पण : 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। वांछनीय : किसी प्रतिष्ठित पुस्तकालय में अनुक्रमणिका और प्रलेख कार्य का दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जायेगा।
11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायगा
13	14
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
2. पुस्तकालयाध्यक्ष	1* (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	1400-40-1800-ई.बी.-50-2300 रुपये	चयन	लागू नहीं होता	28 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख, प्रत्येक मामले में भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में है) आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालय के भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिये कहा गया है।

8	9	10
आवश्यक अर्हताएं : 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा	नहीं	2 वर्ष (केवल सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये)

11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	1350-2200 रुपये के वेतनमान में ऐसा पुस्तकालय सहायक जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है या 1200-2040 रुपये या समतुल्य वेतनमान में ऐसा कनिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है।

13	14
1. मुख्य प्रलेख अधिकारी गवेषणा और संदर्भ प्रभाग—अध्यक्ष 2. प्रशासन अधिकारी गवेषणा और संदर्भ-प्रभाग—सदस्य 3. संदर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष गवेषणा और संदर्भ प्रभाग—सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, फोटो प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6	7
3 लेखाकार	*1 (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	1400-40-1800-द.रो - 50-2300 रु	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।

8	9	10
लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता ।

प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति:
	गवेषणा और संदर्भ प्रभाग के ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक, जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 5 वर्ष सेवा की है और जिन्हें रोकड़ और लेखा कार्य का अनुभव है । सूचना और प्रसारण मंत्रालय और उसके संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों के संवृत्त वेतनमान में ऐसे लेखाकार या उच्च श्रेणी लिपिक, जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 5 वर्ष सेवा की है और जिन्हें रोकड़ तथा लेखा कार्य का अनुभव है (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

13	14
1. गवेषणा अधिकारी, गवेषणा और संदर्भ प्रभाग—अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी, गवेषणा और संदर्भ प्रभाग—सदस्य 3. सहायक गवेषणा अधिकारी, गवेषणा और संदर्भ प्रभाग—सदस्य 4 प्रशासनिक अधिकारी फोटो प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
4. आशुलिपिक श्रेणी 2	2* (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	1400-40-1800-द.रो - 50-2300 रुपये	अयन	लागू नहीं होता	18 वर्ष और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख, प्रत्येक मामले में, भारत के अभ्यर्थियों से (उनमें भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में है)। आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी । रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिये कहा गया है ।

8	9	10
आवश्यक अर्हताएं : (1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य (2) आशुलिपिक और टंकण में क्रमशः 120/40 शब्द प्रति मिनट की गति वांछनीय अर्हताएं : (1) किसी सरकारी कार्यालय या ख्याति प्राप्त फर्म में आशुलिपि में लगभग 3 वर्ष का अनुभव (2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री। टिप्पण. 1 अर्हताएं अथवा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग /सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (ह) जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	नहीं	2 वर्ष (केवल सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये)

11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति.गवेषणा और संदर्भ प्रभाग के ऐसे आशुलिपिक श्रेणी 3 जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 5 वर्ष सेवा की है। प्रतिनियुक्ति : सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी 2 (गैर केन्द्रीय आशुलिपिक सेवा) जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि : जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13	14
1. प्रशिक्षण अधिकारी, गवेषणा और संदर्भ प्रभाग—अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी, गवेषणा और संदर्भ प्रभाग—सदस्य 3. सहायक गवेषणा अधिकारी, गवेषणा और संदर्भ प्रभाग—सदस्य 4. प्रशासन अधिकारी, फोटो प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6	7
5. हिन्दी अनुवादक	1(*) (1987) *कार्यभार* के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	1400-40-1800-द.रो.-50-3300 रु	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	28 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : स्तम्भ 7 में उल्लिखित आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में है) आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

1	2	3	4	5	6	7
						ऐसे पदों की बाबत, जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिये कहा गया है।

8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/अंग्रेजी में मास्टर की डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी/हिन्दी हो। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर की डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी हो। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम से मास्टर की डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी/हिन्दी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हो: या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य/वैकल्पिक विषयों के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी के साथ या परीक्षा के माध्यम के रूप में दोनों में से एक विषय के साथ और अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में दूसरे विषय के साथ स्नातक की डिग्री और हिन्दी से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद पाठ्यक्रम का कोई मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र या केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों में, जिनके अन्तर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी : (क)(1) जो संयुक्त पद धारण करते हैं : या (2) जिन्होंने 1200-2040 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर उस श्रेणी में—तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

13	14
1. गवेषणात अधिकारी, गवेषणा और संदर्भ प्रभाग—अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी, गवेषणा और संदर्भ प्रभाग—सदस्य 3. सहायक गवेषणा अधिकारी, गवेषणा और संदर्भ प्रभाग—सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, फोटो प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
6. पुस्तकालय सहायक	1* (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित' अननुसचिवीय'	1350-30-1440-40-1800-द.रो.-5-2200 रुपये	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	28 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में है) आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी । रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिये कहा गया है ।

8	9	10
आवश्यक अर्हताएं : 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य 2. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा या समतुल्य 3. कम से कम उच्च विद्यालय स्तर तक शिक्षा के माध्यम के रूप में या अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी भाषा का अध्ययन किया होना चाहिये । टिप्पण :—अर्हताएं सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।	लागू नहीं होता	2 वर्ष (केवल सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये)

11	12
स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	सूचना और प्रसारण मंत्रालय या उसकी मिडिया एककों के अधीन ऐसे अधिकारी, जो सदृश पद या 1200-2040 रुपये के वेतनमान वाले पद धारण करते है और जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष सेवा की है और जिनके पास सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित अर्हताएं है ।

13	14
1. मुख्य प्रलेख अधिकारी, गवेषणा और संदर्भ प्रभाग—अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी, गवेषणा और संदर्भ प्रभाग—सदस्य 3. सदर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष, गवेषणा और संदर्भ प्रभाग—सदस्य 4. प्रशासन अधिकारी' फोटो भाग , सूचना और प्रसारण मंत्रालय —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
7. उच्च श्रेणी लिपिक	4* (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	1200-30-1560-द. रो.-40-2040 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा	गवेषणा और सदर्भ प्रभाग में ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 8 वर्ष सेवा की है।

13	14
1. गवेषणा अधिकारी, गवेषणा और सदर्भ प्रभाग—अध्यक्ष 2. प्रशासन अधिकारी, गवेषणा और सदर्भ प्रभाग—अध्यक्ष 3. सहायक गवेषणा अधिकारी, गवेषणा और सदर्भ प्रभाग—सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, फोटो प्रभाग-सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
8 आशुलिपिक श्रेणी 3	3*(1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	1200-30-1560-द. रो.-40-2040 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, प्रत्येक मामले में भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10
आवश्यक अर्हताएं: 1. मैट्रिकुलेशन या समतुल्य 2. आशुलिपि में कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट और टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति हो।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

11	12	13	14
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
9. निम्न श्रेणी लिपिक	8* (1997) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	950-20-1150-ई.बी.-25-1500 रुपए	अचयन और चयन	लागू नहीं होना	18 से 25 वर्ष के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण —आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10
आवश्यक अर्हताएं : 1. मैट्रिकुलेशन या समतुल्य 2. अंग्रेजी टाइपिंग में प्रतिमिनट 30 शब्द या हिंदी टाइपिंग में प्रतिमिनट की 25 शब्द गति। यह शर्त शारीरिक रूप से निशुल्क ऐसे व्यक्तियों के लिए शिथिल की जा सकती है जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए अन्यथा अर्हित है, और जिन्हें निशुल्क व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय से संलग्न चिकित्सा बोर्ड द्वारा या जहां ऐसा कोई नहीं है वहां सिविल सर्जन द्वारा टाइप कर सकने के अयोग्य प्रमाणित किया गया है। टिप्पण :—अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	केवल सीधे भर्ती किए जाने

11	12
(i) 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ii) 10 प्रतिशत समूह "घ" के कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा	(i) नब्बे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ii) निम्न श्रेणी में लिपिक की श्रेणी पांच प्रतिशत रिक्तियां ऐसे समूह "घ" के कर्मचारियों में से जो (गवेषणा और संदर्भ प्रभाग के नियमित स्थापन में हैं) जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष सेवा की है भरी जाने के लिए आरक्षित की जाएगी। उनका चयन समूह "घ" के ऐसे कर्मचारियों के लिए सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा किया जाएगा जिनके पास न्यूनतम अर्हता अर्थात् मैट्रीकुलेशन या उसके समतुल्य है और जो 45 वर्ष (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की दशा में 50 वर्ष की आयुसीमा के भीतर हैं। इस पद्धति से की जाने वाली अधिकतम नियुक्तियां किसी वर्ष में निम्न श्रेणी लिपिकों के काडर में होने वाली रिक्तियों के 5 प्रतिशत तक सीमित रहेंगी, न भरी जाने वाली रिक्तियां अगले वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जाएंगी। (iii) पांच प्रतिशत रिक्तियों, अयोग्य को अस्वीकार करने के अधीन रहते हुए ऐसे समूह "घ" कर्मचारियों में से ज्येष्ठता के आधार पर भरी जाएंगी जो गवेषणा और संदर्भ प्रभाग द्वारा विहित ज्येष्ठता रेंज के अन्तर्गत हैं और जो निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में नियुक्ति के लिए शैक्षिक रूप से अर्हित हैं अर्थात् जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या कोई समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।

13	14
1 गवेषणा अधिकारी, गवेषणा और संदर्भ प्रभाग—अध्यक्ष	लागू नहीं होता
2 प्रशासन अधिकारी, गवेषणा और संदर्भ प्रभाग—सदस्य	
3. सहायक गवेषणा अधिकारी, गवेषणा और संदर्भ प्रभाग—सदस्य	
4 प्रशासनिक अधिकारी, फोटो प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य	

[स. ए.—11034/4/85—प्र.]
हरिशंकर शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(Research and Reference Division)

New Delhi, the 10th June, 1987

G.S.R. 571.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Research and Reference Division (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules 1965 in so far as they relate to the posts of Librarian, Accountant, Stenographer Grade II, Upper Division Clerk, Stenographer Grade III and Lower Division Clerk, Research and Reference Division (Hindi Translator) Recruitment Rules 1976, Research and Reference Division (Documentation Assistant) Recruitment Rules 1978, Research and Reference Division (Library Assistant) Recruitment Rules 1979, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the Research and Reference Division of the Ministry of Information and Broadcasting, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Research and Reference Division (Group 'C' posts) Recruitment Rules 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 5 of the Schedule annexed to their rules.

3. Method of recruitment age limit, qualification etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 6 to 15 of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Staff Selection Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefits of added years of service admissible under rule 30 of C.C.S. Pension Rules 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1.	2	3	4	5	6	7	8
1. Documentation Asstt.	4* (1987)	Central Secretariat Service, Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600	Not applicable	Not applicable	Not exceeding 28 years (Relaxable for Govt. servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications	Essential:- 1. Degree of a recognised University or its equivalent. 2. Degree/Diploma in Library Science of a recognised University or Institute. Note:-Qualifications are relaxable at the discretion

*Subject to variation dependent on work load

1	2	3	4	5	6	7	8
						from the candidates in India (other than Andaman and Nicobar Island and Lakshdweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.)	of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualificed. Desirable:- Two years experience of indexing and documentation work in a library of standing.

Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation	Methd of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grade from which promotion/deputation/transfer to be made.	If DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
2. Librarian	*1 (1987)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial *Subject to variation dependent on work load	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300.	Selection	Not applicable	Not exceeding 28 years (Relaxable for Govt. Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note:-The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (other than Andaman Nicobar Island and Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Essential Qualifications 1. Degree of a recognised University or equivalent. 2. Diploma in Library Science of a recognised Institution.

9	10	11	12	13	14
No	2 years (for direct recruits only)	By promotion, failing which by direct recruitment.	Library Asstt. in the scale of pay Rs. 1350-2200 with three years regular service in the grade or Junior Librarian in the	1. Chief Documentation Officer, Research and Reference Division—Chairman	Not applicable

9	10	11	12	13	14
			scale of Rs. 1200-2040 or equivalent with 5 years regular service in the grade.	2. Administrative Officer Research and reference Division—Member 3. Reference Librarian, Research and Reference Division—Member 4. Administrative Officer, Photo Division, Ministry of I&B—Member	

1	2	3	4	5	6	7	8
3. Accountant	1* (1987) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted Ministerial	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300.	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable.

9	10	11	12	13	14
No	Not applicable	By promotion failing which by deputation	Promotion: Upper Division Clerks of Research & Reference Division with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and having experience of cash and accounts work. Accountants in analogous scale or Upper Division Clerks with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis of the Ministry of Information & Broadcasting and its attached/subordinate offices, having experience of a cash and accounts work. Note : The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed three years.	1. Research Officer, Research & Reference Division—Chairman 2. Administrative Officer, Research and Reference Division—Member. 3. Asstt. Research Officer, Research & Reference Division—Member. 4. Administrative Officer, Photo Division, Ministry of I&B—Member.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
4. Stenographer Grade-II	2* (1987) *Subject to variation depend-	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300	Non-Selection	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable for Govt. Servants upto 35 years in accordance with the instructions or	Essential Qualifications: (1) Matriculation or equivalent. (2) Speed of 120/40 w.p.m. in shorthand and typewriting respectively.

1	2	3	4	5	6	8
	ent on work load.				orders issued by the Central Government.) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (other than Andaman and Nicobar Island and Lakshdweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment Exchange is asked to submit the names.	Desirable Qualifications : (1) Experience of about 3 years in stenography in a Govt. office or a firm of repute. (2) Degree of a recognised University. Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification reg. experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes & Scheduled Tribes if at any stage of selection the SSC/Competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates of these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

9	10	11	12	13	14
No	2 years (for direct recruits only)	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Promotion: Stenographers Grade-III in the Research & Reference Division with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Deputation : Stenographers Grade-II (Non-CSS) from attached and Sub-ordinate Offices of the Min. of I&B with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall not exceed three years.	1. Research Officer, Research & Reference Division—Chairman. 2. Administrative Officer, Research & Reference Division—Member. 3. Asstt. Research Officer, Research & Reference Division—Member. 4. Administrative Officer, Photo Division, Ministry of I&B—Member.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
5 Hindi Translator	1* (1987) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300.	Not applicable	Not applicable	28 years (Relaxable for Govt. servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note : The crucial date for determining the age limit mentioned in Col. 7 of the recruitment rules will in each case be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (other than Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of posts, the appointments to which are made through the Employment exchange the crucial date for determining the age limit, in each case, be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Master's degree of a recognised University in Hindi/English, with English/Hindi as a compulsory/elective subject or as medium of examination at degree level. Or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi/English with Hindi and English as compulsory/elective subject at degree level. Or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi/English, with Hindi/English medium and English/Hindi as a compulsory/elective subject or as medium of examination at degree level. Or Bachelor's degree of a recognised University, with Hindi and English as compulsory/elective subjects or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory/elective subject, plus a recognised Diploma/Certificate Course in Translation from Hindi to English and Vice-versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central/State Govt. Offices, including Govt. of India Undertakings.

9	10	11	12	13	14
Not applicable i	2 years	By transfer on deputation/transfer or by direct recruitment.	Transfer on deputation/transfer : From amongst Central Govt. Officers holding :— (a) (i) holding analogous posts, or (ii) Posts in the pay scale of Rs. 1200—2040 or equivalent with 3 years regular service in the grade,	1. Research Officer, Research & Reference Division—Chairman 2. Administrative Officer, Research & Reference Division—Member 3. Asstt. Research Officer, Research & Reference Division—Member 4. Administrative Officer, Photo Division, Min. of I&B—Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
6. Assistant Librarian	*1 (1987) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 1350-30-1440-40-1800-EB-50-2200.	Not applicable	Not applicable	Not exceeding 28 years, (Relaxable for Govt. servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than Andaman & Nicobar Island and Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange the acrucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment exchange is asked to submit the names.	Essential Qualifications : 1. Degree of a recognised University or equivalent. 2. Diploma in Library Science of a recognised University or Institute. 3. Should have studied Hindi Language upto at least High School level either as a medium of Instruction or as a compulsory or optional subject. Note :—Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years (For direct recruits only)	By transfer failing which by direct recruitment.	Officers under the Ministry of I&B or its Media Units holding analogous posts or posts in the scale of pay of Rs. 1200—2040 with three years service in the Grade rendered after appointment there to on a regular basis and possessing qualifications prescribed for direct recruits	1 Chief Documentation Officer, Research & Reference Division—Chairman 2. Administrative Officer, Research & Reference Division—Member 4. Administrative Officer, Min. of I&B—Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
7. Upper Division Clerk	4* (1987) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040	Non-Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Not applicable	By promotion	Lower Division Clerks in Research & Reference Division with 8 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	1. Research Officer, Research & Reference Division—Chairman 2. Administrative Officer, Research & Reference Division—Member 3. Asstt. Research Officer, Research & Reference Division—Member. 4. Administrative Officer, Photo Division, Min. of I&B—Member.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
8 Stenographer Gr. III	3* (1987) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Govt. Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt.) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (other than Andaman & Nicobar Island and Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Essential Qualifications : 1. Matriculation or Equivalent. 2. Having speed of at leaset 80 w.p.m. in shorthand and 30 w.p.m. in typewriting. Note:—Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
9. Lower Division Clerk	8* (1987) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Gruop-'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500	Non-Selection and selection	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Govt. Servants upto 35 yrs. in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (other than Andaman and Nicobar Islands and Lakashadweep). In the case of recruitment made through the Employment	Essential Qualifications : (1) Matriculation or equivalent. (2) Typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi. This is relaxable for the physically handicapped persons who are otherwise qualified to hold clerical posts and who are certified as being unable to type by the Medical Board attached to Special Employment Exchange for the handicapped or (by Civil Surgeon where there is no such Board). Note : Qualifications are relaxable at the discretion

7	
Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.

SCHEDULE

9	10	11	12	13	14
Age : No Educational qualifications : Yes	2 years for direct recruits only	(i) 90% by direct recruitment. (ii) 10% by promotion from Group 'D' employees.	(i) Ninety per cent by direct recruitment. (ii) Five per cent of the vacancies in the grade of Lower Division Clerks shall be reserved for being filled by Group 'D' employees (borne on the regular establishment of the Research & Reference Division having at least 5 years service in the grade. Selection would be made through a departmental examination confined to Group 'D' employees who fulfil the requirement of minimum educational qualifications namely Matriculation or equivalent and should be within the age of 45 years (50 years in case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes). The maximum number of appointments by this method would be limited to 5% of the vacancies in the cadre of Lower Division Clerks accruing in a year. Un filled vacancies would not be carried over to the next year. (iii) Five per cent of the vacancies may be filled on the basis of seniority, subject to the rejection of the unfit from amongst these Group 'D' employees who are within the range of seniority prescribed by the Research & Reference Division and are educationally qualified for appointment as Lower Division Clerk, i.e. who have passed the Matriculation or an equivalent examination by a recognised Board or University.	1. Research Officer, Research and Reference Division—Chairman. 2. Administrative Officer, Research & Reference Division—Member. 3. Asstt. Resear h Officer Reserch and Reference Division—Member. 4. Administrative Officer, Photo Division, Min. of I & B—Member.	Not applicable

[No. A-11034/4/86-Admn.]

H. S. SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 जून, 1987

सा.का.नि. 572.—राष्ट्रपति, मूल नियमों के नियम 45 के उपबन्धों के अनुसरण में, आकाशवाणी (आवासिक क्वार्टरों का आबंटन) नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (आवासिक क्वार्टरों का आबंटन) संशोधन नियम, 1987 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आकाशवाणी (आवासिक क्वार्टरों का आबंटन) नियम, 1983 के अनु. नि. 317-26-न-9 के उपनियम (1) की सारणी में, —

(क) (i) "सेवानिवृत्ति या सेवान्त छुट्टी" से संबंधित मद (ii) के सामने स्तम्भ (2) में "2 मास" अंक और शब्द के स्थान पर "4 मास" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "आबंटिती की मृत्यु" से संबंधित मद (iii) के सामने, स्तम्भ (2) में, "4 मास" अंक और शब्द के स्थान पर "6 मास" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) अनु.नि. 317-26-न-10 में, परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्त स्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि सेवानिवृत्ति या सेवान्त छुट्टी की दशा में, पहले परन्तुक में यथादर्शित अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर अतिरिक्त प्रतिधारण की अवधि चार मास से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण : मूल नियम, सा.का.नि. सं. 949, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) सं. 37, नई दिल्ली, तारीख 8 सितम्बर, 1984 द्वारा भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना के अधीन प्रकाशित किए गए थे ।

[फा.सं. डी-11014/45/73-ए एंड जी]
वी.के. अरोड़ा, अवर सचिव

New Delhi, the 25th June, 1987

G.S.R. 572.—In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental Rules, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Allotment of Residential Quarters) Rules, 1983, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Allotment of Residential Quarters) Amendment Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Radio (Allotment of Residential Quarterms) Rules, 1983, in the Table to sub-rule (1) of S.R. 317-XXVI-T-9,—

(a)(i) against item (ii) relating to "Retirement or terminal leave", in column 2, for the figure and word '2 months', the figure and word '4 months' shall be substituted;

(ii) against item (iii) relating to "Death of the allottee", in column 2, for the figure and word '4 months', the figure and word '6 months' shall be substituted.

(b) in S.R. 317-XXVI-T-10, after the proviso the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that in the event of retirement or terminal leave, the period for further retention on payment of licence fee as indicated in the first proviso shall not be exceeding 4 months."

NOTE.—Principal rules were published under the notification of the Government of India of the Ministry of Information and Broadcasting vide G.S.R. No. 949, Part II, Section 3, Sub-section (i) No. 37 dated New Delhi 8th September, 1984.

[F. No. D-11014/45/73-A&G]
V. K. ARORA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987